खण्ड-195, अंक-10
सोमवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1880
(4 अगस्त, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ४ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—(३५९)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख़्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इतरजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख़्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम राय, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रवली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमुद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

सुरेश प्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ४ अगस्त, १९५८

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटियों के एकीकरण पर विचार

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि गन्ना क्रय करने के हेतु कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटियों का एकीकरण करने का निश्चय प्रदेशीय सरकार ने कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटियों के एकीकरण का प्रश्न प्रदेशीय शासन के विचाराधीन है इस संबन्ध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

गोरखपुर नगरपालिका के चुनाव का स्थगन

**२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिनके आधार पर गोरखपुर नगरपालिका का चुनाव स्थगित कर दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—शासन का विचार नगरपालिका गोरखपुर का चुनाव ८ अप्रैल, १९५८ को करने का था पर निम्नलिखित कारणों को देखते हुये शासन ने निर्णय किया कि चुनाव नवम्बर–दिसम्बर १९५८ तक स्थगित कर दिये जायं।

(१) गोरखपुर के विभिन्न राजनैतिक दलों—समाजवादी युवक सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, तथा गोरखपुर पालिका जन कष्ट निवारक समिति ने उक्त तारीख में चुनाव होने का विरोध १२ मार्च, १९५८ के दैनिक भारत, वाराणसी द्वारा किया ।

(२) गोरखपुर के विधायकों तथा नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उक्त तिथि में चुनाव होने का इस आधार पर विरोध किया कि अवक्रमण काल में जो सुधार हो रहा है रुक जावेगा ।

(३) जिलाधीश, गोरखपुर ने प्रशासकीय कठिनाइयां शासन के सम्मुख रखीं तथा सुझाव दिया कि चुनाव दिसम्बर मास में हो।

जिलाधीश गाजीपुर के न्यायालय के सम्मुख अनशनकारी श्री रामसागर सिंह की गिरफ्तारी

**३—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री रामसागर सिंह जो १८–७–५८ से जिलाधीश गाजीपुर के न्यायालय के सम्मुख खाद्य समस्या पर अनशन कर रहे हैं उनकी क्या मांगें हैं ?

**४—क्या श्री रामसागर सिंह ने कोई मांग पत्र सरकार के पास अनशन के पूर्व भी भेजा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

**५—क्या सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

न्याय उपमन्त्री(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—इस मामले की शासन को कोई सूचना नहीं है। सूचना मांगी गयी है और उपलब्ध होने पर दी जा सकेगी ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक उनको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ?

न्याय मन्त्री(श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं दफ्तर पहुंचा हूं तो मुझे कुछ सूचना वहां से उपलब्ध हुई है। अगर इजाजत हो तो मैं बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—सूचना दे दीजिये आप ।

श्री सैयद अली जहीर—श्री रामसागर सिंह जो हैं यह अपने को आर० एस० पी० खेतिहर मजदूर किसान सभा का सदस्य बतलाते थे। इन्होंने १८ जुलाई को जिलाधीश, गाजीपुर की अदालत में हंगर स्ट्राइक की। हंगर स्ट्राइक के पहले उन्होंने कुछ मांगें पेश कीं । वह मांगें यह थीं :—

१—लैन्ड रेवेन्यू और तकावी और लड़कों की फीस माफ की जाय ।

२—"चोटा" और गल्ले के दाम घटाये जायं और इनकी दूकानें बढ़ायी जायं ।

३—कैनाल और ट्यूब वैल का जो पानी मिलता है यह काश्तकारों को मुफ्त दिया जाय।

४—वह अफसरान कि जो क्रोप कटिंग वगैरह के ऐक्सपेरीमेंट करते हैं उसमें गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, उनको सजा दी जाय। और शहर के जो रहने वाले हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगे हुये हैं वह माफ कर दिये जायं ।

५—चकबंदी की जो स्कीम चल रही है उसको मन्सूख कर दिया जाय, और बन्द कर दिया जाय ।

इस तरह की उनकी मांगें थीं और जाहिर है कि जिलाधीश इनमें से कोई मांग मंजूर नहीं कर सकते थे। जहां तक दूकानों का मामला था इसमें कोई शक नहीं कि १६९ दुकानें पूरे जिले में खुली हुई हैं और इनके जरिये से ८,४५० मन अनाज रोजाना वहां पर बेचा जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि यह अपनी भूख हड़ताल चलाते रहे। चुनांचे ३० जुलाई को श्री रामसागर सिंह ने ५ बजे के करीब जब बहुत हंगामा करना शुरू किया और उनको वहां से हटने को कहा गया और जब वे नहीं हटे, तो कुछ दफात फौजदारी के इन पर लगे और इनको गिरफ्तार किया गया। उसी दिन यह भी वाकया हुआ कि कुछ औरतें वगैरह अदालत में आयीं, एस० डी० एम० (सदर) के यहां करीब साढ़े बारह बजे और शोर मचाना शुरू किया। चुनांचे इनको भी मजबूरन अरेस्ट करना पड़ा, दफा २८८ आई० पी० सी० और दफा ४८० क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ९ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और २०० रुपये इन पर जुर्माना किया गया और हुक्म यह दिया गया कि जुर्माना अदा न करें तो १ महीने की सजा ।

फिर दूसरी अगस्त को श्री रामसागर सिंह का एक और पत्र मिला जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि ४ अगस्त से उनकी मांगें अगर पूरी न होंगी और उनके जो साथी हैं, और वह, उनको सुपीरियर क्लास का बरतावा नहीं किया जायगा तो वह निर्जल फाका शुरू कर देंगे । यह उन का आखिरी खत आया है। आज ४ तारीख है। बहरहाल जाहिर है कि यह मामला कि उनको कौन सा, सुपीरियर क्लास दिया जाय, या न दिया जाय इस पर अभी गौर हो रहा है और कोई कार्यवाही होगी ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---क्या सरकार बतायेगी कि उन का अनशन अभी जारी है और उनके साथ कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हुये हैं या अनशन कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---किसी और के अनशन की इत्तला तो नहीं है लेकिन उन्हीं का नोटिस है कि वह ४ अगस्त से किसी खास तरीके का अनशन करने वाले हैं जो आज से शुरू होगा ।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या यह सही है कि श्री रामसागर सिंह दमे के मरीज हैं और उन के मुंह से इस समय खून गिर रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनशन प्रारम्भ करने से पहले उन्होंने सरकार को कोई अपना मांगपत्र भी दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, १८ जुलाई के पहले जो दिया था उसकी मांगें मैंने आप को पढ़कर सुना दीं ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---इस सम्बन्ध में जो उन की मांगें हैं क्या उन में से कुछ को सरकार मानने के लिये तैयार है या उनमें से कुछ पर विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक अनाज के दाम वगैरह का ताल्लुक है मैंने बयान किया कि १६९ दुकानें चल रही हैं जिनसे ८,४५० मन अनाज रोजाना सस्ते दामों पर दिया जा रहा है, बकिया जो और मांगें हैं उन पर यकायक फैसला नहीं हो सकता, मालगुजारी या तकावी के बारे में जो मांगें हैं वह सब ऐसी चीजें हैं कि उनके जो नियम बने हैं उनके अनुसार फैसला होगा ।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में नारायणी नहर में ली गई भूमि का मुआवजा मिलने में विलम्ब

*१---**श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में नारायणी नहर के निर्माण हेतु ली गई भूमि तथा फसलों का मुआवजा कितना अभी तक देना बाकी है तथा अब तक उसके भुगतान में देरी करने का क्या कारण है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---नारायणी नहर तथा उसकी शाखाओं के निर्माण हेतु जो भूमि ली गई है उसके मुआवजे की १,२०,००० रुपये की रकम में से लगभग ५६,३३० रुपये अभी बांटना बाकी है । फसलों के मुआविजे का भी लगभग ७,००० रुपये बांटना बाकी है । निर्माण कार्य की अधिकता तथा लैन्ड एक्वीजीशन कार्य में लगे कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण मुआवजे के भुगतान में देरी हुई ।

*२---**श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)**---क्या सरकार को उपर्युक्त नारायणी नहर के समीपवर्ती चन्दा गुलरमार और कलनहीं ग्रामों की मुआवजे की दरख्वास्त चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या सिंचाई राज्य मंत्री इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---नारायणी नहर के निर्माण हेतु ली गई भूमि का मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मिले हैं परन्तु प्रश्न में कथित ग्रामीणों का कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला । विशेष भूमि अधिकारी को आदेश दिये गये कि वह शीघ्रातिशीघ्र भूमि का मुआवजा देने का प्रयत्न करें ।

*३---**श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)**---क्या सरकार के पास गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के चन्दा गुलरमार तथा कलनहीं ग्राम के लोगों की कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है जिसमें नारायणी नहर के निर्माण के कारण उनकी जो भूमि नहर और नदी के बीच में

प्रतिवर्ष पानी में डूब जाती है उसके तबादले में नहर के पश्चिम की जमीन दिये जाने की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राममूर्ति--नारायणी नहर के निर्माण के कारण कोई भूमि नारायणी नदी तथा नहर के बीच जलमग्न नहीं हुई है । प्रश्न में कथित भूमि नारायणी नहर के निर्माण के पूर्व भी प्रतिवर्ष जलमग्न हुआ करती थी और वही स्थिति नारायणी नहर के निर्माण के पश्चात भी है । उक्त भूमि के तबादले में अन्य जमीन दिये जाने की कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई ।

सहारनपुर जिले में नदियों से कृषि योग्य भूमि की बर्बादी

*४--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में सहारनपुर जिले में अवस्थित नदियों, मसखरा, हिन्डन, सौलानी तथा उसकी विभिन्न धाराओं एवं रतमऊ से कितने एकड़ कृषि योग्य तथा वनस्थ भूमि बरबाद हुई है ?

श्री राममूर्ति--सहारनपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है --

	एकड़
१९५५	२७,८५४
१९५६	५५,०००
१९५७	१२,३६७

वनस्थ भूमि के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार पिछले तीन साल में एक लाख एकड़ भूमि की बरबादी को देखते हुये, इन नदियों पर बांध बनाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--इन नदियों पर बांध बनाने का सवाल नहीं है, उन की रोकथाम के लिये एस्टीमेट बनाया गया था और उस में कुछ थोड़ा सा रुपया भी खर्च किया गया है, लेकिन खर्च ज्यादा होने की सम्भावना से और पैसे की कमी के कारण इस वक्त वह काम मुमकिन नहीं है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सत्य है कि सौलानी नदी पर जो सर्वे कराया गया है उसका खर्च गांव वालों से मांगा जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह कितने का एस्टीमेट है और कितना रुपया उस पर खर्च किया जा चुका है ।

श्री राममूर्ति--३ एस्टीमेट्स बने हैं । एक २२,८५९ रुपये का, एक ५७,८७३ रुपये का और एक २४,४७३ रुपये का । और २४, ४७३ रुपये खर्च में लाया गया है । बाद में रुपया कम होने की वजह से खर्चा रोका गया ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त जंगल की कितने हजार एकड़ भूमि बरबाद हुई है ?

श्री राममूर्ति--मैंने, अध्यक्ष महोदय, अभी अर्ज किया कि मेरे पास वनस्थ भूमि के आंकड़े नहीं हैं ।

हरदोई जिले में गौरा ग्राम से बरसाती पानी निकालने के लिये ड्रेन बनवाने का विचार

*५--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम गौरा, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में बरसात में चारों ओर का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके निकलने का कोई साधन नहीं है जिसके कारण गांव के किसानों की सब फसल

प्रति वर्ष बरबाद हो जाया करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यहां पर कोई Drain निकालने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब तक यह काम पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—गौरा ग्राम में एक नवीन ड्रेन के बनाने का सुझाव तैयार किया जा चुका है। धन के उपलब्ध होने पर इसका निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

खीरी जिले में ओला-पीड़ितों को लगान व सिंचाई कर में छूट

*६—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला खीरी के जिन २७१ गांवों में वर्ष १९५७ में ओलों की वृष्टि से आठ आना या उससे अधिक की हानि हुई थी और जहां के लगान में सरकार ने छूट देने की कृपा की थी वहां पर नहर और ट्यूबवेल की आबपाशी बदस्तूर वसूल की गई ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था । नहर व नलकूप की आबपाशी में नियमानुसार छूट दी गई थी ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन २७१ गांवों में से कितने गांवों में नहर की छूट दी गई है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास गांव का नम्बर तो नहीं है, लेकिन नहर के सिलसिले में २१४ रु०, १० आने ९ पाई की छूट और ट्यूबवेल में ७,७०८ रुपये, ६४ नये पैसे की छूट दी गई है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन २७१ गांवों में मालगुजारी की कितनी छूट दी गई थी ?

श्री राममूर्ति—मालगुजारी की छूट के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

फैजाबाद जिले में अबनपुर माइनर की सर्विस रोड बनाने के लिये अधिकृत भूमि

*७—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फैजाबाद जिले में सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि प्राप्त करने की जो विज्ञप्ति संख्या ९५७ सरकारी गजट, तारीख २६-१०-५७ में प्रकाशित हुई है उसमें उल्लिखित भूमि पर सरकार का कब्जा कितने वर्षों से है तथा इस पर नहर बने हुये कितने वर्ष हो गये ?

श्री राममूर्ति—सरकारी विज्ञप्ति संख्या ९५७, दिनांक १५-१०-५७ में प्रकाशित भूमि घाघरा नहर प्रणाली की अबनपुर माइनर की सर्विस रोड बनाने हेतु अधिकृत की गई थी । यह भूमि नवम्बर, १९५६ में ली गई थी और नवम्बर, १९५६ ही में सर्विस रोड बनी थी ।

*८—श्री मदनगोपाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फैजाबाद जिले में भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश गजट, तारीख २१-९-५७ में प्रकाशित विज्ञप्तियों में उल्लिखित प्रत्येक भूमि पर सरकार का कब्जा कितने वर्षों से है और किन-किन भूमियों का मुआवजा दिया जा चुका है और किन-किन का नहीं ?

श्री राममूर्ति—फैजाबाद जिले में अधिकृत भूमि की ११ विज्ञप्तियां सरकारी गजट दिनांक २१-९-५७ में प्रकाशित हुई थीं जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५६ पर ।)

फर्रुखाबाद जिले की नलकूप योजना में कटौती

*९—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो ट्यूबवेल कन्नौज तहसील, जिला फर्रुखाबाद में बनने वाले हैं वह किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति– द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद तहसील कन्नौज के ग्राम मिरगांव तथा जलालाबाद में २ नलकूपों का निर्माण हो गया है ।

श्री होरीलाल यादव––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील में जो ८ ट्यूबवेल बनने वाले हैं, उनमें बाकी ६ ट्यूबवेल को सरकार कहां बनाने का इरादा कर रही है ?

श्री राममूर्ति– बाकी ट्यूबवेल बनाने का इरादा अब इस वक्त नहीं है।

श्री होरीलाल यादव––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ ट्यूबवेल जो बनने वाले थे उनका इरादा छोड़ दिया गया है ?

श्री राममूर्ति––इस वक्त रुपये की कमी होने की वजह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ट्यूबवेल बनने बाकी हैं, उनको इस वक्त स्थगित कर दिया गया है ।

श्री शोभालाल अवस्थी (जिला कानपुर)––क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २ नलकूप बने हुये हैं इनमें सरकारी व्यय कितना हुआ है ?

श्री राममूर्ति––मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि अमूमन वह धन ३२ से ४३ हजार रुपया तक ट्यूबवेल के बनने में खर्च होता है ।

श्री देवनारायण भारतीय––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितनी संख्या नलकूपों की थी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद की तहसील कनौज में बनने वाले थे ?

श्री राममूर्ति––मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, लेकिन होरीलाल जी ने फरमाया कि शायद ८ बनने वाले थे ।

मछलीशहर तहसील में नदवार ताल से नाला निकालने की योजना

*१०––**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर, जिला जौनपुर तहसील के ताल बगदहा (मंड़वा) और ताल नदवार (ऊंचगांव) से सन् १९५५ और १९५६ में पृथक पृथक कुल कितने क्षेत्रफल (कृषि भूमि) को क्षति पहुंची है ?

श्री राममूर्ति––सन् १९५५ और सन् १९५६ में इस बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त की गई कि बगदहा (मंड़वा) ताल से खेती को कितनी हानि हुई और न इसका सर्वे ही अभी तक हुआ है ।

*११––**श्री नागेश्वरप्रसाद**––क्या सरकार इस हानि से बचाने के किसी स्थायी उपाय पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति––नदवार (ऊंचगांव) ताल से १९५५ की हानि के कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । सन् १९५६ ई० में इस ताल से पीड़ित क्षेत्र १,२०० एकड़ था ।

बगदहा ताल के बारे में कोई स्कीम नहीं है । नदवार ताल का नाला मंजूर हो चुका है । भूमि मिलने पर काम आरम्भ हो जायेगा ।

श्री नागेश्वरप्रसाद––क्या मंत्री जी बगदहा ताल की जांच करवाकर पता लगायेंगे कि किस-किस गांव की कितनी कृषि योग्य भूमि डूब जाती है और नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति––माननीय सदस्य लिख कर भेज देंगे तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री नागेश्वरप्रसाद––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नदवार ताल से नाला निकालने के लिये भूमि कब तक हस्तगत कर ली जायगी ?

श्री राममूर्ति—कोई निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कोशिश जल्द से जल्द होगी।

गोरखपुर जिले में बसमनियां, रोहिन तथा पेयास नदियों के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि गौहरपुर ग्राम, थाना महाराजगंज, जिला गोरखपुर के टोला अमहवा के चार घर बसमनियां नदी से कट कर नदी में विलीन हो गये हैं और पूरा ग्राम नदी में कट कर विलीन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार वहां के लोगों की जान-माल की हिफाजत के लिये क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—अमहवा ग्राम रजापुर का टोला है, गौहरपुर का नहीं। इस टोले में नदी से कटने के कारण दो "घारो" (घारी से तात्पर्य एक "छोटे घर" से है जहां मवेशी वगैरह रक्खे जाते हैं), एक घर तथा एक घर का केवल एक भाग गिर चुके हैं। यह टोला नदी के कटाव पर पूर्ण रूप से स्थित नहीं है। पूरे ग्राम को नदी में विलीन होने की संभावना निकट भविष्य में नहीं है। कोई घर किसी वर्ष गिर जाया करता है। सरकार की ओर से ग्राम की जमीन की सतह ऊंची कर दी गई है। ऐसी स्थिति में इस टोले की सारी आबादी को किसी दूसरे स्थान पर हटाने की कोई योजना नहीं है।

*१३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे गोरखपुर जिले के महाराजगंज थाने के ग्राम खालिकगढ़ के टोला कुंडिया सोनरा का डीह और ग्राम गौहरपुर के टोला अमवा, समेरहवा और गडेरिया का डीह, जो बसमनियां नदी से कटते जा रहे हैं वहां के किसानों को बचाने के लिये आजगमढ़ के राजा (आजम शाह) की परती जमीन पर बसाया जावे ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होंगी।

श्री राममूर्ति—यह सब टोले बसमनियां नदी के किनारे हैं जो कि एक बहुत छोटी नदी है। टोला कुंडिया समेरहवा तथा गडेरिया में अभी तक कोई घर कटकर नदी में नहीं गिरा है। टोला अमहवा में चार घर नदी से कटकर ३ वर्ष के अन्दर गिरे हैं। शेष स्थित हैं। टोला सोनहराडीह में दो घर दो वर्ष पहले गिरे हैं, शेष मौजूद हैं।

गांवों की जमीनों की सतह सरकार की तरफ से ऊंची कर दी गई है। निकट भविष्य में ऐसे किसी खतरे की संभावना नहीं मालूम होती जिसकी वजह से आबादी उस जगह से हटा दी जाय। इसलिये इस समय आजमगढ़ के राजा साहब की परती भूमि पर किसानों को बसाने की कोई योजना नहीं है।

*१४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार गोरखपुर जिले की रोहिन, बसमनियां और पेयास नदियों से हर साल बह जाने वाले मझार इलाके के गांवों को स्थायी रूप से बचाने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री राममूर्ति—रोहिन और पेयास नदियों में बाढ़ को कम करने के लिये बड़ी गन्डक नदी पर नैपाल राज्य में एक बांध बनाने का विचार है जिससे बड़ी गन्डक नदी का पानी इन नदियों में न आ सके। नैपाल सरकार की अनुमति के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है। पेयास नदी पर बाढ़ रोकने के लिये एक जलाशय बनाने का भी विचार है। इसकी लागत लगभग ९५.५ लाख रु० है। धनाभाव के कारण यह कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है। इसके अलावा इन तीन नदियों पेयास, बसमनियां तथा रोहिन के किनारे के गांवों को ऊंचा कर दिया गया है।

नहर विभाग में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के पतरौल

*१५—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नहर विभाग में कुल कितने पतरौल हैं और उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़े वर्गों के हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में पतरौलों की कुल संख्या ३,२०९ है । इन में से १२१ हरिजन हैं तथा ५२४ पिछड़े वर्ग के हैं ।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत रिजर्वेशन है उसके लिहाज से उनकी संख्या पूरी है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—पूरी नहीं है ।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—इसका प्रमुख कारण यह है कि जब कोई सेलेक्शन होता है तो नाम एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के जरिये आते हैं और अक्सर देखा गया है कि जब समुचित मात्रा में जो क्वालीफिकेशन्स दी गई हैं उनके मुताबिक नाम नहीं भेजे जाते हैं तो बहुत से ऐसे हरिजन भाई रह जाते हैं । अब एक हिदायत जारी कर दी गई है कि एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज को इत्तला दे दी जाय कि इतनी सीट्स हरिजनों के लिये सुरक्षित हैं लिहाजा उसका खयाल करके मुनासिब नाम भेजे जायं और यह भी कह दिया गया है कि यदि नाम नहीं भेजे जायेंगे तो उनकी सीट्स खाली रखी जायंगी ।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हिदायत जारी की गई है वह पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये भी की गई हैं कि उनको प्रिफ़रेंस दिया जाय और उनके नाम भेजे जायं ?

श्री राममूर्ति—पिछड़े वर्ग के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है, यह तो खाली हरिजनों के लिये है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ५२४ पिछड़े वर्ग के लोग हैं क्या उनमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया है ।

श्री प्रतापसिंह—यह नहीं बताया है ।

श्री राममूर्ति—हो सकता है । मेरे पास जो लिस्ट पिछड़े वर्ग की है उन में से हर एक कौम के नाम नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—उत्तर यह दिया गया था कि सिंचाई विभाग में पतरौलों की कुल संख्या ३,२०९ है । इनमें से १२१ हरिजन हैं तथा ५२४ पिछड़े वर्ग के हैं । इससे स्पष्ट होता है कि पिछड़े वर्ग में हरिजन शामिल नहीं हैं और अब आपका उत्तर है कि शामिल हो सकते हैं ।

श्री राममूर्ति—उन्होंने पूछा कि पिछड़े वर्ग में क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग भी हैं ?

श्री प्रतापसिंह—मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कहता हूं, जिसमें बोक्सा और थारू हैं ।

श्री अध्यक्ष—अब आप जवाब दीजिये । उन्होंने प्रश्न स्पष्ट कर दिया ।

श्री राममूर्ति—मैं इसके बारे में इस वक्त निश्चित रूप से कोई बात नहीं कह सकता ।

उन्नाव जिले में सिंचाई-कर

*१६—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५० में उन्नाव जिले से कितनी सिंचाई की रकम वसूल होती थी और अब कितनी ?

श्री राममूर्ति—उन्नाव जिले में सिंचाई की कुल रकम सन् १९५०–५१ में १२,३८,९९६ रु० ८ आने थी और सन् १९५६–५७ में १४,७४,१९२ रुपये ७९ नये पैसे वसूल हुई ।

श्री सजीवनलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रकमें जो १९५०-५१ तथा १९५६-५७ की हैं वह कितने क्षेत्र की रकमें हैं, जो सिंचाई किया गया है ?

श्री राममूर्ति---उन्नाव जिले के बारे में यह सवाल है उसी के बारे में मैंने जवाब दिया ।

श्री सजीवनलाल---अध्यक्ष महोदय, मैं रकबा पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---उनके पास सूचना नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रकम बढ़ गई है यह सिंचाई के साधन या क्षेत्र बढ़ जाने के कारण है या केवल दर बढ़ जाने के कारण रकम बढ़ गई है ?

श्री राममूर्ति---रकमें घटती-बढ़ती रहती हैं । रकबे की सिंचाई के सम्बन्ध में यह है कि जिस साल अच्छी बारिश होती है सिंचाई कम होती है । जिस साल सूखे का साल होता है, ज्यादा सिंचाई होती है । ज्यादा रुपया वसूल होता है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो दो लाख से ज्यादा की वृद्धि हुई है इसका कारण क्षेत्रफल की वृद्धि है या बकाया की वसूली है ?

श्री राममूर्ति---१९५६-५७ में १५,०८,३३७ रु० ७ आने ३ पाई लगान था । इसमें से वसूलयाबी १४ लाख ७४ हजार और जो रकम मैंने बतायी है उतने की हुई ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वसूली में वृद्धि हुई है, तो क्या कुछ सिंचाई के साधन भी बढ़े हैं उस क्षेत्र में ?

श्री राममूर्ति---सिंचाई के साधन भी हर रोज बढ़ते चले जा रहे हैं ।

बलिया जिले में टोंस नदी के समीपवर्ती तीन गांवों का ऊंचा न किया जा सकना

*१७---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार को विदित है कि बाढ़ विभाग के गाजीपुर डिवीजन के अन्तर्गत बलिया जिला के टोंस नदी के समीपवर्ती कुछ ग्रामों का भूमिस्तर ऊंचा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---बाढ़ विभाग के गाजीपुर डिवीजन के अन्तर्गत बलिया जिला के टोंस नदी के समीपवर्ती १८ ग्रामों का स्तर ऊंचा करना था, उनमें से ३ ग्रामों का स्तर कोष की कमी के कारण ऊंचा नहीं किया जा सका है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि बलिया के जो ३ गांव गाजीपुर डिवीजन के अन्तर्गत हैं और जिनकी भूमि का स्तर ऊंचा नहीं हुआ है उनके नाम क्या हैं ?

श्री राममूर्ति---तीन गांव रह गये हैं उनके नाम हैं---बांकीपुर, खिदरा और अगिलवा ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि गाजीपुर डिवीजन के जितने गांव ऊंचे करने को थे क्या वे सब ऊंचे हो गये सिवाय इन ३ के ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---गाजीपुर डिवीजन में, गाजीपुर जिले में जितने गांव थे वह सब ऊंचे हो गये और बलिया जिले के भी सब गांव ऊंचे हो गये सिवाय इन तीन गांवों के, तो अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि रुपये की कमी हो जाने की वजह से यह काम रोक दिया गया था ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीन गांवों के लिये कितने धन की और आवश्यकता थी जिसके कारण ये गांव ऊंचे नहीं किये जा सके ?

श्री राममूर्ति--बांकीपुर में ३,५०,००० हजार फुट क्यूसेक मिट्टी पड़ने वाली थी जिसकी कीमत ४,२०० रुपये थी । खिदरा में ४,८०० रुपये की और अगिलवा में ६,००० रुपये की मिट्टी पड़ने वाली थी ।

बदायूं जिले की गुन्नौर तहसील में सिंचाई के साधन बढ़ाने की प्रार्थना

*१८--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं, तहसील गुन्नौर में पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के साधन बढ़ाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--उक्त क्षेत्र में सर्वे कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री टीकाराम--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सर्वे कराने के बाद कौन से साधन बढ़ जायंगे ?

श्री राममूर्ति--यह तो सर्वे कराने के बाद ही पता लगेगा कि क्या साधन बढ़ सकते हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने समय से यह सर्वे हो रहा है और कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--अभी सर्वे का मसला विचाराधीन है । अभी यह तय नहीं हुआ है कि कब से शुरू किया जायगा ।

राज्य में नलकूप तथा नहरें

*१९--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने-कितने ट्यूब-वेल तथा कितनी मील लम्बी नहरें प्रान्त के प्रत्येक जिले में काम कर रही है ?

श्री राममूर्ति--आवश्यक सूचना सूची 'ख' पर संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट ८५७-८५८ पर ।)

*२०--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सिंचाई राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में कितने-कितने ट्यूबवेल तथा कितनी-कितनी मील लम्बी नहरें बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री राममूर्ति--आवश्यक सूचना सूची 'ग' पर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८५९-८६० पर ।)

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूब-वेल और कितनी लम्बी नहर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन रही ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, यह बड़ा लम्बा सवाल है । मैं मोटे तौर पर बताता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस स्टेट में १,५०० ट्यूब-वेल बनने थे ।

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी गोरखपुर, बनारस और फैजाबाद डिवीज़न के जो १५ जिले अभावग्रस्त हैं उनमें विशेष रूप से सिंचाई के साधन प्राप्त कराने के लिये कोई बात सोच रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य ने जिन कमिश्नरियों का नाम लिया वहां तो इस जमाने में अच्छे खासे सिंचाई के काम हुये हैं। लेकिन और भी होना चाहिये उसके बारे में सरकार की काफी तवज्जह उस तरफ है। जैसे-जैसे पैसा मिलता जायगा वहां काफी काम और बढ़ेगा।

मधवन थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*२१--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री मधुवन थाना, जिला आजमगढ़ की पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र की जांच सम्बन्धी ४-६-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३-८४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि तालिका में क्रम संख्या ५, ६, ७, १ और १४ में मुकदमें चलाने का कारण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६१ पर।)

*२२--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्रों की जांच थाना इंचार्ज के साथ भ्रष्टाचार जांच अफसर ने की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२३--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवनाथपुर, खोजीपुर और कोतवालपुर के व्यक्तियों ने किन-किन कान्सटेबिलों एवं थानेदारों के विरुद्ध कब-कब प्रार्थना-पत्र दिये थे तथा जाब्ता फौजदारी की १०७/११७ आदि धाराओं के अनुसार मुकदमा कब चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--देवनाथपुर के श्री सुमेर अहीर ने दिनांक १-७-५७ को कांस्टेबिल बासुदेवसिंह के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया था। प्रार्थी श्री सुमेर का चालान धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत दिनांक ३०-४-५७ को किया जा चुका था।

खोजीपुर के श्री रामलक्षण अहीर ने दिनांक १६-५-५७ को कांस्टेबिल बासुदेव सिंह के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था। उसी गांव की श्रीमती सरुपिया जौजे बाबूनंदन अहीर ने २५-५-५७ को एस० आई० मोहम्मद जकी तथा कांस्टेबिल बासुदेव सिंह के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था। इन व्यक्तियों के खिलाफ धारा १०७/११७ जा० फौ० की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कोतवालपुर के किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था, न किसी के विरुद्ध धारा १०७/११७ की कार्यवाही की गई।

देवरिया जिले में अपराधों की संख्या में बढ़ती

*२४--श्री उग्रसेन--क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि देवरिया जिले में १९५६-५७ तथा १ मार्च, १९५७ लगायत ३१ अगस्त, १९५७ तक निम्न की संख्या क्या है--

(१) डकैती, (२) हथियार-बन्द डकैती, (३) कत्ल के साथ डकैती, (४) चोरी, (५) कत्ल तथा दफा ११० सी०-आर० पी० सी० में चालान ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--सन् १६५६-५७ तथा १ मार्च, ५७ से ३१ अगस्त, ५७ तक अलग-अलग उक्त अपराधों तथा दफा ११० जा० फौ० में चालान की संख्या निम्नांकित है :

अपराध	१६५६	१६५७	१-३-५७ से ३१-८-५७ तक
डकैती (साधारण)	..	२	१
सशस्त्र डकैती	.. ४	१२	४
कत्ल के साथ डकैती	२	६	१
चोरी ..	४६०	६११	२४६
कत्ल ..	१६	१७	८
दफा ११० जा० फौ० में चालान	१४१	१६२	५८

*२५--श्री उग्रसेन--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में १६५६-५७ में कितनी डकैतियों में सजा हुई और कितनी डकैतियों में मुलजिमों का चालान हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश--१६५६ में कुल ३ डकैतियों में सजा हुई और ४ में मुलजिमों का चालान हुआ। १६५७ में किसी डकैती में सजा नहीं हुई और १४ में मुलजिमों का चालान किया गया।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५७ में देवरिया में इतनी ज्यादा सशस्त्र डकैतियां होने के क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--डकैतियों के बहुत से कारण हैं और उनमें से एक कारण यह भी है कि कुछ जिले सीमा पर स्थित हैं और उन में डकैतियों में विशेषरूप से वृद्धि हुई है और उसको रोकने की चेष्टा हो रही है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सीमा के पास जिले हैं उनमें यह सशस्त्र डकैतियां रोकने के लिये सरकार की ओर से कौन-सी व्यवस्था की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सारी व्यवस्था तो इस समय बताना कठिन है लेकिन पुलिस की पोस्टिंग हुई है, अक्सर थानों में पी० ए० सी० भेजी गयी हैं और इस बात की कोशिश की गयी है कि उधर से आने वाले या इधर के जो गुन्डे बदमाश हैं उधर जाने मे उनके रुकावट डाली जाय और देवरिया और गोरखपुर के इलाकों में इस बात में सफलता भी प्राप्त हुई है और अब उस पर कुछ काबू है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सन् १६५७ मे जो १४ डकैतियों में चालान किये गये उनमें सजा एक को भी नहीं हुई। तो इसका कारण पुलिस की अयोग्यता है अथवा पी० आईज० के चालान करने की प्रणाली का दोषपूर्ण होना।

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो राय का सवाल है दोष तो कुछ नहीं है। आपकी राय है कि पुलिस अयोग्य है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या सरकार के सामने सीमा पर स्थित जिलों की क्राइम की स्थिति को देखते हुए, उसे रोकने के लिये वहां किसी विशेष पुलिस अफसर की नियुक्ति की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--योजना यह है कि इस प्रकार के अपराधों को जरूर रोका जाय। अब वह अधिकारियों की नियुक्ति से हो या किस प्रकार से हो, यह आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गोरखपुर में एक उच्च पुलिस अधिकारी ने उस दिन कहा था कि यहां पर लोगों की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए क्राइम सिचुएशन बिगड़ती जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अफसरों के बयान की आवश्यकता नहीं है। मैं भी और माननीय सदस्य भी गोरखपुर और देवरिया के हालात से काफी परिचित हैं।

श्री गौरीशंकर राय--पिछले ४, ५ सालों से सीमा पर स्थित जिलों की अपराध की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार यह महसूस कर रही है कि साधारणतया जितनी पुलिस फोर्स या अधिकारियों की संख्या है उसके अलावा और भी आवश्यक हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहां आवश्यकता होती है वहां उसका प्रबन्ध किया जाता है। माननीय सदस्य बलिया के हैं, वहां इसका प्रबन्ध किया गया है।

श्री गेंदासिंह--माननीय गृह-मंत्री जी की सूचना जो इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की है उसे सदन के सामने बतलावेंगे कि उसके क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसके अनेक कारण हैं। सीमावर्ती प्रदेश होना एक कारण है। गरीबी भी हो सकता है और होगा। कानून की अवहेलना करने की प्रवृत्ति भी जनता में जो उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, वह भी उसका एक कारण है।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कुछ भी व्यवस्था उन्होंने सीमा पर की है उसके फलस्वरूप कुछ डाकू पकड़े गये या मारे गये और कुछ हथियार भी बरामद हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मेरे पास यह लम्बा-सा विवरण है। सन् १९५६ में एक बन्दूक बरामद हुई और १९५७ में २ बन्दूकें बरामद हुईं। सन् १९५७ में १४ डकैतियां हुईं। ७ मामले न्यायालय में आने पर २ में सजा हुई, कुछ विचाराधीन हैं और कुछ बरी हुये।

गोरखपुर जिले में नईकोट थाने के अन्तर्गत कत्ल

*२६--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की गोरखपुर जिले के नईकोट थाने में १५ जुलाई से १५ अगस्त, १९५७ तक कोई कत्ल हुये ? यदि हां, तो उन में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। इस अवधि में थाना नईकोट में तीन कत्ल हुए जिनमें से एक का चालान किया गया और वह न्यायालय से मुक्त कर दिया गया, दूसरा लापता रहा। तीसरे में पर्याप्त साक्षी न मिलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

बांदा जिले की कर्वी तहसील में आग्नेय-अस्त्रों के लाइसेंस

*२७--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या गृह-मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले की कर्वी-मऊ तहसीलों में सन् १९५६ तथा १९५७ में कुल कितनी दरख्वास्तें असलहा प्राप्त करने के लिये दी गईं और उनमें कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये ? उनके नाम क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--सन् १९५६ में १२५ तथा १९५७ में १३३ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं जिनमें से सन् १९५६ में ४ तथा १९५७ में ४९ लाइसेन्स दिये गये।

लाइसेन्सदारों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८६२-८६३ पर।)

श्री जगपतिसिंह---क्या माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि जबकि १२५ दरख्वास्तें सन् १९५६ में आईं, केवल ३ सरकारी मुलजिमों को और १ ही पब्लिक को असलहा देने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश---लाइसेंस लेने की दरख्वास्तों की जांच-पड़ताल होती है और वह १९५६ में नहीं हो सकी और १९५७ में होने के कारण ५७ में ही उनमे से कुछ को लाइसेंस दिये गये ।

श्री जगपति सिंह---क्या मंत्री जी को मालूम है कि १९५६ में और १९५७ में वही मैजिस्ट्रेट थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । सम्भव है एक ही रहे हों ।

श्री जगवीरसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी दरख्वास्तें थीं, जिनकी १९५६ में जांच शुरू होकर १९५७ में लाइसेंस दिये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश---नोटिस की आवश्यकता है ।

म्युनिसिपल हायर सेकेण्डरी स्कूल, फतेहगढ़ के अध्यापकों को महंगाई भत्ता न मिलना

*२८---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की क्या म्युनिसिपल हायर सेकेण्डरी स्कूल, फतेहगढ़ के अध्यापकों को म्युनिसिपल बोर्डों के अन्य कर्मचारियों की भांति ही महंगाई भत्ता मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं । अध्यापकों को महंगाई भत्ता शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश अनुसार दिया जाता है और बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्गत आदेशानुसार दिया जाता है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कूल का खर्चा म्यूनिसिपल बोर्ड से होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापक म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी समझे जाते हैं, शुद्धरूप से शिक्षा विभाग के प्रत्येक कार्य के लिये ?

श्री कैलाशप्रकाश---म्युनिसिपल बोर्ड में जो अध्यापक काम करते हैं वे म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी होते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---अभी मैंने पूछा कि क्या प्रत्येक व्यावहारिक कार्य के लिये ये अध्यापक म्युनिसिपल बोर्ड के एम्पलाई हैं, मंत्री जी ने कहा कि हां । तो फिर ५ रुपये भत्ते की सुविधा जो और म्युनिसिपल कर्मचारियों को मिलती है अध्यापकों को क्यों नहीं मिलती ?

श्री कैलाशप्रकाश---महंगाई भत्ते के लिये भिन्न कर्मचारियों के लिये भिन्न आदेश हैं ।

फर्रुखाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के हायर सेकेंडरी स्कूल में महंगाई फीस लेना

*२९---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों से महंगाई फीस ली जाती है ? यदि हां तो उस रकम को किस मद में व्यय किया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । म्युनिसिपल ऐक्ट १९१६ की धारा ११४ (१ए) के अनुसार यह धन नगरपालिका के सामान्य कोष में जमा किया जाता है और इसी कोष से अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश ने ५-३-५२ को संचालक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों को म्युनिसिपल बोर्ड के अनुसार ही महंगाई भत्ता दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—सूचना की आवश्यकता है ।

प्रतापगढ़ जिला बोर्ड के अन्तर्गत प्रौढ़-पाठशालायें तथा म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत संगीत भवन के लिये नियोजन विभाग से प्राप्त धन

*३०—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी ओर से जिला प्रतापगढ़ में कितनी प्रौढ़ पाठशालायें चल रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२५ ।

*३१—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ नगरपालिका के अन्दर संगीत भवन के लिये नियोजन विभाग से कुछ धन दिया गया ? यदि हां, तो कितना और किस नियम के अन्तर्गत दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। ५०० रु० नियोजन विभाग के सर्कुलर पत्र संख्या ६१८८/३५-ए—९८-५६, दिनांक १३ जुलाई, १९५६ के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु दिया गया है ।

बस्ती जिले की कथरुआ ग्राम डकैती में घायल महिलाओं की सदर अस्पताल, बस्ती के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*३२—श्री रामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, थाना महुली के अन्तर्गत ग्राम कथरुआ में १९५७ में डाका पड़ा और डाकुओं के बन्दूक के छर्रे तथा लाठियों से कुछ व्यक्ति घायल हुये जिनमें से कुछ घायलों को सदर अस्पताल बस्ती में दाखिल किया गया और कुछ महिलाओं को नहीं दाखिल किया गया जो गोरखपुर अस्पताल में दाखिल हुईं ?

श्री कैलाशप्रकाश—दिनांक १९/२०—११-५७ की रात में डाका पड़ा जिसमें कुछ व्यक्ति घायल हुए थे । बन्दूक के छर्रे से घायल हुये व्यक्तियों को सदर अस्पताल बस्ती में दाखिल किया गया। जो स्त्रियां लाठी से घायल हुई थीं, वे सदर अस्पताल, बस्ती में डाक्टरी मुआइना करा कर गोरखपुर चली गईं ।

*३३—श्री रामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो उपरोक्त घायल महिलाएं गोरखपुर अस्पताल में दाखिल हुईं उनकी लिखित शिकायत बस्ती अस्पताल में न दाखिल किये जाने की जिलाधीश तथा एस० पी०, बस्ती को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—गोरखपुर अस्पताल में उपरोक्त घायल महिलाएं दाखिल नहीं हुईं । सदर अस्पताल बस्ती के कर्मचारियों के विरुद्ध एक श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव ने, शिकायती-पत्र दिया था जिसकी जांच की गई और आक्षेप निराधार पाये गये ।

*३४—श्री रामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त घायल व्यक्तियों के बदन से कुछ बन्दूक के छर्रे भी बरामद हुये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां ।

श्री रामलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह घायल स्त्रियां सदर अस्पताल बस्ती में दाखिल नहीं की गयीं, इस कारण से गोरखपुर गयीं या अपनी मर्जी से गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, उनको लाठियों से चोटें लगी थीं। वे बस्ती अस्पताल में भेजी गयीं। वहां पर उनका मुआयना हुआ। उसके बाद, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी गोरखपुर में थी, इसलिये वे गोरखपुर चली गयीं। अस्पताल में वहां भी दाखिल नहीं हुईं ।

श्री रामलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो शिकायत सदर अस्पताल बस्ती के कर्मचारियों के विरुद्ध हुई वह क्या शिकायत थी और किस अधिकारी के द्वारा उसकी जांच करायी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--शिकायत यह थी कि उनको चोट बहुत लगी थी लेकिन फिर भी उनको अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। इस शिकायत की जांच सिविल सर्जन द्वारा की गयी। उन्होंने इस आक्षेप को निराधार पाया।

श्री उग्रसेन--क्या सरकार के पास उन महिलाओं की ओर से ऐसी शिकायत पहुंची है कि उनको अवैधानिक तरीके से बस्ती के अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उनको मजबूरन गोरखपुर जाना पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी सूचना नहीं है । सूचना यही है कि उनको मामूली चोटें थीं। मरहम पट्टी कराकर वे गोरखपुर अपने रिश्तेदार के पास चली गयीं। शायद गोरखपुर अस्पताल में गयीं। उन्होंने गोरखपुर में चिकित्सा करायी क्योंकि वहां उनके रिश्तेदार थे।

भूख-हड़ताली श्री हरसहाय सिंह को अस्पताल भेजना

*३५--श्री सदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि पर्याप्त समय पूर्व सूचना के साथ अनशन करने के कुछ समय बाद श्री हरसहाय सिंह और उनके साथी गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री गिरफ्तारी के कारण तथा जिन दफाओं के अनुसार गिरफ्तारी हुई उसे सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, क्योंकि भूख-हड़ताल के कारण उनकी दशा शोचनीय हो गई थी। यदि उनको भूख-हड़ताल करने दिया जाता तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाता। चूंकि उनका कार्य आत्म-हत्या का प्रयास (Attempt to commit suicide) के रूप में पाया गया जो धारा ३०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय है उनको जेल के अस्पताल पहुंचा दिया गया।

बरेली जिले में आग्नेय-अस्त्रों के लाइसेंस देना

*३६--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन १९५६ व ५७ में बरेली जिले में तहसीलवार कुल कितने fire-arms के licence दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८६४ पर ।)

*३७--श्री शिवराजबहादुर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त जिले में D. B. B. L. Gun के लाइसेंस के निमित्त प्रार्थना-पत्र छः माह से भी अधिक से पेंडिंग हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

आजमगढ़ जिले की शिक्षा संस्थाओं को फीस माफी का भुगतान न होना

*३८--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में बाढ़ पीड़ित छात्रों की फीस माफी का भुगतान अभी किन-किन विद्यालयों को कितना-कितना करना है? क्या सरकार इसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश--सूचना एकत्रित की जा रही है, पूर्ण होने पर प्रस्तुत की जावेगी।

*३९--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उपरोक्त विद्यालयों को उस धन को देने की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश--सूचना एकत्रित की जा रही है, पूर्ण होने पर प्रस्तुत की जावेगी।

*४०--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या यह सच है कि सरकार ने कक्षा ६ के छात्रों को जो निःशुल्क सन् १९५७ से किया है उसकी क्षति अभी आजमगढ़ जिला के जूनियर हाई स्कूलों को नहीं प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार इसकी व्यवस्था कब तक करने की कृपा करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश--सूचना एकत्रित की जा रही है, पूर्ण होने पर प्रस्तुत की जायेगी?

बलिया के एक सिनेमा-गृह पर विद्यार्थियों का आक्रमण

*४१--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया में सितम्बर, १९५७ के द्वितीय सप्ताह में कालेजों के विद्यार्थियों ने जो एक वृहद् संख्या में एक स्थानीय सिनेमा-गृह पर हमला किया था उसके सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--इस सम्बन्ध में १७ छात्रों के विरुद्ध बलवा करने की रिपोर्ट लिखी गई थी। किन्तु किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि सतीशचन्द्र महाविद्यालय के छात्रों के यूनियन ने संबंधित घटना पर एक प्रस्ताव द्वारा दुःख प्रकट किया और भविष्य में ऐसी भूल न करने का आश्वासन दिया इसी कारण आगे कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं की गई।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या माननीय गृह-मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन छात्रों ने सिनेमा-गृह पर जो हमला किया था उसका क्या कारण था?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, वहां एक सिनेमा है, और उस सिनेमा के पास एक रेस्ट्रां है जिस रेस्ट्रां का मालिक सिनेमा के मैनेजर का भाई है। कुछ लड़के सिनेमा गये, सिनेमा जाने के पहले उन्होंने उस रेस्ट्रां में चाय पी, और २ लड़के उसे चाय का बिना पैसा दिये हुए खिसक गये। वहां एक लड़का कमलाकान्त नाम का था। रेस्ट्रां के मालिक ने यह समझा कि चाय का पैसा यही लड़का देगा। उसने पैसा मांगने पर उसे देने से इन्कार कर दिया। तो मैनेजर ने कमलाकान्त को कुछ बदमाशों से पहचनवा दिया। जब सिनेमा खत्म हुआ तब उन बदमाशों ने कमलाकान्त पर हमला किया और कुछ मारपीट भी हुई। अगले रोज कमलाकान्त ने जाकर अपने विद्यालय में इसकी चर्चा की और विद्यालय के विद्यार्थियों ने जलूस निकाला और सिनेमा-गृह पर हमला किया और सिनेमा की चीजें तोड़ीं तथा रेस्ट्रां की चीजें भी तोड़ीं।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को यह ज्ञान है कि बाद में जांच करने से यह मालूम हुआ कि जो लड़के बिना पैसा दिये चाय पिये, उनमें कमलाकान्त नहीं था बल्कि गलत तरीके से उसको सिनेमा के मैनेजर ने पकड़ा और बाद में सिनेमा हाल के भीतर सिनेमा के मैनेजर ने उसको घिरवा कर अपने गुंडों से पिटवाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--घटना इसी प्रकार की है कि जब उसने पैसा देने से इन्कार किया तो रेस्ट्रां के मैनेजर से और उनसे कुछ कहा सुनी हो गयी और फिर विद्यार्थियों का यह कहना है कि जब कमलाकांत घर जा रहा था तो उसको कुछ बदमाशों ने पीटा और उनका यह कहना है कि ये बदमाश उसी रेस्ट्रां के आदमी थे जिनसे मैनेजर ने कमलाकान्त को पहचनवा दिया और बाद में पिटवाया। दूसरे दिन यह उपद्रव हुआ। जिन लोगों ने कमलाकान्त को पीटा था उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। ३ आदमी गिरफ्तार किये गये और उनका चालान कर दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि जांच करने के बाद यह मालूम हुआ कि कमलाकांत गलत तरीके से पकड़ा गया था और सिनेमा के मैनेजर ने उसको अपने गुंडों से पिटवाया, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो कह रहे हैं कि रेस्ट्रां वाला था, सिनेमा का मालिक नहीं था।

थाना समथर, जिल झांसी में दस्तन्दाजी जरायम के मुकदमे

*४२--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना समथर जिला झांसी में १९५६ व १९५७ में क्रमशः कितने दस्तन्दाजी जरायम के मुकदमे कायम किये गये और इनमें से कितने मुकदमों को तफतीश की गई और कितने मुकदमें अदालत भेजे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--समथर थाने में सन् १९५६ में दस्तन्दाजी जरायम के ३९ मुकदमें कायम किए गए जिनमें से ३५ में जांच की गई और २० में चालान किया गया। सन् १९५७ में भी इस थाने में दस्तन्दाजी जरायम के ३९ मुकदमे कायम किये गए। इनमें से ३७ में जांच की गई और १८ में चालान किया गया।

नियावां पूरे सरैया, जिला सुल्तानपुर में कथित डकैती

*४३--श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १७-११-५७ को मौजा नियावां पूरे सरैया, थाना जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में श्री लक्ष्मन पासी के मकान पर डाका पड़ा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। कोई डाका नहीं पड़ा।

गाजीपुर जिले के व्यायाम अध्यापक का वेतन-क्रम निर्धारित न होना

*४४--श्री यमुना सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो व्यायाम अध्यापक रेफ्रेशर कोर्स राजकीय शारीरिक विद्यालय रामपुर नवम्बर, सन् १९५६ से ट्रेनिंग पाकर गाजीपुर जिले में कार्य कर रहे हैं उनको उनका ग्रेड दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, क्योंकि उनके वेतन-क्रम के निर्धारण का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री यमुनासिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री कलाश प्रकाश---कुछ सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी है, जब सब की रिपोर्ट आ जायगी तो उस पर विचार होगा और फैसला होगा।

बलिया जिला बोर्ड के अन्तर्गत हरिजन व पिछड़े वर्ग के अध्यापकों को तरक्की न मिलने की शिकायत

*४५---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड बलिया अन्तर्गत संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को १९५० ई० से जुलाई सन् १९५७ तक जो सालाना तरक्की मिलती है वह कितनों को दी गई है? इनमें कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७६५-७६६ पर।)

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार को जानकारी है कि पिछड़ी जाति और हरिजन जाति के अध्यापकों की तरक्की के मामले में हकतल्फी हो रही है?

श्री कैलाशप्रकाश---जहां तक इस बोर्ड में तरक्की देने का सम्बन्ध है, उसमें पिछड़ी जाति और हरिजन या अन्य कोई जाति का प्रश्न नहीं है। सन् १९५०-५१, ५१-५२, ५२-५३ और ५३-५४ में जो तरक्की दी गयी है वह सभी को दी गयी है, वे अध्यापक चाहे जिस जाति व बिरादरी के हों। दो वर्ष तक वहां तरक्की नहीं दी गयी तो किसी को भी नहीं दी गयी।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार इसे सूचना मान कर इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---सूचना किस को मान कर?

श्री जगन्नाथ चौधरी---मेरे प्रश्न से सम्बन्धित।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, मैं तो उत्तर दे चुका हूं, अब किस चीज की जांच करानी है? मैं तो स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष---आप अपने प्रश्न को जरा स्पष्ट कीजिये।

श्री जगन्नाथ चौधरी--- मेरा खयाल है कि इस मामले में हरिजनों, पिछड़ी जातियों के अध्यापकों के साथ हकतल्फी हुई है, इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाय।

श्री कैलाशप्रकाश---मेरी सूचना के अनुसार जो मैंने निवेदन किया वह सही है। माननीय सदस्य को यदि कोई ऐसी जानकारी हो तो कृपया वे मुझे लिख कर दें, उसकी जांच पड़ताल की जायगी।

खीरी जिले के नीम गांव थाने में श्री दीनदयाल पांडेय की लड़की द्वारा आत्महत्या

*४६---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे मालूम है कि लखीमपुर खीरी जिले के अन्तर्गत थाना नीमगांव में दीनदयाल पांडे की लड़की दहेज में बाकी रह जाने वाले धन के न देने के कारण मार डाली गई? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट होने पर भी सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस द्वारा मामले की जांच से यह सिद्ध हुआ कि लड़की ने स्वयं खुदकशी की। लड़की के मार डाले जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। अतः मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

सहारनपुर जिले में लाठर देवा हूण के लोगों की देशराजसिंह थानेदार के विरुद्ध शिकायत

*४७--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २४ सितम्बर, १९५७ को लाठर देवा हूण (जिला सहारनपुर) के लोगों को थानेदार देशराज सिंह द्वारा पीटने और १२ अक्तूबर, १९५७ को उपर्युक्त थानेदार तथा टाउन एरिया झबरेडा के चेयरमैन श्री भरत सिंह के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के जलसे को न होने देना और उनके वर्करों को पीटने की जांच सुपरिन्टेडेंट पुलिस द्वारा घटनास्थल पर करने के बाद उस घटना से सम्बन्धित लोगों और विशेष तौर पर थानेदार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--दिनांक २४ सितम्बर, १९५७ को लाठर देवा हूण के लोगों को थानेदार देशराज सिंह द्वारा मारपीट करने की शिकायत ठीक नहीं पाई गई। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दिनांक १२ अक्तूबर, १९५७ की घटना इस प्रकार है--सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, श्री कौशल बाबू नामक व्यक्ति के बाग में मीटिंग करना चाहते थे। श्री कौशल बाबू ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। अतः सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं तथा कौशल बाबू के आदमियों के बीच बहस होने लगी। झबरेडा टाउन एरिया के चेयरमैन श्री भरत सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गये थे। कौशल बाबू की रिपोर्ट पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और किसी प्रकार का झगड़ा न होने पाया। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जांच, जो थानेदार द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में की गयी थी, यह किसके द्वारा की गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--उप-पुलिस अधीक्षक, रुड़की और एस० डी० एम०, रुड़की के द्वारा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि यह सभा जो कौशल बाग में बतलाई जाती है वहां न की जा कर दूसरी जगह की जा रही थी और दूसरी जगह ही जाकर पुलिस ने मारा पीटा ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, मुझे यह मालूम नहीं है। जो रिपोर्ट व सूचना मेरे पास है वह मैंने आपके सामने उपस्थित कर दी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जो जांच दरोगा जी के खिलाफ की गयी थी क्या यह सच है कि उस सम्बन्ध में अन्ततोगत्वा दरोगा जी ने ही रिपोर्ट भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--मैं निवेदन कर चुका कि यह जांच डी० एस० पी० द्वारा हुई और एक दरख्वास्त दी गयी एस० डी० एम० महोदय को तो उन्होंने पृथक से उसकी जांच की।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जो रिपोर्ट उप-अधीक्षक महोदय ने की है उसे क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ये रिपोर्टस कांफिडेंशियल होती हैं।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हिन्दी के अतिरिक्त पाठ्यक्रम में अन्य भारतीय भाषायें

*४८--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने हिन्दी भाषा से भिन्न भारत की तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती तथा मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं को प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने हिन्दी के अतिरिक्त भारतीय संविधान के ८ वें अनुच्छेद में उल्लिखित निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया है ।

संस्कृत, उर्दू, गुजराती पंजाबी, बंगाली, मराठी, आसामी, उड़िया, कनारी (कन्नड़), काश्मीरी, तामिल, तेलगू एवं मलयालम ।

हिन्दी के अतिरिक्त इन भाषाओं में से कोई भी अनिवार्य विषय के रूप में हाई स्कूल अथवा इण्टर परिक्षाओं में ली जा सकती हैं । उक्त भाषाओं को साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत ऐच्छिक विषय के रूप में भी परीक्षार्थियों द्वारा लिये जाने की सुविधा है ।

कतिपय विद्यालयों में इस समय उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, मराठी तथा गुजराती भाषाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था है ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी इन विषयों में परीक्षा दे सकते हैं ।

उड़िया, कनारी (कन्नड़) तामिल, तेलगू, तथा मलयालम भाषाओं के भी पाठ्यक्रम निर्मित हो चुके हैं किन्तु अभी किसी विद्यालय ने इन विषयों की मान्यता हेतु आवेदन नहीं किया है और न किसी विद्यालय को इन विषयों में मान्यता दी गई है।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी इन विषयों में १९६० की परीक्षाओं से परीक्षा दे सकेंगे ।

काश्मीरी तथा आसामी भाषाओं के पाठ्यक्रम अभी निर्मित नहीं हुए हैं । पाठ्यक्रम निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

झांसी जिले के कुख्यात डाकू देवी सिंह की गिरफ्तारी के लिये इनाम की घोषणा

*४९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में कुख्यात दस्यु देबी सिंह के ऊपर डकैतियों व हत्याओं के कितने मुकदमें दर्ज हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दस्यु देवी सिंह के ऊपर जिला झांसी में डकैतियों व हत्याओं के ७ मुकदमें दर्ज हैं ।

*५०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवी सिंह की गिरफ्तारी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कितना इनाम घोषित है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दस्यु देवी सिंह की गिरफ्तारी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से २,००० रुपये का इनाम घोषित है।

रौनापार पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*५१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला-धीश, जिला पुलिस कप्तान अथवा सरकार के पास रौनापार पुलिस के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पहली जनवरी, १९५७ से अब तक कौनापार पुलिस के विरुद्ध ९ प्रार्थना-पत्र जिले के उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुये। इनमें से ८ पर डी० एस० पी० (कम्पलेंटस) द्वारा जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप ३ प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोप पूर्ण अथवा आंशिक रूप में सही पाये गये। दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों को दंड दिया गया। एक प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उसका निर्णय होने पर प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

फतेहपुर जिले में डकैतियां तथा दफा १०७ के मुकदमों में सजा

*५२--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में सन् १९५७ ई० में कितने जाब्ता फौजदारी की दफा १०७ के केस पुलिस द्वारा चलाये गये और उनमें से कितने खारिज हुये और कितने सजायाब हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७ ई० में दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के कुल २०९ केस पुलिस द्वारा चलाये गये। इनमें से केवल ७ केस खारिज और २८ सजायाब हुये।

*५३--श्री वासुदेव दीक्षित--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ ई० में फतेहपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाये गये दफा १०७ के केसों में कितने एक तरफा और कितने दो तरफा थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त अवधि में दफा १०७ के ११४ केस एक तरफा और ९५ केस दो तरफा पुलिस द्वारा चलाये गये।

*५४--श्री वासुदेव दीक्षित--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में सन् १९५७ ई० में कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५७ में इस जिले में ९ डकैतियां पड़ी।

बदायूं जिले के खैरा जलालपुर गांव में शराब कशीदगी की कथित जांच

*५५--श्री टीकाराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९-७-५७ को गांव खैरा जलालपुर, थाना उराहत, जिला बदायूं में शराब कशीदगी व बदमाशों के गिरोह के सम्बन्ध में पुलिस कप्तान ने कोई जांच की ? यदि हां, तो उसका क्या प्रतिफल हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस तारीख को पुलिस कप्तान बदायूं ने गांव खैरा जलालपुर में शराब कशीदगी व बदमाशों के गिरोह के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

इलाहाबाद में श्री गोपीनाथ सेठ की रहस्यमय मृत्यु

*५६--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के गोपीनाथ सेठ की लाश प्रथम पक्ष फरवरी, १९५७ के किसी रविवार की रात्रि को दारागंज थाने में बंद रोड के मैदान में मिली थी ? यदि हां, तो घटना क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न में उल्लिखित मृतक श्री गोपीनाथ सेठ की लाश फरवरी, १९५७ के प्रथम पक्ष में नहीं बल्कि ९ फरवरी, १९५८ के ४ बजे शाम को बाद रोड के नीच आम रास्ते पर मिली थी घटना संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

घटना के दिन सेठ जी कुछ कार्यवश अपने निवास स्थान २९, गंगादास चौक, इलाहाबाद से श्री शिवनारायण बनिया जो कि बड़ा बघाड़ा, मु० थाना कर्नलगंज में रहते हैं, के मकान जाने के लिये रवाना हुये थे। यह स्थान उनके मकान से ६ मील की दूरी पर है। सेठ जी को दौरे की बीमारी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पैदल चलने के कारण

उनकी बीमारी उभड़ आई । मृत्यु का निश्चित कारण स्पष्ट नहीं हो सका है । उनके शरीर में किसी प्रकार की चोट इत्यादि नहीं पाई गई ।

*५७--श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोपीनाथ सेठ कितने दिन से लापता थे और उनके साथ में कितना धन था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वे लापता नहीं रहे । उनकी मृत्यु उसी दिन (९-२-५८) को हो गई थी जिस दिन वे मकान से श्री शिवनारायण (बनिया) से मिलने को रवाना हुये थे । उनके पास एक चाभी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला ।

*५८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[हटा दिया गया ।]

दीक्षा विद्यालयों में छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

*५९--श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन राजकीय दीक्षा (नार्मल) विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गई है और किन-किन को दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सभी छात्रवृत्तीय छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति दे दी गई है ।

*६०--श्री श्रीनाथ---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन दीक्षा विद्यालयों को इस वर्ष की छात्रवृत्ति अब तक एक माह की भी नहीं दी गई है उसका क्या कारण है और कब तक यह दे दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---छात्रवृत्ति दे दी गई है । प्रश्न नहीं उठता ।

*६१--श्री श्रीनाथ---क्या यह सही है कि फैजाबाद और गोरखपुर महिला दीक्षा विद्यालयों की छात्राओं को भी छात्रवृत्ति अब तक किसी भी माह की नहीं दी गई ? इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह सही नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में गन्ने की सिंचाई नलकूपों से कराने की प्रार्थना

*६२--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में १३,८३७ एकड़ में गन्ने की जो खेती कुओं द्वारा सींची जाती है उसकी सिंचाई की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप आदि द्वारा करेगी ?

श्री राममूर्ति---गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में पानी का स्ट्रेटा (Steata) बहुत असन्तोषजनक है । दो बार बोरिंग के पश्चात ४ नलकूप छोड़ देने पड़े । इस क्षेत्र में गन्ने की खेती की सिंचाई नलकूप द्वारा होगी या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता ।

*६३--श्री गौरीराम गुप्त---अगर हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को निःशुल्कता के लिये आदेश

*६४--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत बाढ़ के सम्बन्ध में निःशुल्कता की सहायता देने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को कब दिया गया और उनके द्वारा शिक्षा संस्थाओं को धन कब दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रथम बार ४ मास के लिये दिनांक २८ सितम्बर, १९५६ को तथा द्वितीय बार ६ मास के लिये दिनांक १५, नवम्बर १९५६ को शासकीय आदेश जारी हुये किन्तु

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचरी]

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को जिलाधीश, आजमगढ़ से वितरण के हेतु धन प्रथम बार दिनांक १० दिसम्बर, १९५६ को तथा द्वितीय बार २३ मार्च, १९५७ को एवं तृतीय बार नवम्बर, १९५७ में प्राप्त हुआ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने शिक्षा संस्थाओं को दिसम्बर ११, १९५६ से १५ मई, १९५७ तक के बीच धन का वितरण किया । तृतीय बार जो धन नवम्बर, १९५७ में प्राप्त हुआ है उसके वितरण के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में लड़कियों के स्कूल

*६५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में लड़कियों के उच्चतर माध्यमिक एवं जूनियर माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उनमें से कितने बस्ती जिले की तहसील डुमरिया गंज में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बस्ती जिले में लड़कियों का केवल एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा ९ जूनियर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें से दो जूनियर माध्यमिक विद्यालय तहसील डुमरियागंज में हैं ।

*६६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार का इरादा वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में कोई लड़कियों का स्कूल खुलवाने का था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

मुजफ्फरनगर जिले की शिक्षा संस्थायें

*६७—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में कितने सरकारी, जिला बोर्ड व पब्लिक के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुजफ्फरनगर जिले में सरकारी, जिला बोर्ड व पब्लिक के स्कूलों की संख्यायें निम्नलिखित हैं :

प्राइमरी		जूनियर हाई	हायर सेकेण्डरी
—	..	३	२
५२६	..	५०	..
२	..	१८	४५

*६८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ में अलग-अलग उक्त प्रकार की संस्थाओं को अलग-अलग क्या संख्या थी और विद्यार्थियों की अलग-अलग क्या संख्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८६७ पर)

सूचना विभाग द्वारा निर्मित फिल्मों पर व्यय

*६९—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५० से अप्रैल, सन् १९५८ तक प्रदेश की सूचना विभाग द्वारा कितनी फिल्में प्रति वर्ष निर्मित हुईं और उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

*७०--**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या सरकार सूचना विभाग द्वारा निर्मित फिल्मों को अधिक शैक्षिक एवं लोकप्रिय बनाने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--फिल्मों को बनाते समय तो बराबर यही चेष्टा रहती है कि वे शैक्षिक और लोकप्रिय हों। इसमें सफलता भी मिली है। इसके अलावा कोई और योजना नहीं है ।

मैनपुरी जिले में शिकोहाबाद थाने के मालखाने से कारतूसों की चोरी

*७१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में शिकोहाबाद थाने के मालखाने से १ जनवरी सन् १९५६ ई० के और ३१ दिसम्बर, सन् १९५७ ई० के बीच में कारतूस चोरी गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । ५० कारतूस चोरी गये हैं ।

ग्राम चौकीदारों को महंगाई भत्ता न मिलना

*७२--**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस चौकीदार भी राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं ? यदि हां, तो सन् १९५७-५८ ई० के बजट में १०० रु० से कम वेतन पाने वालों के महंगाई भत्ते में जो ५ रु० बढ़ाया गया है वह गोंडा जिले के चौकीदारों को दिया गया है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ग्राम चौकीदार केवल अंशकालिक सरकारी कर्मचारी हैं और वे १०० रुपया मासिक से कम वेतन पाने वाले पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते । अतः प्रश्न का द्वितीय भाग नहीं उठता ।

*७३-७५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--[१८ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

वाराणसी जिले में चन्दौली सिंचाई विभाग के स्टोर में चोरी

*७६--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला वाराणसी)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी जिले के चंदौली सिंचाई विभाग के स्टोर में पिछले वर्ष कई दफा चोरियां हो गयी थीं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कौन-कौन सी वस्तुयें चोरी गईं ?

श्री राममूर्ति--चन्दौली स्टोर्स में केवल एक बार दिनांक १७ और १८ दिसम्बर, १९५६ की रात्रि में चोरी हुई थी और उसमें ४ टन ९ हंडरवेट २ क्वार्टर १५ पौंड की लोहे की छड़ें चोरी गयीं ।

*७७--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी**--क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी ? यदि हां, तो क्या गिरफ्तार व्यक्ति ने किसी विभागीय इंजीनियर या ओवरसियर को भी चोरी में शामिल बताया था ?

श्री राममूर्ति--जी हां, एक स्टोर कीपर श्री वासुदेव तिवारी की गिरफ्तारी हुई और उसने एक असिस्टेंट इंजीनियर तथा एक ओवरसियर पर चोरी का आरोप लगाया है। मुकदमा Session Court में चल रहा है ।

*७८-७९--**श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल** (जिला गोंडा)--[१८ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलेक्ट्रिकल मेकैनिकल डिवीजन, बनारस से माल गायब होने की जानकारी

*८०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को इलेक्ट्रिकल मेकैनिकल डिवीजन, बनारस में १८ या २० टन माल जो लगभग १ लाख रुपया का होगा, के गायब होने की खबर हाल में मिली है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । ऐसी कोई खबर नहीं मिली है ।

*८१-८२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१८ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८३—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—[१८ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८४—डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा—[हटा दिया गया ।]

*८५—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—[१८ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले के लिये नलकूपों की स्वीकृति

*८६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पहली पंचवर्षीय योजना में कानपुर जिले में कितने ट्यूबवेल स्वीकार हुये और उनमें से कितने अब तक बन गये हैं ?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चार राजकीय, पांच सहकारी तथा नौ व्यक्तिगत नलकूप स्वीकृत हुये थे । इनमें से चार राजकीय तथा तीन व्यक्तिगत नलकूप सफल बना दिये गये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

मैनपुरी जिले के थानेदार

१—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे थानेदार कितने हैं जिनको एक ही थाने में रहते तीन साल हो गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई भी थानेदार मैनपुरी जिले में नहीं है ।

लखनऊ में छितुआपुर पुलिस चौकी के सामने विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली वर्षा के सम्बन्ध में छः कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं, जिनका विषय एक ही है और एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव बाद में आया, वह दूसरे विषय का है । पहले में जिस विषय पर कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं उन्हें लिये लेता हूं । श्री त्रिलोकीसिंह जी का यह कामरोको प्रस्ताव है :—

"मैं निम्नलिखित कामरोको प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आज विधान सभा की बैठक में उपस्थित करना चाहता हूं । निश्चय हुआ कि विधान सभा की बैठक एक निश्चित सार्वजनिक महत्व के आवश्यक प्रश्न, अर्थात् २ अगस्त, १९५८ को लखनऊ नगर में छितुआपुर पुलिस चौकी के करीब पुलिस का अकारण विद्यार्थियों के जुलूस पर अन्धाधुन्ध गोली चलाना और उसके द्वारा जख्मियों की दवा की व्यवस्था न करने पर विचार करने के लिये स्थगित की जाय ।"

यह कामरोको प्रस्ताव उन्होंने दिया है, और भी इस विषय पर और लोगों के हैं। उनमें श्री यादवेन्द्रदत्त जी का भी है, श्री राजनारायण जी का है, झारखंडे राय जी का भी है, श्री ऊदल जी का है और मदन पांडेय जी तथा नारायणदत्त तिवारी जी का भी है। उनकी शब्दावली अलग है, लेकिन विषय यही है। मैं समझता हूं कि त्रिलोकीसिंह जी का जो यह प्रस्ताव है, यह वैध हैं क्योंकि उसका विषय निश्चित है, महत्वपूर्ण भी है और अर्जेन्ट भी मालूम होता है। तो अगर वे इस विषय में चाहें तो सदन से अनुमति प्राप्त करने के लिये संक्षेप में प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मान्यवर, यदि माननीय नेता सदन को कोई आपत्ति न हो तो .....

श्री अध्यक्ष--प्रार्थना आप कर लीजिये तब तो आपत्ति का समय आयेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं आप का कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस कामरोको प्रस्ताव के लिये अवसर दिया है कि उपस्थित करने की आज्ञा इस आदरणीय सदन से मैं मांगू।

श्री अध्यक्ष--इतना ही काफी है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस कामरोको प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता। मैं भी चाहता हूं कि इस विषय पर विचार हो जाय। परन्तु एक निवेदन मुझे आपके द्वारा माननीय त्रिलोकीसिंह जी से करना है और दूसरे सज्जनों से भी जिन्होंने कामरोको प्रस्ताव पेश किये हैं, कि जहां तक मुझको ज्ञात है माननीय त्रिलोकीसिंह, माननीय राजनारायण, माननीय यादवेन्द्रदत्त, माननीय झारखंडेराय और कुछ और माननीय सदस्य भी इस प्रयत्न में लगे हुये हैं जिससे कि वह परिस्थिति जिसके फलस्वरूप वह कांड हुआ जिसकी कि इसमें चर्चा है सुलझ जाय। मेरा ऐसा खयाल है कि यदि इस वक्त यानी आज इस कामरोको प्रस्ताव पर विवाद होगा तो परिस्थिति सुलझने के बदले कुछ और बिगड़ सकती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस कामरोको प्रस्ताव को मान लिया जाय परन्तु इस पर विवाद के लिये आज की तारीख न रख कर दो तीन दिन के बाद की तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष--अगर माननीय नेता विरोधी दल भी इस मत के हों तो बात दूसरी है।

श्री त्रिलोकीसिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इस पर विचार करने के लिये कल का समय नियत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, मैं समझता हूं कि कल का समय हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, एक निवेदन मुझे इस संबंध में यह करना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव का विरोध न करके संसदीय परम्परा में, जब से हम लोग यहां पर हैं, इससे पूर्व आज तक जो परम्परा रही है उसमें एक नया मोड़ दिया है। मगर यह नवीन मोड़ सही में फल दे यह हमारी इच्छा है। इसलिये हम उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति फिर न पैदा हो जिससे कि विद्यार्थियों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर फिर पुलिस को गोली चलाने की नौबत आये क्योंकि जो मकसद माननीय मुख्य मंत्री जी का है कि यदि सदन में सारी बातें हों तो उनमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिसमें पुलिस को प्रोत्साहन मिले और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिससे उनके सही चित्र का उद्घाटन भी हो। तो उनका ऐसा खयाल है कि उसमें फिर भी आगे परिस्थिति गम्भीर हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को कोई न कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे स्थिति बिगड़े न। जहां तक मुझे मालूम है विद्यार्थियों

[श्री राजनारायण--]

की तरफ से उनका जुलूस अगर आयेगा भी तो शान्तिपूर्ण रहेगा, पूर्ण अनुशासित रहेगा, कानून के मुताबिक रहेगा और वह बिल्कुल बंधा हुआ लाइन में चलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी ओर से कोई भी उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं की जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह चर्चा बाहर कर सकते हैं। क्योंकि, जब आपस में बातचीत बाहर चल रही है तो बाहर ही सदस्यगण उसे जारी रख सकते हैं, लेकिन सदन में यह कहने की बात नहीं है।

श्री राजनारायण--इसीलिये निवेदन किया कि उसकी जो अर्जेंसी थी उसी मकसद से....

श्री अध्यक्ष--ब्यौरे में न जाइये आप।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन भावनाओं का इजहार यहां पर किया है मेरी उससे सहमति है। लेकिन जिस भाव से इस कामरोको प्रस्ताव पर बहस कल के लिये मुल्तवी की गई है वह एक प्रशंसनीय विचार है। उसी के आधार पर मैं यह अपील करूंगा आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हमारे इस हाउस के सामने आने वाला है जहां विद्यार्थी अपनी बातों को रखेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात न हो जिससे कि कल जो बहस होने वाली है उसमें वह चीजें पैदा हों जिनको पैदा करना कोई भी नहीं चाहता है और जिस कारण से ही यह बहस मुल्तवी की गई है। मुझे यही आग्रह और निवेदन आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से करना है कि इसके लिये जो भी वह संभव कदम उठा सकें उठायें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय राजनारायण जी, और माननीय झारखंडे राय जी ने जो भावनाएं प्रकट की हैं उन्हीं का मैं भी समर्थन करता हूं। उन्हीं के संबंध में कुछ कहना चाहता था लेकिन चूंकि वह कह चुके हैं इसलिये मैं अधिक नहीं कहूंगा। केवल एक प्रार्थना जो उन्होंने अपील की है उसमें अपनी प्रार्थना भी शामिल करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह देखेंगे कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव टैक्ट से ऐसा काम लें जिससे परिस्थिति और वातावरण शान्तिमय हो, बिगड़ने न पाये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही और जिन कारणों को दृष्टि में रख कर कही कि कल इस पर वाद-विवाद हो, उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे केवल एक ही निवेदन करना है कि जिस प्रकार के वातावरण को हम सब बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस वातावरण में माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का प्रयास करें कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किसी प्रकार का उस वातावरण के बिगाड़ने में कोई कदम न उठे। यही मेरा उनसे निवेदन और आग्रह है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मुझको इस बात के कहने की आवश्यकता न होनी चाहिये कि सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहता है और रहेगा कि कोई ऐसी बात न हो जिससे जनता में या जनता के किसी वर्ग में उत्तेजना फैले। सरकार की हमेशा कोशिश है कि शान्ति रहे और जो लोग शान्तिपूर्ण तरीके से कोई काम करते हैं उनको सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। यों अगर किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है तो उसके लिये जो व्यवस्था होती है वह स्थानीय अधिकारियों की है। सरकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध उस से नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी तरफ से सरकारी अहलकार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शान्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा पड़े।

श्री राजनारायण---मुझे एक बात जानकारी के लिये और कहनी है। मैंने कल रात को माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि वह अपनी हथियार बन्द पुलिस को हटा लें और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है कि प्रदर्शन शान्त रहेगा और मैं उस आफर (प्रतिज्ञा) को अब भी रखता हूं .....

श्री अध्यक्ष---बात यह है सब लोग बोल चुके हैं। अब आप कृपया न बोलें।

श्री राजनारायण---उनका अगर जुलूस आयेगा तो मैं साथ रहने के लिये तैयार हूं, मंत्री जी पुलिस को हटा लें।

श्री अध्यक्ष---आप व्यौरे में नहीं जा सकते।

बलिया जिले में सुरहा झील में पानी की कमी के कारण सूखे की परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी का है कि "बलिया जिले में कटहर नाला पर नवनिर्मित रेगुलेटर के दोषपूर्ण निर्माण के कारण गंगा नदी का पानी सुरहा झील में जाना बन्द हो जाने से तथा अधिकारियों द्वारा रेगुलेटर से पानी निकास की व्यवस्था न कर सकने के कारण प्रायः २० हजार एकड़ धान के सूखने की स्थिति पैदा हो जाने के कारण जनता में अत्यन्त चिन्ता एवं क्षोभ व्याप्त होने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचारार्थ सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

उनके पास एक तार आया था, उसी के भरोसे उन्होंने यह कामरोको प्रस्ताव दिया है। मैं इसको कामरोको प्रस्ताव का विषय स्वीकार नहीं करता और इसको निश्चित और ठीक शब्दों में पेश भी नहीं समझता, केवल संबंधित मंत्री कृपया सूचित कर दें कि मामला क्या है।

सिंचाई राज्यमंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, बलिया जिले में सुरहा एक बहुत बड़ा ताल है, मेरी इस संबंध में श्री गौरीशंकर राय जी से बात भी हुई थी। ताल में हमेशा से वर्षा का पानी अधिक भरता रहा है और उस पानी को निकालने के लिये आटोमेटिक रेगुलेटर्स लगाये गये हैं और उनसे जब कभी पानी बढ़ता है तो वाह निकल जाता है। लेकिन जब गंगा में पानी बढ़ा रहता है तो वह नहीं निकल सकता क्योंकि रेगुलेटर पर ढक्कन लगाया गया है जो बहाव से रुक जाता है। हमेशा तो सवाल यह था कि पानी किस तरह से निकाला जाय, लेकिन अब सवाल यह है कि किस तरह से गंगा का पानी लिया जाय, रेगुलेटर इस काम के लिये तो बना नहीं है। जब मेरे नोटिस में यह बात लाई गई तो हमने चीफ इंजीनियर की राय ली और अब जो कच्चा बांध रेगुलेटर के पास बंधा है उसको तोड़ कर ह्यूम पाईप डालने की कोशिश की गई है ताकि उसके जरिये से पानी आ सके। इस मामले पर आगे वर्षा खत्म होने पर गौर किया जा सकता है। यह एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है, पानी को बजाय बाहर निकालने के अब उसे अन्दर लाने का सवाल है। इस संबंध में जो कुछ भी इस वक्त किया जा सकता था वह कर दिया गया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---सुरहा ताल में कटहर नाले से गंगा से ही पानी आता है। उसके लिये नहर निकली है लेकिन रेगुलेटर इस कदर गलत बने हैं कि गंगा का पानी.....

श्री अध्यक्ष---आप इसके बारे में उनसे बातचीत कर लें, उन्हें जो मालूम था वह उन्होंने बता दिया। अब बहस से काम नहीं चलेगा आप मंत्री जी से बिचार विनिमय कर लें।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) बिधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ फरवरी, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २६ मार्च, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ जुलाई , १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया ।

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के संगठन के संबंध में विधान परिषद् का संदेश

*न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव से सहमत है :

"मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य विधि की नियम १ (क) में दी हुई सूची में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों के सामने स्तम्भ ३ और ४ में दी हुई संख्या '१४' और '३' के स्थान पर क्रमशः संख्या '१६' और '४' रख दी जाय ।"

यह स्तम्भ ३ में विधान सभा के सदस्यों की संख्या है और स्तम्भ ४ में विधान परिषद् के, यह अब तक १४ और ३ थी, किन्तु अब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या १०८ हो गई है, इधर विधान सभा में ४३१ हैं । तो यह १ और ४ के रेश्यो से स्थायी समितियां हैं । इनमें भी ऐसी संख्या होनी चाहिये, इसको विचार कर यह सुधार या संशोधन किया गया है । अब विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या ४ हो जायगी और विधान सभा के सदस्यों की संख्या १६ हो जायगी । १६ और ४ में ४ और १ का रेश्यो हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव से सहमत है :

"मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन , संगठन तथा कार्य. विधि की नियम १ (क) में दी हुई सूची में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों के सामने स्तम्भ ३ और ४ में दी हुई संख्या '१४' और '३' के स्थान पर क्रमशः संख्या '१६' और '४' रख दी जाय" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश की खाद्य समस्या पर विवाद

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, अपने देश की खाद्य स्थिति के सिलसिले में इसी सदन में कई बार बात-चीत हो चुकी है और मैंने भी अपने बयान में जो गवर्नर के एड्रेस के जवाब में यहां अर्ज किया था उसमें कुछ उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया था । माननीय सदस्यों नें भी उसके सिलसिले में अपने-अपने विचार यहां प्रकट किये । जो स्थिति उस वक्त थी उसमें और जो स्थिति इस वक्त है कुछ ज्यादा अन्तर नहीं हुआ है । मगर, बहरहाल मैंने एक तहरीरी बयान हिन्दी में लिखवा करके माननीय सदस्यों की खिदमत में बंटवा दिया है, जो मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को मिल गया है ।

जो बातें कि उसमें कह दी गयी हैं उनको फिर तफसील के साथ मैं दोहराना नहीं चाहता । उसमें सिर्फ यह कहना है कि जैसा कि उस बयान में लिखा हुआ है मार्च तक हमारे यहां अन्न की स्थिति काबिले इत्मीनान थी, यहां तक कि गेहूं का भाव बाजार में उस वक्त तकरीबन १६ रुपये मन से कुछ कम, चने का भाव ११ रुपये मन के लगभग,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बारली का भाव १० रुपये मन के लगभग और चावल का भाव, तीसरी क्वालिटी का जो आम तौर से होता है, कोई २२ रुपये के लगभग था। उस वक्त हमारे पास अनाज भी काफी मिकदार में था, ४० हजार टन के करीब व्हीट था और कुछ मोटा अनाज भी जो हमने खरीदा था हमारे पास मौजूद था। हमारा खयाल था कि अब कोई ऐसी सूरत नहीं है जिससे हमको अन्देशा हो, यह भी खयाल था कि फसल भी काफी अच्छी होगी। लेकिन उसी के बाद से जो फसल आई और खासतौर से मई की पहली फोर्टनाइट में यह पता चला कि कुछ अनाज जो बाजार में आ रहा है वह किसी कदर कम है। उसके बाद जैसा कि उस रिपोर्ट में आप देखेंगे, यह भी पता चला कि जो जनम थी, जिस पर खेती हुई थी, वह भी जहां तक कि गेहूं का और चने और जौ का ताल्लुक है, उसकी मिकदार घट गयी। जो पैदावार थी वह तकरीबन साढ़े आठ लाख टन के जो पारसाल हुई थी उसके मुकाबले में कम हुई। तो इसकी वजह से लाजमी तौर से बाजार के ऊपर कुछ असर पड़ा और जो आंकड़े बयान में दिये गये हैं उससे यह मालूम होगा कि किस तरह से इतनी कमी बराबर होती चली गयी। यहां तक कि जून के महीने में जैसा कि इन आंकड़ों से पता चलेगा और पारसाल से मुकाबला किया जाय तो ऐसा मालूम होता है कि तकरीबन ढाई रुपये से चार रुपये फी मन का अंतर पड़ गया और सब सूबे में, खास तौर से पश्चिमी जिलों में काफी अन्तर हुआ और दाम एकदम बढ़ते चले गये। जब यह सूरत हुई तो सरकार को परेशानी हुई और हमने प्रयत्न शुरू किया कि इसका मुकाबला कैसे किया जाय। जो अनाज हमारे पास रखा था वह मोटा था और गेहूं ४० हजार टन के करीब था, लेकिन जो नई समस्या पैदा हुई उसके लिये काफी नहीं हो सकता था चुनांचे हमने सेंट्रल से दरख्वास्त की और उन्होंने यह वायदा किया कि ८० हजार टन गेहूं जून और जुलाई के लिये देंगे जिससे नई दुकानें खोल दें।

जिस वक्त यह ऐलान हुआ उससे कीमतें कुछ घटीं, लेकिन फिर भी बढ़ती रहीं। यहां तक कि आप देखेंगे कि जून और जुलाई के महीनों में जो फर्क हुआ है उससे मालूम होता है कि बावजूद इसके कि जून में निर्ख बढ़ गये थे, जुलाई में और भी बढ़ते चले गये बल्कि जो हमारी दुकानें खुलीं और उनसे जो सामान लिया जा रहा था उसमें भी काफी इजाफा हुआ। उस जमाने में नई-नई फसल आई थी और लोगों के पास अनाज था इसलिये अप्रैल के महीने में ज्यादा खरीदारी नहीं थी। लेकिन इसके बाद यकायक बढ़ती शुरू हुई और उसकी संख्या, इस बयान में जो तकसीम कर दिया गया है, आपने देखा होगा कि मौजूद है, लिख दी गई है।

इन फेयर प्राइस शाप्स के खोलने के अलावा सरकार ने सोचा कि कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। इसी जमाने में हमें मालूम हुआ कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट भी अनाज बाजार में खरीद रहा था और उस खरीदारी की वजह से निर्ख ऊपर जा रहा था उसी के साथ-साथ हमें यह भी मालूम हुआ कि रोलर फ्लावर मिल्स जो आटा बनाती हैं, उनको इजाजत थी कि वह मैदा और सूजी बाहर भेज सकती थीं। उनके मुताल्लिक जब हमें इत्तला हुई तो हमने केन्द्रीय सरकार से कहा था कि उनकी खरीदारी रोक दी जाय और अपने यहां से गेहूं दिया जाय। इसमें कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन जुलाई में अहकामात आगये जिससे ऐसा हो गया है कि जितनी रोलर फ्लावर मिल्स हैं, वह अपने मुल्क के गेहूं को नहीं पीस सकती हैं। वे वही गेहूं पीस सकती हैं जो बाहर से आया है और यह कानून तकरीबन १५ दिन से लागू हो गया है। इसी के साथ-साथ हमने चना और चावल भी मांगा है। चावल उन्होंने एक हजार टन भेज दिया है जिसको हम सिर्फ पर्वतीय इलाकों में तकसीम कर रहे हैं। जो फेयर प्राइस शाप्स खुली हुई थीं उनकी तादाद आप देखेंगे कि मई के आखीर में २,३१८ थीं, लेकिन जिस वक्त जून और जुलाई में कीमतों का बढ़ना शुरू हुआ तो हमने ज्यादा दुकानें खोलीं और इस वक्त ३,४०० से ज्यादा दुकानें हमारे तमाम प्रदेश में खुल चुकी हैं और उनके जरिये से जो अनाज तकसीम हो चुका है, पहली अप्रैल अखीर जुलाई तक, वह तकरीबन साढ़े इक्कीस लाख मन गेहूं और पौन लाख मन मोटा अनाज है। हमने कोशिश की है कि कीमतों को रोका जाय। यह भी मालूम है लोगों को कि बरसात के कारण जो देर में शुरू हुई, लेकिन बहरहाल अब शुरू हो गई है, उसका भी असर पड़ा है। यह नहीं

[श्री सैयद अली जहीर--]

कहा जा सकता है कि कीमतें काफी तौर से कम हो गई हैं, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि जो उनके दाम आगे बढ़ने की टेंडेंसी थी वह यकीनन रुक गयी हैं। बीस रुपये मन के लगभग, कहीं पर इक्कीस और कहीं पर उन्नीस हैं--इस तरह से कीमतें गयी हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कीमतें इसके बाद गालिबन घटती ही रहेंगी ।

एक जनरल क्वैश्चन भी माननीय सदस्यों के गौर करने के लिये है। अभी यहां पर एक डिबेट हुआ था और उस डिबेट के सिलसिले में यह बहस उठी थी कि गन्ने का निर्ख बढ़ा दिया जाय जिसकी गरज जाहिर यह है कि काश्तकारों को इसके जरिये से मदद पहुंचे और उनकी आर्थिक दशा बेहतर हो। अब अगर आप एक तरफ गन्ने की कीमत बढ़ाते जायेंगे और अगर अनाज की कीमत उस हिसाब से न बढ़ी तो जाहिर है कि हर शख्स को यह खयाल होगा कि हम क्यों न ऐसी चीज पैदा करें अपनी जमीन पर जिसमें हमें काफी मुनाफा हो। इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अन्न का उत्पादन बढ़े तो उसकी भी कीमत हम को बढ़ानी पड़ेगी ।

आपको मालूम है कि जब मुल्क किसी इस तरह के प्लान को चलाता है, करोड़ों रुपया जनता में फैल रहा है, उसकी वजह से अगर हमारी जरूरियात काफी नहीं होंगी तो चीजों की कीमतों का एक हद तक बढ़ना लाजमी है ।

दूसरा सवाल यह है कि जब ऐसी-ऐसी जरूरी चीजों की, जैसे अनाज या इस किस्म की चीजों की कीमत बढ़े तो उसको कहां पर रोका जाय और उसके साथ-साथ जो कठिनाइयां औसत दरजे के लोगों और मजदूर पेशे के लोगों को हों, उनकी आमदनी उसके हिसाब से कहां तक हो जाय, इन सब बातों का लिहाज करना एक दूसरा सवाल होता है। लेकिन कीमत का एक हद तक बढ़ना यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम को खास तौर पर परेशानी हो। जब कीमत बढ़ेगी तभी काश्तकार को यह ख्वाहिश होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा मिकदार में अनाज पैदा करे। आपको मालूम होगा अभी चार साल के करीब हुये उस वक्त सरकार को यह चिन्ता हुई थी कि हम फौरन खरीददारी शुरू कर दें ताकि गेहूं का निर्ख दस रुपये से नीचे न जाने पाये। तो यह तय कर देना कि कौन सी मुनासिब कीमत होगी जिसके ऊपर हम इस कीमत को कायम कर दें, यह एक ऐसा सवाल है जो कि तमाम देश की समस्या को देख कर हम को तय करना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ यह भी हम को देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो एक दम से कीमत बढ़ी है तो इसका कितना फायदा काश्तकार को पहुंचा क्योंकि अगर काश्तकार को इसका फायदा पहुंचे तो शायद इतनी ज्यादा परेशानी न हो। लेकिन खराबी यह है कि ऐसे मौके पर दाम बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको फीगर्स बताये हैं जिस वक्त काश्तकार को बेचने का वक्त था उस वक्त १५ और १६ रुपये के बीच में भाव थे। लेकिन जब काश्तकार के हाथ से निकल गया और अनाज के व्यापारियों के हाथ में पहुंच गया तो एकदम से कीमत बढ़ना शुरू हुई। बाज-बाज जिलों में २३-२४ रुपये तक पहुंच गयी। हम को इस चीज का तदारुक करना है कि व्यापारी नाजायज फायदा उठाये और काश्तकार को फायदा न मिले। इसके ऊपर अगर कोई फैसला करना होगा तो केन्द्रीय सरकार को करना होगा। जाहिर है कि यह एक ऐसी पालिसी नहीं है जो महज एक सूबे में अमल की जा सके। किस तरह से हमको इसको हल करना पड़ेगा यह एक मामला है जिसे हमको सामने रखना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा मैंने बताया इस वक्त जो दाम बढ़ गये हैं उसकी वजह से काफी चिन्ताजनक बातें हुईं और हमारे सूबे में लोगों को आमतौर पर परेशानी हुई। लेकिन उसका जो इमकानी तदारुक था और जिस तरह से सहूलियत लोगों के लिये हम मुहैया कर सकते थे वह हमने की ।

इसके साथ-साथ कुछ शिकायतें भी मेरे पास आई हैं कि ज्यादा तादाद में गल्ले की दूकानें खोलिये। मैंने यहां पर बराबर कहा है और गालिबन मेम्बर साहबान को भी अपनी जगह पर मालूम होगा कि दूकानें खोलने की भी एक हद है। हम उतनी ही दूकानें खोल सकते हैं जितनी हमको अनाज खोलने के लिये इजाजत देता है। हमारे पास अनाज भी उतना ही है कि

जो केन्द्रीय सरकार हमको देती हैं। और कोई जरिया इस वक्त अनाज पाने का हमारे पास नहीं है जिसके जरिये से हम अनाज हासिल कर सकें और ज्यादा दूकानें खोल सकें। केन्द्रीय सरकार के सामने भी सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है बल्कि हमसे भी कठिन मामला बिहार का है और उससे भी कठिन मामला बंगाल का है जिसकी तरफ केन्द्रीय सरकार को तवज्जह देनी होती है। यह दुख की और अफसोस की बात है कि इन दोनों सूबे में मुनासिब तौर पर अभी भी बारिश नहीं हुई है। अभी २,३ दिन से हुई हो तो दूसरी बात है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन २,४ दिन से पहले वहां बारिश इतनी नहीं हुई थी जिससे वहां की हालत दुरुस्त हो। बहरहाल उनकी भी एक हद है जिसके आगे वे नहीं जा सकते। कुछ अनाज वह बाहर से मंगाते हैं उसमें जितना भी हो सकता है वह देते रहते हैं, लेकिन उसकी भी एक मिकदार मुकर्रर है जिससे ज्यादा न तो हम मांग सकते हैं और न यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमको दे सकेंगे। बहरहाल हम मांगते चले जाते हैं और हर हफ्ते उनको हम रिपोर्ट भेजते रहते हैं कि हमारे यहां यह समस्या है और अभी अनाज की और कमी है और हमें और दिया जाय।

एक कठिनाई और हो जाती है। जो दुकानें हम मंजूर कर लेते हैं हम चाहते हैं कि वहां पर अनाज बिकने लगे। उन दुकानों पर अनाज पहुंचने में कुछ कठिनाई हो जाती है। मुझे आज ही इत्तला मिली है जो सेंट्रल गोदाम, मेरठ में है वहां पर उसमें अनाज रखा हुआ है, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से इतना पानी उस गोदाम के चारों तरफ भरा हुआ है जिसकी वजह से वहां से अनाज निकालकर लादा नहीं जा सकता। इसलिये वहां से अनाज को लाने में दिक्कत हो रही है जिससे अनाज और जिलों में नहीं पहुंच रहा है। बहरहाल इस तरह की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। तो यह सब बातें हैं जिन पर हमें गौर करना है।

जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, यह मसला ऐसा है जिसमें हर माननीय सदस्य को पूरी दिलचस्पी है। हम सब को मिलकर ऐसा प्रयत्न करना है और ऐसा तरीका अख्तियार करना है जिसकी वजह से जितना हो सके यह कठिनाई कम हो। साथ ही साथ एक बात और भी पेशेनजर रखनी है। अ सर यह होता है कि कीमत का दारोमदार इस बात पर होता है कि किस किस्म की बातें उसके मुताल्लिक की जाती हैं। जितना ज्यादा इन तकलीफों का एलान होगा और जितना ज्यादा यह कहा जायगा कि यह इस तरह की दिक्कत है कि इसका कोई हल नहीं है तो दाम और ज्यादा बढ़ेंगे और कीमत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। गुजिश्ता जमाने में यह देखा गया है कि किसी मंत्री का बयान हुआ तो गल्ले की कीमत बढ़ गई क्योंकि उनका यह खयाल हुआ कि शायद उत्तर प्रदेश को जो अनाज मिल रहा था वह मिलना बन्द हो जाय। इस वजह से मेरा खयाल यह है कि जब इसके ऊपर बातचीत करे और जो गौर करें इस बात को भी सामने रखे। हमारी और आपकी गर्ज एक है। हम नहीं चाहते हैं कि जो कठिनाई पैदा हो गई है उस में और ज्यादा इजाफा हो। हमारी जो बहस हो वह इस खयाल से हो, कि किसी न किसी तरह से मिलकर, सरकार और माननीय सदस्यों को चाहे विरोधीदल के हों या और कोई, सब को मिलकर इस कठिनाई को हल करना है। मुझे उम्मीद है कि आज और कल जो भी बहस होगी वह कांस्ट्रक्टिव होगी। आप इस तरह से हमें सुझाव देंगे जिससे हमको मदद मिले और इस तरह से इस मसले पर बात नहीं करेंगे जिससे बजाय फायदे के नुकसान हो जाय। मैं जहां तक अपनी जगह पर समझता हूं, मैं बिलकुल मुतमईन हूं कि जैसे-जैसे यह अगस्त का महीना गुजरेगा वैसे-वैसे हालत बेहतर होती चली जायगी। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। आपको मालूम है कि रोलर फ्लोर मिल्स का आर्डर जरा देर में निकला। लेकिन जैसे ही हमको मालूम हुआ कि उन के पास काफी मिकदार में गेहूं है हमने आर्डर किया कि ले लिया जाय। २३ हजार मन गेहूं उन के पास था, जो उनको नहीं रखना चाहिये था और इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार ने उन से वायदा किया है कि वह उनको अपने गोदामों से बाहर का खरीदा हुआ गेहूं देंगे जिसका वह आटा बनायेंगे और जो हमारे सूबे के बाहर नहीं जायगा। वह हमारी दूकानों के जरिये से या जिस तरह से भी हम चाहेंगे जनता तक पहुंचाया जायगा और इस तरह से वह बिकेगा। तो इस तरह से आटे की शकल में भी उन्होंने कुछ हमारी मदद की है। इसी तरह से मैदा और सूजी भी अब सूबे के बाहर नहीं जा सकती

[श्री सैयद अली जहीर---]

है। यह सब स्टेप्स हम ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस सबके बाद हमारी जो कठिनाई थोड़े दिनों की और है वह यकीनन खत्म हो जायगी और जो सूरतेहाल है वह बेहतर हो जायगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर अनेक बार इस सदन में आप के सम्मुख विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार इस को एक रेगुलर फीचर समझती है और वह समझती है कि हर वर्ष कुछ महीने संकट के आते हैं और कुछ मामूली तौर पर उसका प्रबंध करने के बाद वह मुसीबत हट जाया करती है। अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने अपनी आखिरी बात में यह कहते हुये संतोष किया कि अगस्त के बाद और बहुत कुछ अगस्त में यह मुसीबत खत्म होती जायगी। एक बुनियादी गलती है दिमाग में और जिसकी वजह से हमारे लाखों भाई हर साल ५,६ महीने तकलीफ उठाते हैं और कभी-कभी ऐसा धक्का उनको लगता है कि जिससे वह अपनी जिन्दगी पर खेलते हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब को यह बात समझ में आती है कि यह तो रेगुलर फीचर है। हमेशा से होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा और कुछ दुकानें खोल देने से यह सब ठीक हो जायगा।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब से पहले सही तरीका यह होता है कि यह तय हो जाता कि यह मसला खाद्य मंत्री से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता जितना कि उनके बगल में बैठने वाले साहब से। कुछ कानून और आर्डर की जानकारी अगर उधर हो तो रेवेन्यू मैनुअल और "फैमीन कोड" से खाद्य मंत्री जी को भी ताल्लुक रखना चाहिये और उसके बाद वह यहां कुछ कहने की तकलीफ करते। लेकिन सवाल तो यह है कि यह सब हुआ कैसे ? दो तीन बातों पर हमें सोच विचार करना है। मुमकिन है कि आपस में बहस मुबाहसा हो गया हो और हमारे सामने वह न आना चाहते हों, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर इस अनाज की कमी क्यों हुई ? इस का नाम क्या है ? इसको स्केयरसिटी कहियेगा अथवा फैमीन ? क्या कहियेगा ? अगर आप इसको कुछ न कहिये तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसके लिये आप को कोई टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करना है और आप कहते हैं कि स्केयरसिटी है तो स्केयरसिटी किस की जिम्मेदारी है ? इसको डील करना किस की जिम्मेदारी है और यह पोर्ट फोलियो किस का है ? और उस स्केयरसिटी के पैदा होने के बाद, अनाज की कमी मालूम होती है तो जब स्केयरसिटी है तो उसके कुछ नियम बने हुये हैं। स्केयरसिटी पैदा कैसे होती है ? किस प्रकार से उसको रफा किया जाय, इसके लिये यह मोटी पुस्तक रेवेन्यू मैन्युअल की है जिसके २ वाल्यूम भरे हुये हैं। उस वक्त क्या कार्यवाही की जाय, उसके लिये यह फेमिन कोड है। मैं अब यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को अब यह स्वीकार है कि स्केयरसिटी है ? वह तो स्वीकार ही है, लेकिन फैमीन पर झगड़ा है। मेहरबानी करके जरा यह साफ हो जाय कि स्केयरसिटी है या नहीं। अगर निश्चयपूर्वक उनको स्वीकार हो तो फिर वैसे ही आगे बढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष---आप अपनी राय दें। उनकी राय पर आप क्यो निर्भर अपने आपको करते हैं ?

श्री गेंदासिंह---मैं यह जानता हूं कि वे आज जिस बात की ताईद करेंगे कल उसके बारे में ही कहेंगे कि इसके बारे में कोई गलतफहमी है। मैं इसलिये जानना चाहता था कि जिस बात पर हम आज बहस कर रहे हैं, उसका कोई आधार है या नहीं। हम हैं कहां ? इस पर वे मौन हैं। वे स्केयरसिटी मानते हैं, फेमीन नहीं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब स्केयरसिटी है तो क्या फेमीन कोड की दफा ३६ और ३७ के मुताबिक कोई कार्यवाही की या नहीं ? दफा ३६ इस प्रकार है---

"When the rains fail and anxiety is felt, it is of the utmost importance to make active preparations and thereby put heart into the people. There is no greater evil than the depression of people for moral depression leads directly to physical deterioration."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दफा ३७ इस प्रकार है—

"On the first warning of scarcity the Collector shall call for special crop reports from the tahsildars. The report shall be in form A-11.

The Collector or Civil Sub-Divisional Officer shall check these reports locally in consultation with representative and respectable landowners and other persons competent to give an opinion. It is desirable that for this purpose the landowners and others be invited to conferences at convenient centres."

मैं रेवन्यू मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या किसी कलक्टर ने, जिसके हल्के में स्केयरसिटी हुई है, कोई कान्फ्रेन्स बुलाई। इसमें लैंड ओनर्स लिखा हुआ है, अब वे खेत जोतने वाले हैं। इन खेत जोतने वालों में बहुत से रेस्पेक्टेबिल लोग हैं और उन रेस्पेक्टेबिल लोगों में मैं अपने को भी मानता हूं। क्या उन्होंने विधान सभा के सदस्यों की कोई कान्फ्रेंस बुलाई? एक तो अपनी ओर से नहीं बुलाई और जब हमने कहा कि फसल मारी गयी है और आपका जो क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट हो रहा है उसमें मेहरबानी करके हमें भी मौका दीजिये, अपने प्रोग्राम को हमें बता दें, अपने कलेक्टर को हिदायत कर दें कि वह जिस जगह जाय हमें बता दें, वहां मैं खुद चला जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जब मैंने लिखा और देखा कि उसकी मर्जी नहीं है, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा कि कृपा करके वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दें कि अपने क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट में पब्लिक वर्कर को भी जाने दें, ग्राम सभाओं का भी सहयोग उसमें लिया जाय, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह क्यों नहीं हुई? एक बात मैं सब से पहले कहना चाहता हूं और वह यह है कि आज फसल के लिये जो अन्दाजा करना है वह यह कि किसानों पर जुल्म किया जाय और जुल्म हो रहा है तथा जुल्म करने का अब भी इरादा है। इस जुल्म के सिलसिले में मैं एक सवाल सामने रखता हूं कि अगर जुल्म करने का इरादा नहीं है तो सन् १९१२ का अंग्रेजों का बनाया हुआ फेमिन कोड जो सन् १९५३ में रिवाइज किया गया, वह छपी हुई किताब हमारे सामने आज क्यों है? रेस्पेक्टेबिल लोगों से, खेत जोतने वालों से अंग्रेज तो कहते थे कि उनसे मिल कर उनकी सलाह ली जाय कि रुपये में ८ आने फसल हुई या रुपये में ६ आने फसल हुई या रुपये में १२ आने फसल हुई। लेकिन आज तो हालत यह है कि सरकार खुद ही अपने मनमाने तरीके से फसल का अन्दाजा लगा लेती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार का इरादा जुल्म करने का है। अगर जुल्म करने का इरादा नहीं था तो क्यों नहीं हमको किसानों के पास जाने दिया गया। नहीं जाने देने का मतलब तो यही है कि वे चाहते थे कि जिले में जो स्केयरसिटी है, जो जिले में मुसीबतजदा लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म हो और इस जुल्म करने की मंशा को ही पूरा करने के लिये किसी भी विधान सभा के सदस्य को, किसी भी पंचायत को उस काम में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। मैं कहता हूं कि क्या हक है आपको कहने का कि रुपये में ६ आने फसल हुई, या रुपये में ८ आने फसल हुई? आपकी जो क्राप्स कटिंग स्कीम है उसमें तो है कि लेखपाल जाकर अनाज काटे और उस अनाज को सुखाये फिर उसको तौले, १४ दिन के बाद वह उस अनाज को फिर देखे और फिर उसको तौले और तब उसका नतीजा निकाले। उसी नतीजे को निकाल कर वह सबका हिसाब लगाए। पर इसको करता कौन है? इसको देश का जो सब से बड़ा लुटेरिया वर्ग लेखपाल और उसका आफिसर कानूनगो है, वही करता है। अध्यक्ष महोदय, अगर ईमानदारी से छाती पर हाथ रख कर किसी आदमी से पूछा जाय, जो १८ हजार पटवारियों व बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछा जाय तो वह यही कहेगा कि यह वर्ग सब से बड़ा लुटेरिया और रिश्वत लेने वाला है जिसको कतई शर्म और हया नहीं है। आज उसी के नाम पर मुहर लगा कर सरकार कहती है कि रुपये में १२ आने फसल हुई है, नार्मल फसल हुई है और नार्मल से अच्छी फसल हुई है।

[श्री गेंदासिंह]

अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी के ध्यान में मैं एक बात लाना चाहूंगा। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि खाद्य मंत्री जी न मेरी बात सुनते हैं और न वे अपनी बात को ही जिसे वे कहते हैं, याद रखते हैं। मैं यह उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जरा आप उनसे कह दें कि वे मेरी बात सुनें क्योंकि मैं उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं। पिछली मर्तबा नवम्बर के महीने में ८, ९ जिलों में वे दौरा करने के लिये गये और जब वहां से तशरीफ लखनऊ लाये तो जनाब ने अखबार वालों को बुला कर एक बयान दिया। आपने यह फरमाया कि हमने सूबे के इन जिलों का दौरा किया तो इन जिलों में फसल की हालत यह है कि गाजीपुर में भदई धान का नुकसान रुपये में ८ आने, अगहनी १२ आने, मक्का ८ आने, ज्वार ९ आने और बाजरा ६ आने है। बलिया में नुकसान भदई ८ आने, अगहनी १२ आने, मक्का ८ आने, ज्वार ८ आने और बाजरा ८ आने है। देवरिया में नुकसान भदई ४ आने, अगहनी ११ आने, मक्का ८ आने, ज्वार ८ आने और बाजरा ८ आने है। गोरखपुर में नुकसान भदई ९ आने, अगहनी १२ आने, मक्का ८ आने, ज्वार ८ आने और बाजरा ८ आने है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इसके बाद आपने फिर इस पर कभी गौर किया? इसके ऊपर आपने अपने बगल में बैठे हुए भाई साहब से कभी पूछा कि आपने हमारी हालत क्या कर दी? आपकी हालत उन्होंने क्या की? आपने जो बयान दिया था उसको उठा कर उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और लेखपाल ने जो लिख दिया कि वहां पर नार्मल फसल हुई और नार्मल से भी ज्यादा फसल हुई, उसको उन्होंने मान लिया। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी पीठ दिखलाने वाले आदमी हैं, और वे आपनी पीठ दिखला कर चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---आप उत्तेजित हो जाते हैं, उनको देख कर।

श्री गेंदासिंह---मुझे उत्तेजना नहीं होती है। मैं तो कहता हूं और सत्य कहता हूं कि मुकाबला कीजिये, सामना कीजिये, सत्य का सामना कीजिये।

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---यह वाक्या है जैसा आपने फरमाया सिर्फ यही कह कर मैं उठा था कि दिमाग पर असर हो जायगा मेरे दोस्त के। मेरे दोस्त हैं इसलिये उठा जाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सही रहें।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने वायदा किया है कि उत्तेजना अब नहीं होगी।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल उत्तेजना में नहीं हूं। मैं निवेदन कर दूं भगवान् बचाये ऐसी दोस्ती से। अगर चौधरी साहब की दोस्ती का यही नतीजा है तो उनका दोस्त होना कोई पसन्द नहीं करेगा और मैं कहूंगा मत होना भाई।

श्री अध्यक्ष---क्या आप इस तरफ बैठना चाहते हैं?

श्री गेंदासिंह---अब मैं जरा उन लोगों की हालत बयान कर दूं आप के सामने जिनको यह कहा जाता है कि वे आज बड़े मजे में हैं। अध्यक्ष महोदय, स्केयरसिटी की बात कही जाती है। इस स्केयरसिटी ने पिछले वर्षों से अपना घर बनाते-बनाते धीरे-धीरे इस लपेट में सारे सूबे को चपेट लिया और जो एक जगह महंगाई व मुसीबत थी यह हो नहीं सकता कि दूसरी जगह उसका असर न पड़े। कोरिया में लड़ाई आई तो सारे संसार पर असर पड़ा। अब जब वहां स्केयरसिटी की लपेट को दूर किया तो नतीजा यह हुआ कि दिल्ली व मेरठ में २३ रुपये मन गेहूं बिकने लगा। बुन्देलखंड व झांसी सरप्लस एरिया था और १२ रुपये मन गेहूं बिक रहा था, लेकिन आज वहां क्या भाव गेहूं बिक रहा है, कोई बाजार ऐसा नहीं है जिस से लोग खरीद कर खा सकें। इस बात को हमेशा झूठ मानने की कोशिश की और आपने सारी एनर्जी इस बात में खर्च की कि जो भाई यह कहता है कि ऐसी मुसीबत

है तो उसे झूठा कहो और झूठा कह दें गे तो सारा काम बन गया। इसी में वे इतिश्री समझते थे। लेकिन अब मजबूरी हुई, वे कैसे कहें। जिसके ऊपर आज संकट है उसे छिपा नहीं सकते। मैं आपकी जानकारी के लिये एक आध बात कहना चाहता हूं। यह जो बनारस और गोरखपुर डिवीजन है इसमें ३३,३१,५६४ खाते ऐसे हैं जो एक एकड़ से नीचे के हैं। उनके पास कुल जमीन ७५,२८,९६५ एकड़ है और इसमें एक एकड़ या एक एकड़ से नीचे १६,८५,४२७ खाते हैं और इनके पास ८,६१,९३० एकड़ जमीन है। अब ये किसान जो हैं इनके परिवार की संख्या ५.८ है। तो किसी भी हालत में वहां १ करोड़ से कम की जनसंख्या नहीं है। एक करोड़ की जनसंख्या को ८,६१,९३० एकड़ जमीन पर गुजर करना है। लैंडलेस लेबर जो है उसको मैं छोड़ता हूं। उसकी संख्या मैं इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी गिनती दूसरे लोग गिन लें। इस ८,६१,९३० पर एकड़ जमीन पर हमेशा बाढ़ या सूखा रहा। पिछले १९५० स लेकर १९५५ तक, हमेशा, हर वर्ष, शायद ही कोई वर्ष खाली गया हो, पिछले साल ही ४१ लाख एकड़ प्रभावित हुआ। यह हो सकता है कि इसमें कुछ और दूसरे जिले भी शामिल हों, लेकिन मुख्यतः उन्हीं जिलों का हिस्सा है। यहां २५ लाख एकड़ की फसल बरबाद हो गयी है। अब इनमें से ८ लाख एकड़ वाले बच गये। तो नेचुरल कैलेमिटी इसके अलावा भी है। अब इस १ एकड़ वालों की आबादी के पास जो सिंचाई के साधन हैं उनसे सिंचाई होकर उपज भी हो जाय तो उपज को सींचने के बाद भी वह स्केयरसिटी में रहेंगे या नहीं? प्रतिवर्ष स्केयरसिटी में रहेंगे। लेकिन अगर स्केयरसिटी ऐसी हो जाय नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कि जो १ कट्टा, २ कट्टा या १० कटटा जमीन में पैदावार होने वाली है अगर वह भी तबाह हो जाय तो उनकी क्या हालत होगी? अब ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, उन खेतिहर मजदूरों की भी कल्पना की जा सकती है, जो ज्यादातर हरिजन हैं। मैं एक एकड़ से नीचे वालों की बात लेता हूं, ऊपर वालों की बात छोड़े देता हूं। यह बनारस और गोरखपुर डिवीजन के करीब सवा एकड़ वाले लोग क्या खा रहे हैं? बांदा और इलाहाबाद के कुछ हिस्से इनके अलावा हैं।

अब अगर इससे ऊपर पूछें तो इनसे भी सरकारी ड्यूज वसूल किया जा रहा है। श्रीमन्, बुरे से बुरा जमींदार भी कभी भादों और सावन के महीने में किसी काश्तकार के दरवाजे पर तकाजा करने के लिये नहीं जाता था। ऐसे समय जाती थीं कोई रांड, कोई विधवा, जिसके वसूल करने वाला कोई न हो, उसका मदद करने वाला कोई हुआ तो वह जाता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि बुरे से बुरा जमींदार भी, जो काश्तकारों से कोई हमदर्दी नहीं रखता था, ऐसे वक्त काश्तकारों से अपने ड्यूज वसूल करता हो। लेकिन आज क्या हालत है? और वह भी अधिक का बकाया नहीं, १ रुपये का बकाया, किसी पर २ रुपये का बकाया और किसी पर ५ रुपये का बकाया है। लेकिन उस बकाया के नाम पर आज किसानों की पीठ पर ईंटें रखवाना, उसको मुर्गा बनाना, उसको पीटना, उसके बैल खोलना। बैल खोलना तो आज कल बड़ी ही आसान बात है, किसी के घर में घुस जाना, बेइज्जत करना और तरह-तरह से अपमानित करना इसमें झिझक नहीं है। अगर मैं सच बोलता हूं अध्यक्ष महोदय, तो आज यह हालत है। मैंने तो आपसे भी कहा था कि अगर आप भी चले जाते और वहां की हालत देखने के बाद आप संतोष कर लेते तो मुझे सन्तोष हो जाता। लेकिन आपकी भी परेशानी है कि आप इस मामले में कैसे पड़ें। अब तो मैं कहता हूं कि अगर सरकार के अन्दर हिम्मत हो तो जुडीशियल एन्क्वायरी बैठावे। मैं सरकार के ऊपर खुला इल्जाम लगाता हूं कि जितने जुल्म पिछले छः-आठ महीने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किये हैं शायद किसी दूसरे रेवेन्यू मिनिस्टर की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वह ऐसे काम कर सके। मुझे अफसोस है और बहुत अफसोस है कि उस आदमी के जरिये ये सारे जुल्म हो रहे हैं जिस आदमी को यह कहलाने का हक है कि वह किसान का बेटा है। आज वह किसानों की छाती पर कोदो दलवावे, किसानों की लोटा थाली बेंचवावे और किसानों के बच्चों पर जूता बरसावे। यह शरम की बात नहीं तो और क्या है, अध्यक्ष महोदय?

[श्री सोहनसिंह]

आज खरीफ कैम्पेन की बात चल रही है। लेकिन किसान क्या करे वह तो भाग कर आज जंगल में, कहीं का कहीं भाग कर जाता है क्योंकि उसको डर है कि सिपाही उसको पकड़ लेगा और मारेगा। रुपया तो उससे मिल नहीं सकता अगर पकड़ गया तो उसकी हुलिया ठीक कर दी जायगी। इसीलिये मैं जुडीशियल एन्क्वायरी की बात कहता हूं। वह जुडीशियल एन्क्वायरी इसको भी जांच करेगी कि कितने लोगों ने इस महीने अपने बैल बेच कर मालगुजारी और तकावी की रकम अदा की है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तुम तो मालगुजारी न अदा करने की बात सिखलाते हो। लेकिन इतने लोग हमारे सिखलाने से और हमारे मना करने से मान गये और उन्होंने मालगुजारी अदा नहीं की?

एक बात मैं आपसे और कहता हूं, अगर मालगुजारी वसूल करनी है तो क्या इस गन्ने की रकम से मालगुजारी वसूल नहीं हो सकती। अभी उस दिन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बताया था कि इस सूबे में आज भी गन्ने का दाम किसानों का मिल मालिकों के ऊपर डेढ़ करोड़ रुपये के करीब बाकी है। सरकार का मिल मालिकों के ऊपर ३ करोड़ ५४ लाख रुपया केन सेस का बकाया है। इन ३ करोड़ ५४ लाख रुपयों के लिये तो आप छूट देते हैं, उसको मुल्तवी करते हैं कि इस महीने में नहीं वसूल होगी। लेकिन अब मैं पूछूंगा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से, मेरे पास फीगर्स नहीं हैं, कि कितना रुपया बकाया है रबी का और खरीफ का? खरीफ कैम्पेन आप चलवा रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा कि इस दुर्दशा में किसान आज से पहले कभी नहीं था जितना आज है।

अब जरा सी अनाज की बात कह दूं। मुझे भी ऐसा मौका मिलता है कि सूबे के बाहर जाऊं। मैंने एक सवाल भी किया था खाद्य मंत्री जी से शायद उसका जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझा उन्होंने। मैं उनसे पूछता हूं, जरा हाउस को रोशनी में लायें कि केरल में कितनी दूकानें हैं और कितनी वहां की आबादी है? पश्चिमी बंगाल में कितनी दूकानें हैं, कितनी आबादी है, कितना उनको महीने में अनाज मिलता है केन्द्र से? बिहार की मैं जानता हूं, सब जगह का हाल जानता हूं। मैं बिहार को कह रहा हूं। १४ और १५ हजार के बीच में दूकानें चल रही हैं और २ करोड़ ६५ लाख की आबादी है। तो केन्द्र से बिहार को अनाज मिल सकता है, लेकिन हमारी हुकूमत कहती है २, ३ हजार दूकानों से ही काम चल जायगा। इनका हाल भी अगर आप पूछेंगे तो यह है कि पहले तो ५० मन गल्ला देने का नियम था। अब गांवों की दूकानों को यह हुक्म दे दिया गया है कि २० मन गल्ला दें। और एक बात और मजेदार है, जरा खाद्य मंत्री जी सुन लें, केन यूनियन ने हमारे इलाके में एक दूकान ली। ७० रुपये उसने खर्च किया। जमा करने के दो महीने बाद उसको गल्ला मिला। अगर मंत्री जी कहें तो कागज उनके सामने रख दूं। सहारनपुर में मालूम हुआ एक आदमी को कुचल कर मौत हुई। अशोक जी, गंगा बाबू, गोरे साहब, मुकुट बिहारी जी, चन्द्र शेखर जी और बहुत से लोगों को देखने का मौका मिलता है कि यहां क्या हाल है, कोई अकेले मैं ही नहीं देखता हूं। क्या सरकार की आंखें बोथर हो गई हैं, दिखाई नहीं देता?

यह भी कहा जाता है कि गुठली खाना, साखू की जड़ खाना, चचींड़ की जड़ खाना, जंगली घास खाना पुष्ट पदार्थ हैं। तो अध्यक्ष महोदय, नाहक ऐग्रीकल्चर में रुपया बरबाद करने की क्या जरूरत है। साखू के बीज बढ़ाइये, गुठली बढ़ाइये। इन्हीं सब चीजों को पुष्ट पदार्थ खाद्य मंत्री जी मानते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा, आज फरमायेंगे। गुठली की रोटी अगर आज उनको दे दी जाय तो छठी का दूध याद हो आयेगा। लेकिन कहने को वह कह लें। यह सब अखाद्य चीजें हैं।

अब जरा यह देखिये कि जो फेमीन कोड बना हुआ है इसमें कुछ लक्षण बताये गये हैं। फेमीन के लक्षण क्या होते हैं? कुछ क्राइम बढ़े कुछ भिखमंगे बढ़ें। तो अभी होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, वह बड़े चतुर आदमी हैं, अगर वह कहें तो मुमकिन है स्केयर-

सिटी डिपार्टमेंट की जरा नाराजगी का शिकार होना पड़े, इसलिये मैं तो आपसे कहता हूं कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की सदारत में आजमगढ़ में, मऊ में, पूर्वी जिलों के कांग्रेसजनों का सम्मेलन हुआ था उसमें उनके सामने यह मांग हुई कि इन जिलों में अपराध बहुत बढ़ गये हैं इसलिये जहां जितने थाने हैं उनकी दुगनी संख्या करदी जानी चाहिये। क्या यह क्राइम सिचुएशन को नहीं बताता? (फालेन वोमन) एक किताब लिखी डाक्टर अग्निहोत्री ने कानपुर में, उन्होंने लिखा जितने भी वेश्यालय हैं, जो पेशेवर औरतें हैं वे कहां की हैं। अभी पता लगाइये वे कहां की हैं, कैसे आती हैं। तो इस इकोनोमिक डिस्ट्रेस में, स्केयरसिटी में, या फेमिन कहिये, इस हालत में हमको कब तक रखेंगे आप? अब आज हम अगर कहें कि भूख से मौत होती है तो बहुत बुरी बात है वह हमें नहीं कहनी चाहिये। मुझे समझाया गया कि आप ऐसी बात न कहकर देखिये कि सरकार क्या करती है। हमारा जो मिशन आया था और जिसकी अशोक मेहता वाली रिपोर्ट पर सरकार भी रिलाई करती है और जो रिपोर्ट बड़ी संजीदा है उसी का क्या रिएक्शन हुआ? उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? वह यह हुई कि दुकानें नहीं बढ़ सकतीं, मालगुजारी और जल्दी वसूल करो, मुमकिन है ३० सितम्बर नजदीक आ जाय, उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि जुल्म और बढ़ गये। पहले टेस्ट वर्क्स में ४ आना, ६ आना और ८ आने की मजदूरी मिलती थी लेकिन आज रेवेन्यू विभाग का सर्कुलर है, वह हमारे कब्जे में नहीं है लेकिन उसका हुक्म है कि उसको डिसकरेज करो, १५ दिन में मजदूरी दो, ७ दिन में मजदूरी दो और जुरमाने करो, १४, १५ और १८ वर्ष के लोगों से कहो कि तुम १० साल से कम हो निकलो।

इस तरह की चीजों से नतीजा क्या हो रहा है? कहने की बात नहीं है लोग उसे समझें, मैं समझता हूं मुझे अब अधिक नहीं कहना चाहिये। मैं कुछ न कहकर चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी मुस्काकर मुझे जवाब दें। मैं कहूंगा कि उनको अभी भूख लगी नहीं है, मैं भी किसी फ कैकश घर से नहीं हूं लेकिन जब मेरे सामने इस तरह की लोगों की हालत गुजरती है तो मुझे शर्म आती है और अन्त में मैं कहूंगा कि अगर एक आफत है और कमी है तो क्या खाद्य मंत्री जी स्वयं उस का कुछ हिस्सा नहीं बटा सकते, हमको भी कहें कि विपत्ति में हाथ बंटायें। अंग्रेज कांग्रेस के रास्ते में बाधा नहीं डालते थे लेकिन आप हमारे रास्ते में बाधा डालते हैं, हम कहते हैं कि मुसीबत है लेकिन आप कहते हैं कि मुसीबत में वह लोग नहीं हैं। अगर हम आज बम्बई में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारी मदद करो तो वहां के लोग कह सकते हैं कि आप के मिनिस्टर साहब तो कहते हैं, श्री चरणसिंह जी व अली जहीर साहब तो कहते हैं कि कोई मुसीबत नहीं है, आप या वह गवर्नमेंट के लोग कौन झूठ बोलते हैं। फिर भी हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। मैं तो आप से कहता हूं कि आप हमको झूठा कहें, हम आप को कहें लेकिन इस मामले में मैं समझता हूं कि कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं मालूम होती। लेकिन कम से कम वह अपनी एमेनिटीज में से ही कुछ बचाने की बात सोचें कि आज प्रदेश पर विपत्ति है कुछ कष्ट उठा लिया जाय रेफरिजरेटर से जरा ठंडा पानी थोड़े दिन न सही, जरा मोटर पर कुछ रंग कम ही रहे, कुछ सिनेमा में रेडियो में कम खर्च हो। आप अगुआ हैं कुछ इधर आप आगे बढ़ें, देश से फिर अपील कीजिये, कुछ उदारता से काम लीजिये, खैरात घर से आरम्भ कीजिये लेकिन मेरी मुश्किल तो यह है कि आप यह कहकर सब टालते हैं कि कोई मुसीबत नहीं है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई गुस्से की बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, गुस्से में वह हमारे ऊपर गुस्सा हो लें, मैं हाथ जोड़ता हूं लेकिन वह करोड़ों आदमी जो मुसीबत में हैं उन पर आप उदारता बरतें। आज कर ड़-डेढ़ करोड़ आदमी सख्त मुसीबत में हैं उन के साथ आप इंसाफ कीजिए, रही मेरी बात मेरा जो कसूर हो, मैं एक बार नहीं हाउस के सामने बार-बार कहता हूं मुझे जो सजा भी देना चाहें दे लें, मुझे श्री चरणसिंह जी बता दें कि तुम्हारे कसूर का वह दंड है। मैं एक बार भी उस दंड से इंकार नहीं करूंगा, कोई सफाई नहीं दूंगा, लेकिन अन्तिम अपील मेरी यह है कि मेरे कसूर में उन करोड़ों आदमियों को भूखों मत मारो। हमारी अगली पीढ़ी बिगड़ रही है। आप जाकर देखें। उनकी तिल्ली निकली हुई है

[श्री गेदासिंह]

और वह विष्टा में नंगे घूमते हैं, १०-१५ वर्ष के लड़के नंगे हैं और उनके सारे बदन में चमड़ा झूल रहा है। मेरी अपील है कि चीफ मिनिस्टर साहब जायं। रेवेन्यू मिनस्टर साहब तो जायेंगे नहीं, क्योंकि उनमें जाने का साहस नहीं है और मैं तो चाहता हूं कि वह न जायं, अगर जायंगे तो और ज्यादा जुल्म होगा। वह न जायं मेहरबानी करके। हवाई जहाज से हवा में उड़ा करें। जमीन के मिनिस्टर हवा में ही घूमते रहें, जमीन पर न जां, यही ठीक है। आप हवा में ही घूमते रहिये। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अब इस विवाद को खत्म किया जाय और मालगुजारी और अन्य देयों की बन्दी होनी चाहिए। लोगों को रोजी बड़े पैमाने पर देनी चाहिए। बांदा में जो टेस्ट वर्क बन्द किये गये हैं वह उचित नहीं था, ४-४ हजार आदमी जहां आ रहे हों वहां टेस्ट वर्क चलना चाहिये, बल्कि उसको रिलीफ वर्क कहें। टेस्ट तो हो चुका। देयों की अदायगी बन्द होनी चाहिए, सब देय माफ होने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि एक मर्तबा कागज साफ होना चाहिए ताकि वह अपने को ऐसा तो बना सकें जिससे वह आदमी बन सकें। हमारे लड़कों की स्कूलों में भर्ती तो हो गयी लेकिन जमा करने को फीस नहीं है, उनकी तालीम चलनी चाहिए, फीस के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए।

चौथी बात मैं यह सोचता हूं कि कर्जा भी तो देने की जरूरत होगी। अब मैं बहुत चीजें गिनाना नहीं चाहता, इसलिए कहे दे रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तुरंत सरकार को करना चाहिए और कुछ ऐसी हैं जिन पर बैठकर के विचार-विनिमय करके काम करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जो नेता विरोधी दल हैं और नेता सदन हैं वह विचार-विनिमय करें। लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब शायद उसमें नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि बिना रेवेन्यू मिनिस्टर के स्केयरसिटी और फैमिन पर और अन्न की समस्या पर जो बात होगी वह अधूरी होगी, कोई बात नहीं चल सकती। बिना उनके कोई बात नहीं हो सकती। सम्भव है वह मान जायं, क्योंकि मैं उस बात-चीत को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। उसमें कोई अच्छा नतीजा निकलना चाहिए, अगर निकल सके, और मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--श्री मदन पांडेय। आप बाद में बोलेंगे, क्योंकि अब केवल एक मिनट रह गया है।

(श्री चरण सिंह से) आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह--मैं तो आपके जरिये माननीय मदन पांडेय जी से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि स्केयरसिटी पर कुछ कहें, फूड पर बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--मैं समझ नहीं पाया कि क्या तात्पर्य है।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी उन्हें इसी समय खामख्वाह याद क्यों दिलाते हैं, वह भी तो भाषण के समय सदन में रहेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--श्रीमन्, आज इस खाद्य समस्या पर बोलने वाले बहुत से लोग हैं लिहाजा मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक सदस्य को १० मिनट और जिनको आप मुनासिब समझें १५ मिनट का समय निर्धारित कर दें। इससे ज्यादा लोग बोल सकेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य समस्या पर वादविवाद का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और १० मिनट में उसकी भूमिका भी नहीं बंध सकती है और माननीय गेंदासिंह जी ने पौन घंटा लिया था।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो पहला भाषण था ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नेताओं को १५ मिनट, और सबके लिये १० मिनट दिये जांय ।

श्री उपाध्यक्ष---आम तौर से १० मिनट और विशेष परिस्थिति में १५ मिनट क्योंकि पहले भाषण को ज्यादा समय दिया जाता है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि १५ मिनट और २० मिनट कर दिया जाय ।

श्री खजानसिंह (जिला उन्नाव)---मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ तो आप रियायत करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---आम तौर पर १० मिनट और विशेष परिस्थिति में १५ मिनट का समय तय हुआ ।

श्री मदन पांडेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत ३१ तारीख को जब इस वाद-विवाद के निर्धारित होने का समय था तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की थी और सुझाव दिया था कि इस स्थिति पर वाद-विवाद होने से पहले सभी पक्ष के नेताओं और प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हो । उसमें कुछ ठोस सुझाव अपोजीशन की तरफ से आ सकते हैं और इस समस्या के समाधान के लिये खास कदम उठाये जाने की गवर्नमेंट से घोषणा होनी चाहिये जिससे खाद्य स्थिति, जो अब वाद-विवाद का विषय नहीं रह गई है बल्कि एक गम्भीर स्थिति के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया है, उसके सुलझाने में कुछ मदद मिल सके ।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इधर ध्यान देकर कदम उठाया है और उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है । चाहे आज शाम को या कल सुबह यह बैठक होने जा रही है । इसीलिये इस समय जो टोन अपोजीशन का है उसमें इस आग्रह के स्वीकार कर लेने मात्र से बहुत फर्क मालूम पड़ रहा है । माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने पक्ष को इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है । मैं भी सदन का अधिक समय न लेकर इस खाद्य-समस्या की एक बहुत ही संक्षिप्त सी पिक्चर पेश करने जा रहा हूं ।

श्रीमन्, खाद्य-समस्या के तीन तरह के विचारणीय विषय हैं। पहली चीज तो यह है कि जब यह समस्या वाद-विवाद का विषय नहीं है तो क्या सरकार इसको पहले रोक सकती थी या नहीं ? अगर रोक सकती थी और उसने नहीं रोका तब सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिये और शीघ्र से शीघ्र इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। दूसरी चीज जो इस संबंध में हम लोगों के सामने विचारणीय है। वह यह है कि अगर सरकार इस परिस्थिति को रोक सकती थी और उसने नहीं रोका तब भी जो स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, वह अधिक बिगड़ने न पाये और आयन्दा के लिये उसका मुकाबला किया जा सके, इसके लिये उपाय सोचना है ।

पहली स्थिति के संबंध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस संबंध में सरकार का सवाल है, खाद्य स्थिति के बिगड़ने की सम्भावना उसको बहुत पहले प्राप्त हो चुकी थी । जब गत वर्ष हथिया में वर्षा न होने से जड़हन सूख गई थी तो सबको मालूम हो गया था कि अगले आने वाले वर्ष में

[श्री मदन पांडेय]

विपत्ति का समय है और इसकी पूर्व सूचना सरकार को बहुत पहले मिल चुकी थी। हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी, हमारे गवर्नर महोदय माननीय गिरि जी भी गोरखपुर तथा बनारस गये और वहां की स्थिति इन लोगों ने अपनी आंखों से देखी। माल मंत्री जी के सामने भी सारी चीजें रखी गयीं। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय जो बात कही जाती थी उससे इंकार किया जाता था। इसलिये मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भले ही किन्हीं कारणों से इंकार करती रही हो, लेकिन अब सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये कि हमारे सूबे की खाद्यस्थिति खराब है और उसका पहले से बंदोबस्त नहीं किया गया। आज से जो हम करना चाहते हैं वह करेंगे और फलां-फलां कदम हमारी तरफ से उठाये जायेंगे।

दूसरी चीज जिसकी तरफ बाबू गेंदासिंह जी भी ध्यान दिला चुके हैं, उसकी ओर मैं भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अन्न मंत्री जी भले ही सैंकड़ों हजारों की तादाद में दूकानें खुलवा दें लेकिन जब तक हमारी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक हमें अन्न नहीं मिलेगा। मिठाई की दूकान पर मिठाई रखी रहेगी लेकिन हम खरीद कर नहीं खा सकेंगे। इसके लिये हमारी क्रय शक्ति को गिराने में सबसे बड़ा हाथ माल विभाग का रहा है और इस विभाग ने वह करिश्मे हमें दिखाये हैं जिनको सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माल विभाग के वसूली के काम के सम्बन्ध में जो-जो ज्यादतियां हुई हैं उनके सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र की जो दरख्वास्तें हैं उनमें से दो-एक का जिस्ट आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उससे मालूम पड़ जायगा कि परिस्थिति कहां तक गम्भीर है। यह परिस्थिति जहां की घटना मैं सुना रहा हूं, यहीं पर नहीं है बल्कि उधर के कुछ जिलों में है। गांव गांव में इसी तरह की परिस्थिति है। मैं आपके सामने डोमा गांव और शीतलापुर गांव की दो नजीरें पेश करना चाहता हूं। वहां पर डोमा गांव में ३४ आदमियों के जिम्मे तकावी बकाया थी। उनके पास सिपाही भेजे गये। एक बड़े एक्स-जमींदार की छावनी में उनको बुलवाया गया। अमीन ने, आव देखा न ताव, साफे लगवा दिये जाने की धमकी दी और इस शर्त पर छोड़ा गया जब कि उनमें से कई ने खड़ी फसल रेहन रख कर रुपये का भुगतान किया। उसमें से दो आदमियों ने बिन्देसरी नाम के महाजन के यहां डेढ़ मंडा खेत जिसमें धान तैयार था पचास रुपये में रेहन रख कर रुपया जमा किया। मैं माननीय माल मंत्री और अन्न मंत्री जी की सेवा में उन दरख्वास्तों को जो कि उनके बयानात के ऊपर आधारित हैं, भेजूंगा।

दूसरा गांव शीतलापुर है। वहां नेपाल नाम के आदमी के जिम्मे पैसा बाकी था। उसको बुलवाया गया और उसकी पीठ पर ईंटा लादा जाने लगा। एक आदमी जिसके जिम्मे कोई पैसा बाकी नहीं था उसने कहा कि यह काम नाजायज है, तो फौरन ही कुर्क अमीन साहब ने उसको साफे से बंधवा दिया। मैं समझता हूं कि उधर के हर गांव में नहीं तो अधिकांश गांवों में ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी परिस्थिति को बिगाड़ने का सबसे प्रथम कारण जो ईश्वरीय प्रकोप का बताया जाता है उसके बाद दूसरे नम्बर पर माल विभाग है। सबसे पहले हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि जितने भी रियलाइजेशन हो रहे हैं उन सब को, जो कि सात वर्ष पीछे की तकावी और दूसरी बकायों की वसूली हो रही है जिसका नमूना हमने आपको बताया, उसको फौरन बन्द कर दिया जाना चाहिये। गवर्नमेंट ड्यूज का कोई रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पहला कदम यह जरूरी है। उसके बाद जो सबसे जरूरी दूसरा कदम है, जो हमारी क्रय शक्ति क्षीण हो चुकी है उसको वापस लाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवा इसके कि सरकार तकावी दे। हमारा धान लहलहा रहा है। लेकिन उसकी निराई कराने के लिए पैसा नहीं है। अगहनी के खेत पड़े हुए हैं। उनमें ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है लेकिन हजारों एकड़ खेत इसलिए पड़े रह जायंगे क्योंकि हमारे पास बीज खरीदने और रोपने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए जो इमीडिएट काम होना चाहिए वह यह कि तकावी लिबरल स्केल पर दी जानी चाहिए और ऐसी ताद्दाद में दी जानी चाहिये ताकि निराई का काम हो सके और अगली फसल जड़हन के लिए बीज खरीद कर बो सकें। यह इमीडिएट मेजर्स जो लिये जाने चाहिये उनके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है।

गल्ले की दूकानें जो खुली हैं, वह काफी दूरी पर हैं, गल्ला भी जिस ढंग से वितरित किया जाता है, उसमें एक आदमी को एक या दो रुपये का गल्ला खरीदने के लिये दिन भर खर्च करना पड़ता है। ऐसी दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिये जो गांव सभा और पंचायतों में अधिक से अधिक संख्या में हो सके। वहां पर अधिक दुकानें खोलकर गल्ले की सप्लाई करने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे मजदूर और किसानों को अधिक समय वहां पर खर्च न करना पड़े और वे आसानी से खरीदने का प्रबन्ध कर सकें।

टैस्ट वर्क के बारे में सरकार कागज में तो रुपया दिखाती है और सैंक्शन करके रुपया भेजने को कहती भी है लेकिन जिलाधीश पता नहीं क्यों काम नहीं कराते। प्लानिंग कमेटी में हमने कई बार पूछा कि टेस्ट वर्क क्यों नहीं खोला जाता। पूर्वी जिलों के जिलाधीश इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब सरकार से कहा जाता है तो सरकार तो यह कहती है कि जितना रुपया जिला मैजिस्ट्रेट कहते हैं हम देते है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं होता है। जब सरकार यह कहती है कि जितने रुपये की आवश्यकता होगी उनको दिया जायगा तो फिर क्यों इस काम को शुरू नहीं किया जाता ? यह सरकार जिलाधीश की रिपोर्ट पर सारा काम करती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिलाधीश को यह समझाइये कि वह मनुष्यता के दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करे। वह लोगों पर केवल हुकूमत करने के लिये ही नहीं बल्कि उनके वेलफेयर के लिये हैं। यह उनको समझाया जाय। मुझे हाल ही में माल विभाग से यह ज्ञात हुआ है कि उधर पूर्वी जिलों के कलेक्टर रेमीशन के प्रपोजल नहीं भेजते हैं। मुझे देवरिया तथा गोरखपुर जिले की बाबत मालूम हुआ है कि कलेक्टरों ने कोई रेमीशन की मांग सरकार के पास नहीं भेजी है। कुछ बस्ती से प्रपोजल आये हैं और कुछ दूसरे भी जिले हैं जहां से प्रपोजल आये हैं। जवाहर लाल जी के जाने के बाद इलाहाबाद से भी आये हैं लेकिन मुझे यह भी मालूम है जिन जिलों में अधिक से अधिक नुकसान हुआ है वहां से कलेक्टर के पास से कोई रेमीशन की मांग नहीं आयी। जब सुझाव ही वहां से नहीं आये तो सरकार यह कह सकती है कि जब कलेक्टर ही कोई सुझाव नहीं देता है तो फिर हम क्या करें। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो सरकार इन कलेक्टरों को समझाये कि वे वहां पर लोगों को जिन्दा रखने के लिये भेजे गये हैं, मारने के लिये नहीं और नहीं तो तुरन्त उनका स्थानान्तरण किया जाना चाहिये। ऐसे कलेक्टर वहां पर भेजना चाहिये जिनके अन्दर ऐसी सेन्स हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि टेस्ट वर्क के बारे में केवल कलेक्टर की रिपोर्ट पर ही भरोसा करने की जरूरत नहीं ह। म चाहता हूं कि माल मंत्री जी वहां पर जायें और जन प्रतिनिधियों से बातें करें और जहां पर टैस्ट वर्क खोलने की जरूरत है वहां पर खोले जायं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो योजनायें स्वीकार हो चुकी हैं उनमें से जिन पर इस वक्त निर्माण कार्य चल सकता है उस कार्य को वहां पर अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिये और चालू किया जाना चाहिये। इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं।

सिंचाई की व्यवस्था न होने से बहुत बड़े इलाके ऊसर रह गये हैं। उस में कुछ नहीं हो पाता है। रबी की फसल सिंचाई के बगैर नहीं हो सकती और धान भी बाढ़ की वजह से नहीं हो सकते। इस वजह से बाढ़ और सूखे की बरबादी से यह इलाके तबाह हो रहे ह। बाढ़ और सूखा को रोकने के लिये दो तरह की स्कीमों की जरूरत है। एक तो बड़े स्केल पर और दूसरी छोटे स्केल पर। पहले जो हमार यहां इस तरह की समस्या हल करने के कुछ तरीके हुआ करते थे उनको हमें भी देखना चाहिये। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं मालूम पड़ती। गोरखपुर में अंग्रेजों की इस्टेटें थीं उन्होंने वहां पर इस मानी में एक आदर्श उपस्थित किया था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह वहां विशेषज्ञ भेजकर उसकी स्टडी करावें। सरकार लेहरा, बर्डपुर, नेऊरा और पेपे आदि अंग्रेजी जमीदारियों में जाकर स्टडी करें। वहां पर उन्होंने बाढ़ और सूखा की समस्या को हल करने का प्रयास ही नहीं, हल भी किया था।

[श्री मदन पांडेय]

मैं स्वयं वहां गया था और दो इस्टेटों को देखा था। मैं उससे बड़ा इम्प्रैस्ड हुआ। वहां पर जमीन को कटने से रोकने के लिये किस तरह से उसमें प्रबन्ध होना चाहिये यह मैंने देखा। पेपे इस्टेट में, एक बहुत बड़े इलाके में जो मिट्टी बहकर आती थी उसके लिये ठोकर बनी हुई है। बान्ध बनाकर एक रेगुलेटर भी उन्होंने लगाया हुआ था। इसी तरह से उसकी अगर मरम्मत कर दी जाती तो वहां पर बाढ़ और सूखे की समस्या हल हो जाती लेकिन इसके लिये २, ४ आदमी भी वहां पर नहीं रखे गये। इसका नतीजा यह है कि वह सारा इलाका तबाह हो रहा है। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि जहां बड़ी-बड़ी स्कीमों की मांग की जा रही है वहां पर हम इन छोटी स्कीमों की तरफ भी ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने विशेषज्ञों को वहां लेहरा, बर्डपुर, नेऊरा और पेपे में भेजे और जो वहां पर इरीगेशन का सिस्टम था उसको यदि स्टडी करके और डेवलप करे तो अच्छा होगा। मैं दो, चार मिनट और चाहूंगा। कोई अनावश्यक बात या रेपीटीशन मैं नहीं करूंगा।

जहां तक बिग स्केल स्कीम्स का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ३० अगस्त, १९५७ को जब कौंसिल में माननीय गेंदा सिंह जी के अनशन के बारे में भाषण दिया था तो कहा था— "पूर्वी जिलों में हर साल बाढ़ आती है, इसके लिये एक स्कीम है कि २०० करोड़ रुपया हो तो बाढ़ नहीं आ सकती है। उम्मीद पैदा कर देना अच्छा नहीं है। इसको ६ या ७ वर्ष में भी पूरा नहीं कर सकते हैं तो आगे चल कर यह एक असंतोष पैदा करने की बात होगी। आज यह हर विभाग के सामने प्रश्न है कि हमारे प्रान्त को सफल होना चाहिये और अच्छी तरह से सब के लिये होना चाहिये। हम सब हिस्सों की बाबत कह रहे हैं। किस-किस तरह से अपने रिसोर्सेज के रहते हुए हम क्या कर सकते हैं इसके लिये प्रादेशिक, प्लानिंग कमेटी है और उसमें कई मेम्बर हैं उसमें इकानामिक्स के प्रोफेसर्स भी हैं। इसलिये वह केवल एक रूप प्रदर्शन ही नहीं होगा बल्कि ऐसा काम होगा जो हमारी सामर्थ्य के भीतर है। इसलिये इस मांग को स्वीकार करने में हमें दिक्कत है।" यह घाघरा और राप्ती और उनकी ट्रिब्यूटरीज को कंट्रोल करके एक नदी घाटी योजना, बहुधंधी योजना तैयार करने की तरफ यह इशारा था और इसको लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी के यह उद्गार थे। मैं थोड़े में कहना चाहता हूं कि अगर कोसी और दामोदर वैली कार्पोरेशन्स की योजनायें पूरी करने के बाद बिहार और बंगाल की सरकारों ने दूसरी बड़ी योजनाओं की तरफ कोशिश करना शुरू कर दिया है, तथा बिहार ने गंडक योजना को, जो ५० करोड़ रुपये की है, हाथ में लेने का प्रयत्न किया है और अगर उड़ीसा-हीराकुन्ड योजना को ले सकता है, पंजाब भाखरा नंगल की योजना को ले सकता है और उसको बरदाश्त कर सकता है तो मैं नहीं समझता कि हम लोग यहां डढ़ या २०० करोड़ की योजना को क्यों नहीं ले सकते। इस में असमर्थता की बात पर हम विश्वास करने के लिये तैयार नहीं। हमें चाहिये कि हम उसका सर्वे करायें और उसकी योजना बना कर हमें उसके लिये मांग करनी चाहिये। उसके लिये आपको वातावरण तैयार करना चाहिये और उसके बाद ही केन्द्र हमारी मदद करेगा। इस तरफ जो हमारी कमजोरी बताई जाती है उसमें क्या खास बात है यह मेरी समझ में नहीं आता।

विद्यार्थियों की फीस के बारे में, जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने ध्यान दिलाया है, उसके अलावा एक और पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कागज और किताबों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि बहुत से एम० एल० एज० के लड़कों को भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है जिनको कि इस मालेगनीमत से भी कुछ हिस्सा मिलता है। सर्वसाधारण का जो किस्सा है उसको तो अलग छोड़िये, उसे क्या बयान करूं। फीस माफी का जो प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह जी का है उसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि कम से कम अगले ६ महीनों के लिये तो फीस माफी जरूर होनी चाहियें।

छोटी-छोटी योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि करोड़, सवा करोड़ रुपया कुओं के लिये दिया जा रहा है मैं कहता हूं कि इस बारे में जल्दी न कीजिये।

जो वर्डपुर, नेहरा आदि की बात मैंने कही है, उसको आप देखिये और वहां की पासिबिलिटीज को एक्सप्लोर कीजिये। उसके बाद आप सोच-विचार कर निर्णय कीजिये कि उस पैसे का सदुपयोग किस तरीके से ज्यादा अच्छा हो सकता है।

पशुओं के लिये चारे का बन्दोबस्त करना जरूरी है। जिन जगहों पर जंगल हैं उन जंगलों को खोल दिया जाना चाहिये और वहां पशुओं की मुफ्त चराई करायी जानी चाहिये। पशुओं के चारे की भी एक भीषण समस्या है और उस ओर से हमको अपनी आंखें नहीं मूंदनी चाहियें।

बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप के टेस्ट वर्क खोल देने के बाद भी उनमें काम करने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिये ऐसे लोगों के लिये आवश्यक है कि आप उनको डेस्टीट्यूट्स मान कर अ.ाहिजों के लिये कुछ रकम का प्रबन्ध करें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है इसमें कोई दो मत नहीं हैं। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने सम्भाषण में उद्गार प्रकट किये कि हमारी सरकार सफलतापूर्वक प्रयत्न कर रही है, यद्यपि हमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जब मैं अपने जिले को देखता हूं तो पाता हूं कि हमारे यहां यह एक जटिल समस्या है। लेकिन देखना यह है कि सरकार कितनी सफलता के साथ इसको हल कर रही है। हमारे यहां पहले २२५ दूकानें सस्ते गल्ले की खोली गयीं। हम लोगों ने कहा तो २३५ हुईं और इस समय २५५ दूकानें वहां काम कर रही हैं। उत्तरी भाग में प्रत्येक पंचायती अदालत में एक दूकान चल रही है। मैं कोई सिंहावलोकन या कोई आरोपात्मक बात नहीं कह रहा हूं और न कोई ऐसा विवेचन करना चाहता हूं। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं, अथवा उस पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे सही हैं। उससे हमारे माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि सरकार कुछ कर रही है। पश्चिमी जिलों में २५५ सस्ते गल्ले की दूकानें सरकार ने रखी हैं। इधर दो हजार अपाहिजों के लिये सरकार ने सहायता दी है। इस समय जिलाधीश ने १० हजार की मांग की है। मैं कहूंगा कि १० हजार न सही तो ९ हजार ही सही, इसी की मांग सरकार पूरी करे। इस समय की परिस्थिति को देखकर ६ तहसीलों के लिये १० हजार की मांग अनुचित मांग नहीं है।

हमारे यहां खाद्य की समस्या में रबी और खरीफ का आन्दोलन भी एक उद्देश्य-पूरक साधन है। इसे हम सबको पूरा करना होगा। इस पर हमारे सभी माननीय सदस्यों को ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। हमारे किसान, विशेषकर अभावग्रस्त जिलों में मौसमी किसान थे। बारिश होने पर वे खेती करते थे। उन्हें अपने पुरुषार्थ से खेती करना हमें सिखाना है। मौसम अपनी गति से नहीं चल रहा है। किसान को प्रचार द्वारा हमें स्वावलम्बी बनाना होगा। उसे ऐसा करना होगा कि वह हमेशा बादल की ओर ही न देखता रहे। हमारे एग्रीकल्चरल आफीसर्स के पास एक तरीके से कोई काम नहीं है। जड़हन की फसल समय से बारिश न होने से नष्ट हो जाती है। उसके लिये क्राप चेन्जिन्ग के जरिये से विशेष एक्सपर्ट राय सरकार की ओर से मिलनी चाहिये कि उसमें हम कौन फसल बो सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि सिंचाई की योजनाओं को और अधिक द्रुतगति से चलाना होगा। मैं अपनी सरकार की सैचुरेशन स्कीम के लिये कह सकता हूं कि कंसालिडेशन एरिया में कुंओं की योजना को कई लाख रुपये देकर प्रत्येक चक के अन्दर वह चाहती है कि कुंयें बन जावें। मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है और मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

हमारे कुछ माननीय सदस्य चाहेंगे कि मैं इस वर्ष की परिस्थिति के बारे में भी कुछ कहूं। मैं कह सकता हूं कि लोग कहते हैं कि गांवों में जैसा इस वर्ष अवर्षण हुआ वैसा पिछले १०, १५ वर्षों में भी नहीं हुआ। मैं बस्ती जिले के उत्तर के भाग की बात कह रहा हूं। लोग २, ३ कोस तक पानी लेने के लिये जाते थे और कुंओं पर भीड़ होती थी। कई जगहों पर सियार, और लोमड़ी तथा बन्दर कुंओं में गिरे हैं। यद्यपि लग्नसारणी के अनुसार तो वर्षा के नक्षत्र

[श्री रामलखन मिश्र]

में ही वर्षा हुई है परन्तु फिर भी बहुत सूखा का प्रकोप सहना पड़ा है। खाद्यान्न की स्थिति हमारे यहां तो बिगड़ी ही, परन्तु जब कभी ऐसा होता था तो लोग नैपाल से लाकर काम चलाते थे। इस समय नैपाल में भी स्थिति बिगड़ जाने से समस्या और भी गम्भीर हो गई है। साखू के फल पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है। साखू को लोग खाते थे, वह अपच होता था। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि सरकार ने गोरखपुर में डाक्टरों को आदेश दिया है कि वे भ्रमण करके देखें कि इससे कितने लोग त्रस्त हैं। बस्ती जिले में भारी संख्या में लोग खाते थे। हमारे यहां लेबर ताल को जिस गहराई से खोदा था वह इस वर्ष खोदा था। पिछले १४-१५ वर्षों में ऐसी भयंकर समस्या नहीं उत्पन्न हुई थी। सरकार उसका मुकाबला कर रही है, इसमें सन्देह नहीं है। फिर भी बहुत कुछ करना है, इसे भी हम स्वीकार करते हैं।

रेवेन्यू मैनुअल के बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने कहा और मैं भी उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं। हमारे माल मंत्री जी को चाहिये कि उस पर सिंहावलोकन या विचार विनिमय कर लें। मेहता कमेटी की रिपोर्ट का मैं विशेष तौर से वर्णन नहीं करना चाहता हूं। फिर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। वह बड़े ऊंचे पैमाने की बात है। बहुत से माननीय सदस्य उधर अपना ध्यान लावेंगे। इसलिये मैं अधिक नहीं कहता हूं। सरकार ने पोखरे खुदवाने की स्कीम बारिश निकट आने पर मंजूर की। यदि यह पहले से चालू होती तो समस्या बहुत कुछ हल हो गई होती।

मैं देखता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन में बहुत कुछ अच्छे भी हैं और सरकार को वे ग्राह्य होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह देखने में आया है कि पिछली कही हुई बात को बार-बार दोहराया जाता है। अगर किसी कही हुई बात पर जोर देना है तो एक जुमले में कहा जा सकता है कि उनकी फलां बात से मैं सहमत हूं। वाद-विवाद में उसी बात को बार बार दोहराना वाद-विवाद का दोष है और माननीय सदस्यों को इससे बचना चाहिये। यदि इसका आप ध्यान रखेंगे तो १०-१५ मिनट का समय जो आपके लिये है काफी साबित होगा।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अन्न मंत्री जी का सम्भाषण भी बड़े गौर से सुना और उन्होंने जो पत्रिका हम लोगों को दी है उसे भी देखा। मैं समझता हूं कि उस में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे प्रदेश की खाद्य स्थिति पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। एक बात की ओर उन्होंने हम सब का ध्यान आकर्षित किया है कि खाद्यान्न के मूल्य की वृद्धि के कारण क्या थे। मैं माननीय मंत्री जी के ही दिये हुये कुछ आंकड़े पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पत्रिका में १२-७-५८ और ३१-७-५८ के गेहूं के भावों में जो उतार चढ़ाव हुये हैं वे दिये हैं। हापुड़ के बाजार की हालत देखें तो १२-७-५८ को वहां २०.६२ रुपये मन थी और ३१-७-५८ को १९.७५ हो गई, अर्थात .८७ का अन्तर पड़ा। गोरखपुर के बाजार में २१.२५ पहले था जिसका २२.०० हो गया, अर्थात .७५ का अन्तर पड़ा। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी क्षेत्र की मंडियों में जहां १२, १३ और १४ रुपये मन गेहूं होता था वहां उनके यहां अधिक वृद्धि हुई। जहां कि गेहूं ज्यादा मात्रा में पैदा होता था वहां बाजार ज्यादा चढ़ गया और हमारे यहां जहां परमानेंट तरीके से अभाव रहता है वहां वृद्धि कम हुई। मैं माननीय मंत्री जी से इसका कारण जानना चाहूंगा कि पश्चिमी जिलों का गेहूं का मार्केट क्यों इतना ज्यादा चढ़ गया, उसका परसेंटेज हमारे यहां के बाजार से ज्यादा क्यों रहा।

माननीय मंत्री जी ने एक रिपोर्ट में दूकानों की चर्चा की है। उन्होंने दूकानों की सूची भी दी है, लेकिन उसको देखने से पता चलता है कि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां दूकानों की वृद्धि न करके और कमी कर दी गयी है। पूर्वी जिलों का ऐसा एक जिला बलिया है जो

हमेशा सूखा, बाढ़ और अकाल से त्रस्त रहता है। वहां ३१ मई सन् १९५८ को १८० दूकानें थीं लेकिन ३१ जुलाई, १९५८ को वे केवल १५३ रह गयीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चीजों, खास कर अन्न का भाव कम करने के लिये क्या दूकानों को कम करने की आवश्यकता है।

गोरखपुर जहां की आबादी साढ़े बाईस लाख है, जो सरयू, राप्ती और गंडक नदियों की बाढ़ से त्रस्त रहता है, जहां भुखमरी का नग्न चित्र प्रतिदिन दिखायी देता है, वहां पर एक भी दूकान की वृद्धि नहीं हुई है। ३१ मई, १९५८ को वहां पर २१० दूकानें थीं, लेकिन अब जुलाई में भी २१० दूकानें हैं। इसी प्रकार बड़ी कोशिश के बाद देवरिया जैसे जिले में केवल ६ दूकानें ही बढ़ाई गयीं।

सरकार ने मुख्यतः दो बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है (१) गेहूं के भाव की तरफ, और (२) दूकानों के बारे में। मेरा सरकार पर यह चार्ज है कि जिलाधीश महोदय सरकार को ठीक आंकड़े नहीं देते हैं। पूर्वी क्षेत्र के जिलों के बारे में मैं चेलेंज करके कह सकता हूं कि जो दूकानें आपके यहां कागज पर दी गयी हैं, उन दूकानों पर गल्ला नहीं है। उसमें एक न एक झंझट लगाया जाता है। भ्रष्टाचार की बाबत तो माननीय गेंदा सिंह कह ही चुके हैं। पारसाल से आज के दिन कोई गल्ला नहीं बढ़ाया गया है। गवर्नर महोदय ने कहा कि इस वर्ष १६ प्रतिशत गल्ला कम हुआ है, पारसाल ज्यादा हुआ था। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि पारसाल जितनी दूकानें खोली थीं उतनी दूकानें तो माननीय मंत्री जी खोल ही दें। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको तो माननीय मंत्री जी जरूर ही कबूल करेंगे।

पूर्वी जिलों के बारे में एक बात का जिक्र मैं अवश्य कर देना चाहता हूं और वह यह कि हमारी जो स्केयरसिटी है, वह परमानेन्ट है। जब तक सरकार कोई योजना स्थायी रूप से चाहे वह बाढ़ नियंत्रण की हो, चाहे उद्योग-धंधों की हों, चाहे पिछड़ापन मिटाने की ही योजना हो, चाहे शिक्षा के बारे में कोई योजना हो नहीं चलायेगी, तब तक यह अभाव की स्थिति नहीं मिटेगी।

हमारे यहां पूरी होल्डिंग्स की २ एकड़ वाली होल्डिंग्स २० प्रतिशत हैं। गोरखपुर, बनारस और फैजाबाद में २ एकड़ से कम ह। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट म साढ़े छः एकड़ को अलाभकर जोत बताया गया है तो फिर माननीय मंत्री जी २ एकड़ से नीचे वाली होल्डिंग्स को कहां रखना चाहते हैं? दूसरी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है, इसमें और बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि दिन पर दिन अभाव के कारण और खेती पर ज्यादा बोझ होने के कारण और परकेपिटा अन्न कम उत्पन्न होने के कारण से दिन पर दिन लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिये क्या किया जा रहा है?

हमारे यहां अगर सरकारी सिंचाई के साधनों को देखा जाय तो पूरे उत्तर प्रदेश में ३५ कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है, तो गोरखपुर डिवीजन म .०३ प्रतिशत ही है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और उनकी मुसीबत को दूर करना चाहिये।

अब मेहता कमेटी की रिपोर्ट को ले लीजिये। उसमें दिया हुआ है कि एक ओर लोगों के पास खाने को नहीं है और दूसरी ओर एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। हजारों मन चावल और दूसरे अन्न यहां से बाहर भेजे जा रहे हैं, इन स्केयरसिटी एरियाज से अन्न बाहर भेजे जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं पेज १३१ को रेफर कर देना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में एक्सपोर्ट की जो हालत है उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी जरा अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट देख लें। पोपुलेशन आन एग्रीकल्चर जहां सन् १९२१ में ६२.३ था वहां सन् १९५१ में बढ़ कर ८५.७ हो गया।

[श्री उग्रसेन]

इस तरह से मैं समझता हूं कि खेती पर भार बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से श्रीमन्, हमारे यहां पर कैपिटा एनुअल आउट पुट जहां सन् १९५०-५१ में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ३.३३ था वहां सन् १९५५-५६ में ३.२४ हो गया, वेस्ट यू० पी० में ४.८५ था जो घट कर सन् १९५५-५६ में ४.५५ हो गया और आल यू० पी० में जहां १९५०-५१ में ४.२२ था वहां १९५५-५६ में ४.०७ हो गया। इस तरह से बराबर पर कैपिटा आउट पुट सरकारी आंकड़े के ही अनुसार दिन ब दिन कम होता गया है। कहने का मतलब यह है कि खेती करने योग्य भूमि में भी कमी होती जा रही है। सन् १९२१ में कल्टिवेटेड एरिया पर कैपिटा एकरेज जहां ७३.७ डिसिमल था वहां १९४१ में ५४.८ और १९५१ में ५०.१ डिसिमल ही रह गया। इस तरह से खेती करने योग्य भूमि का भी एकरेज दिन पर दिन प्रति व्यक्ति कम होता जा रहा है और एक्सपोर्ट भी होता है, उद्योग धंधे का भी कोई साधन नहीं है और हम दिन पर दिन भूमिहीन होते जा रहे हैं। उसके बाद श्रीमन्, लगातार ५ वर्ष से वर्षा, बाढ़, सूखा और कटाव से हमारे गोरखपुर और देवरिया के जिले तबाह हैं। श्रीमन्, देवरिया जिले में ३० हजार आदमी कटाव से पीड़ित हैं। सरकार की जलकुम्भी योजना और नेपाल योजना से कुछ नहीं हो रहा है।

इसके बाद, श्रीमन्, मैं सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सरकार का दृष्टिकोण ऐसा है कि वह चाहती है कि हम इसी हालत में रहें और मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि इस समय हम लाख चिल्लाते रहें, सरकार हमारी मदद कुछ नहीं कर सकती है। वह गेहूं का भाव बतला सकती है, देवरिया में ६ दूकानें अधिक खुल गयीं, उनको बतला सकती है लेकिन सन् १९५५ में सरकार ने हमारी मदद करने के लिये जितनी दूकानें खोली थीं उतनी भी मदद नहीं कर सकती है। सरकार सोचती है कि पंचायत टैक्स सभी वसूल कर लें, लोगों को मुर्गा बनावें, लोगों के ऊपर गोली और डंडे चलवावें और सारे टैक्स वसूल करके पंचवर्षीय योजना को फीड कर दें। इसके बाद १९६१ में हमारे सामने बजरी की बोरी खोल दी जायगी और कुछ लोगों को मिल जायगी। फिर १९६२ का चुनाव आ जायगा और उसमें वोट ले लेने का प्रबंध हो जायगा, श्रीमन्, जहां तक बस्ती जिले की बात है, वहां के सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी का एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि खलीलाबाद और बांसी तहसील में जहां सोशलिस्ट पार्टी की ओर से 'घेरा डालो' आन्दोलन शुरू हुआ था लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। कहा तो यह जाता है कि किसी की नीयत पर हमला मत करो, ठीक है मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं मगर मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये, लोगों को रोटी और रोजी देने के लिये क्या किया है? मैं तो बार-बार कहता हूं और लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि तुम बराबर इसी का जिक्र करते हो कि लखनऊ की सरकार और दिल्ली की सरकार कलकत्ता और बम्बई के पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और कीमतों के घटाव-बढ़ाव के द्वारा यू० पी० के हर गरीबों को वे सब लूट रहे हैं। कीमतों के भाव में बढ़ाव उतार से २०० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने पूंजीपतियों को कमवाया है। चना मई, जून में ३ आने सेर बिके और दिसम्बर, जनवरी में ५ आने सेर खरीदा जाय। तो यह २ आने सेर की लूट कौन करता है? यह सरकार टाटा, बिरला से जो टेलीफोन पर बात करते हैं करवाती है। मैं पूछता हूं क्या सरकार की कोई प्राइस पालिसी है? क्या सरकार ने कोई प्राइस कमीशन बैठाया है? सोशलिस्ट पार्टी ने साफ कहा है कि कारखानों के बने हुये माल में खरीद के दाम लागत के दामों से डेढ़ गुने से अधिक नहीं होने चाहिये। अगर ५ आने गज कपड़े की कास्ट आती है बनाने की तो उसकी खरीद की कीमत साढ़े ७ आने से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसी तरह से खाद्यान्नों में ४ नये पैसे फी सेर से अधिक उपभोक्ताओं को कीमत नहीं देनी चाहिये। लेकिन हमारे यहां गन्ने की कीमत १ रुपये ७ आने मन है और ३६ रुपये मन चीनी के दाम और बाजार में तो वह १ रुपये सेर बिकती है। तो हुजूर वाला, बराय मेहरबानी आप अपनी प्राइस पालिसी तो बतला दीजिये। मैं मांग करता हूं कि प्राइस कमीशन बैठाया जाय।

हमारे सामने मेहता कमेटी की रिपोर्ट है । मै उस रिपोर्ट से प्राइस स्टेबिलाइजेशन पालिसी के सम्बन्ध में दो लाइन्स पढ़ देना चाहता हूं:—

"The solution lies in correcting the unbalanced character of the economy by increasing and diversifying employment opportunities through promotion of village and small-scale industries besides provision of better irrigation facilities for agriculture and protecting the economy against flood hazards."

यानी इस मेहता कमेटी ने लिखा है कि छोटे मोटे उद्योगों को चला कर बाहर से जो हमारी एकनामी शेटर्ड हो जाती है उसको और सिंचाई के साधनों को ठीक करके ही अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों की हालत ठीक की जा सकती है । तो मैं सरकार से मांग करता हूं जैसा कि मेहता कमेटी ने भी लिखा है बिना प्राइस स्टेबिलाइजेशन के सही मानी में उपभोक्ताओं और जो अन्न पैदा करते हैं उनकी भलाई नहीं की जा सकती ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने एक फ्लड कमेटी बैठायी है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में और उसने अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी कि फ्लड इंश्योरेंस स्कीम खुलनी चाहिये लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ । रिपोर्ट में आगे जो लिखा है उसके सम्बन्ध में दो लाइन्स पढ़ देना चाहता हूं :—

"Regarding the revision of the existing rules for the grant of relief in revenue on account of damage caused by floods, the Committee were of the opinion that consequent upon the passing of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, this matter should be further examined when matters have stabilized."

कहा गया हैं कि जब जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट बन जाय उसके बाद इस मामले में विचार होगा । मैं आदरणीय सदन के सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि तकावी जो मिलती है उसके कायदे कानून में एक इंच का भी फर्क नहीं हुआ । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो भूमिहीन हैं और जिनका सर्वस्व नाश हो गया है क्या उनको तकावी मिलती है ? नहीं मिलती है । केवल बड़े-बड़े लोगों को तकावी मिलती है । तकावी रूल्स का अमेंडमेंट किया जाय, रिलीफ मेजर्स में अमेंडमेंट किया जाय । अंग्रेजों के जमाने में अकाल पड़ा तो फेमीन कोड बना और टेस्ट वर्क्स पर जो मजदूर लगाये गये उनको ५ आना रोज की मजदूरी दी जाती थी और आज भी वही ५ आना मजदूरी दी जाती है । उस ५ आने को १ रुपया क्यों नहीं किया जाता है ? सोशलिस्ट पार्टी का एक शिष्ट मंडल हमारे साथी राजनारायण जी की अध्यक्षता में २७ जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ११ मांगें उनके सामने प्रस्तुत कीं । जिसमें १३६५ फसली की रबी की मालगुजारी पूरी माफ करने के लिये कहा गया है और यह ११ मांगों में से एक प्रमुख मांग है । लेकिन अभी तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन मांगों का कोई उत्तर नहीं दिया ।

श्रीमन्, इसके अलावा देवरिया सोशलिस्ट पार्टी ने जिलाधीश देवरिया को २२-७-१९५८ को इस बात का नोटिस दिया कि ८ अगस्त, १९५८ की रात को १२ बजे तक अगर ये मांगें हमारी न मानी गयीं तो मजबूरन ९ अगस्त, १९५८ से हम भूखग्रस्त लोगों का देवरिया जिले के कसया, हाटा और सलेमपुर में 'घेरा डालो' आन्दोलन सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलेगा ।

श्रीमन्, हम पूर्वी जिले के लोग रोटी-रोजी के लिये कराह रहे हैं । मैं तो यह समझता था कि सरकार कोई लम्बी-चौड़ी स्कीम लेकर आने वाली है और मुफ्त गल्ला पाने वाली जो स्कीम थी उसको, वह चालू हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय अब समाप्त हो गया ।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा टाइम अधिक दे दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आम तौर पर १० मिनट हैं, आप १५ मिनट ले लीजियेगा ।

कुमारी कमलकुमारी गोंई दी---धन्यवाद ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहती थी क्योंकि जिस समय प्रदेश के ऊपर इतनी विपत्ति पड़ी हो उस समय बातों से क्या मतलब, कामों से मतलब होना चाहिये । लेकिन जब मैंने माननीय सदस्य गेंदासिंह जी का भाषण सुना तो मेरे मन में कुछ थोड़ी-सी बेचैनी हुई और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी बातों का उत्तर दे देना चाहिये । मैंने यह भी सोचा कि कुछ थोड़ी-सी बातें अपने क्षेत्र के मुताल्लिक और कुछ साधारणतः और क्षेत्रों के लिये भी कह दूं ।

पहली बात माननीय गेंदासिंह जी ने कही कि किसी कलेक्टर ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं की जिसमें प्रतिनिधि और जिले के और आदमी मिलकर इस ड्राफ्ट के बारे में बातचीत कर सकें । मैं माननीय गेंदासिंह जी का बहुत आदर करती हूं लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है मेरे जिले में रैना साहब, जो हमारे यहां कलेक्टर थे उन्होंने मीटिंग बुलायी थी और उस मीटिंग के अन्दर हम लोगों ने अपने सुझाव भी रखे थे । मैं आप लोगों से यह भी बतला देना चाहती हूं कि मेरा क्षेत्र वही है जिसको आज यू० पी०गवर्नमेन्ट ने सबसे अधिक स्केयरसिटी एरिया डिक्लेयर किया है यानी मेजा और करछना । मैं प्रत्यक्ष रूप से बता देना चाहती हूं कि मीटिंग हुई । एस० डी० ओ० अलग से गये और यह उन्होंने लिखा कि कहां-कहां पर कितनी-कितनी फसल खराब हुई और मैंने दौरा करके अलग लिखा और फिर दोनों ने मिल कर फसल के नुकसान का निश्चय किया । यह जरूर है सब कुछ नहीं किया जा सकता था । ऐसा मेरे यहां हुआ, बाकी जिलों की मैं नहीं जानती ।

दूसरी बात मैं बहुत आदरपूर्वक यह कहना चाहती हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा अपने भाषण में कि जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है उनको एक रुपये से पांच रुपये तक लगान देना था और उस लगान की वसूली के लिये उनको मुर्गा बनाया जाता है और उनकी बुरी दशा की जाती है । मैं उनसे बहुत आदरपूर्वक यह पूछना चाहती हूं कि १ साल में ३६५ दिन होते हैं और माननीय गेंदासिंह जी ने यह भी कहा था कि एक परिवार में ६ सदस्य होते हैं, तो अगर एक परिवार के लोग साल भर तक खर्च करने लगें तो वह कितने रुपये खर्च करते होंगे। वह २ सौ सवा २ सौ से कम नहीं होता । एक रुपये या ५ रुपये तो होते नहीं हैं । इसके ऊपर पूरा १ घंटा लगा दिया गया । लेकिन मैं यह कहती हूं कि परिवार का निर्वाह एक एकड़ भूमि पर नहीं हो सकता है । यह आप बिलकुल याद रखियेगा कि वे कोई न कोई अन्य साधन रखते हैं या कोई न कोई अन्य साधन उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं तब तो वह बेचारे किसी तरह से चला पाते हैं । इससे यह न समझ लीजियेगा कि हम उनकी हालत से संतुष्ट हैं लेकिन हम यह मानते हैं कि आज उनकी जो हालत है उसमें एक या दो रुपये की सहायता कर देने से उनकी हालत नहीं सुधर जायगी, यह रियलिटी है । हमको ज्यादा टाइम इस चीज के लिये देना चाहिये था कि उनको काम दिया जाय । यह तो उनकी आड़ लेकर कुछ बड़े आदमियों का फायदा है जिनको ज्यादा लगान देना पड़ता है । और जो ऐसे आदमी हैं उन्हीं की जबान में दम है, वही बोल सकते हैं । इसलिये सवाल यह है कि आखिर उन्हें किस तरह से काम दिया जाय । इस पर सारा दिन व्यतीत होना चाहिये था ।

तीसरी चीज माननीय गेंदासिंह जी ने यह कही कि लोगों को ४,६,८ आना रोज की मजदूरी मिलती है । लेकिन मैं कह देना चाहती हूं कि मेरे जिले में ऐसा नहीं हुआ है । वहां पर पीस वर्क स के हिसाब से चेजेज दी गईं । कांट्रेक्ट सिस्टम पर काम हुआ । १०० घन फीट भूमि खोद कर डालने के लिये १ रु० ५ आना मजदूरी दी गई । इससे काम भी अच्छा हुआ और लोगों ने १ रु० से २ रु० रोज तक कमाया भी । मैं यह नहीं कहती कि सब जगह काम मिल गया, लेकिन जहां-जहां काम किया गया, सन्तोषजनक रहा ।

श्री उपाध्यक्ष---यह टेस्ट वर्क स्कीम थी ?

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--जी, टेस्ट वर्क स्कीम थी। कांट्रेक्ट सिस्टम पर काम हुआ। क्योंकि वह बहुत ही पथरीला इलाका है, मेजा इलाके में पत्थर खोदना आसान काम नहीं है इसलिये हमने पहले ही सुझाव दिया था, उसी तरह कलेक्टर साहब ने मानकर सिफारिश भी की थी और वह हो भी गया।

इसके अलावा चौथी चीज दूकानों के खोलने के बारे में कही कि बिहार में बहुत दुकानें खुलीं। ठीक है बिहार में स्केयरसिटी अधिक होगी। लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट ने अकलमन्दी का स्टेप उठाया कि जैसे स्केयरसिटी बढ़ती गई वैसे-वैसे दूकानें बढ़ती गईं और मुझे आशा है कि गवर्नमेन्ट अब जो कि २ महीने आ रहे हैं इनके अन्तर्गत अधिक से अधिक दूकानें खोलेगी ताकि जितने भी अभावग्रस्त इलाके हैं उनको वह कवर कर सके। मेरा ऐसा खयाल है कि गवर्नमेन्ट जरूर करेगी। फिर भी मैं अपने क्षेत्र की बात बता दूं। मेजा और करछना की जनसंख्या लगभग ६ लाख है और अगर आप प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के लिये ४ छटांक भी भोजन दें तो आपको ७,५०० टन गल्ला चाहिये २ महीने के लिये। इसलिये अगर ४ हजार आदमियों का एक यूनिट मान लिया जाय तो १५० दूकानें वहां खुलें जबकि हमारे जिले में गांवों में ७५ दूकानों की योजना रखी है। मेरा खयाल है कि गवर्नमेन्ट इस को मान लेगी।

दूसरी चीज यह है कि शंकरगढ़ इलाका बड़ा भारी इलाका है, उसमें पत्थर की कटाई और सिलिका सैंड का व्यापार है। रेलवे में वैगन सप्लाई wagon supply के लिये प्रायरिटी लिस्ट होती है कि किस उद्योग को क्या प्रायरिटी मिलेगी। यह व्यापार उस लिस्ट में "ई" कैटेगरी में आता है, जिस कारण लोगों को वैगन्स कम मिलते हैं। अब व्यापारियों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि बहुत देर तक स्टाक रख सकें। जिसका नतीजा यह होता है कि उनको बहुत से लेबररों को बैठा देना पड़ता है। हम चाहेंगे कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि हमारे यहां के इस व्यापार को "सी" कैटेगरी में कर दे जिससे इसके लिये ज्यादा वैगन्स मिल सकें। इस तरह से मेरा निश्चय है कि १ लाख आदमियों को हम काम दे सकेंगे। यह स्थायी हल भी होगा और अस्थायी भी। इसके अलावा एक बात और है कि प्लानिंग और पी० डब्लू० डी० आदि के इस साल के काम जो बरसात में हो सकते हैं वह सब जल्द से जल्द आरम्भ किया जाय।

इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है कि जो नैनी इंडस्ट्री का काम है उसके लिये रा-मेटीरियल उपलब्ध कराया जाय, स्वदेशी काटन मिल जो रा-मेटीरियल की कमी के कारण बन्द हो गई है उसके लिये रा-मेटीरियल का प्रबंध किया जाय और इस तरह से जो चार, साढ़े चार सौ आदमी बिना काम के बैठे हैं वह काम में लग जायं और काम ठीक से चले।

इसके अलावा चर्खे का खुले तौर पर वितरण होना चाहिये और देखा जाय कि उनका काम किस तरह से चलता है और सारे काम की अच्छी तरह से रहनुमाई की जाय।

इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछ स्थायी सुझाव भी दूंगी। फूड की स्केयरसिटी को कम करने के लिये इरिंगेशन ही बैकबोन है। सबसे पहली दिक्कत इस समस्या को सुलझाने में पूर्व और पश्चिम की पड़ रही है। पहले पश्चिम में नहरों से आबपाशी होती थी और इसी कारण से इस कार्य में उधर का ही स्टाफ ज्यादा अनुभवी है और उनको पानी के वितरण का अच्छा ढंग आता ह, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि पश्चिम के नहरी कर्मचारी पूर्व में आ कर काम नहीं करना चाहते। अभी हाल ही में लगभग पूर्वी इलाके के ७० अमीन जिलेदार बना दिये गये हैं। अब जब कि हमारे बड़े-बड़े अफसर कांस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुये हैं और इन जिलेदारों को वितरण के काम का ज्ञान नहीं है तो इस दशा में मेरा सुझाव यह है कि काम के लिये कर्मचारी होते हैं तो कम से कम ५० परसेंट लोग पश्चिम से पूर्व भेजे जावें और एक के साथ एक पश्चिम का अनुभवी आदमी रखकर काम ठीक से चलाया जाय, इस में कोई पश्चिम पूर्व का सवाल नहीं है, प्रदेश के किसी कोने में भी काम हो तो सब को मिलकर करना चाहिये, पूर्व वाले पश्चिम में जायं और पश्चिम वाले पूर्व में जायं।

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

एक बात गूलों के बारे में भी कहूंगी। जब गूल बनती है तो किसान आपस में लड़ते हैं, वह अपने आप तो पानी ले लेते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते और तमाम मुकदमे वगैरह लड़ते हैं। बहुत समय लग जाता है और लैन्ड एक्वायर नहीं हो पाती। मैं समझती हूं कि ऐसा कोई ला बना दिया जाय, संशोधन कर दिया जाय तब तक आर्डिनेन्स हो जाय कि जो लैंड एक्जिक्यूटिव इंजीनियर गूलों के लिये लेना चाहें और निश्चय कर दें कि पानी यहां से जाना चाहिये तो फौरन ही उस जमीन का एक्वीजीशन हो जाय। इस तरह से आगे के खेतों को भी पानी मिल सकेगा।

अब कुयें और बैलों की जो तकावी किसानों को दी जाती है, उसके बारे में मेरा सुझाव है कि अगर आप को खेती को बढ़ाना है और इस काम को बढ़ाना है तो किसानों को इन कामों के लिये नकद पैसा न दिया जाय क्योंकि वह बेचारे इतने गरीब हैं कि वह इस पैसे को अपने छोटे-छोटे घर के दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं और मजबूर होकर थोड़ा बहुत रुपया ही वह उस काम में लगा पाते हैं। मैं नहीं कहती कि वह सेंट परसेंट उस काम में नहीं लगाता, लेकिन अपनी मजबूरी के कारण वह इधर-उधर खर्च हो जाता है। सरकार उनके कुयें स्वयं बनवा दे जिस का रुपया वह किस्तों में अदा कर दें। (लाल बत्ती जलने पर) लाल बत्ती हो गयी, इससे तो मैं हमेशा डरती हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से काम के बारे में कहूंगी कि हमारे देश की आवश्यकता घरेलू उद्योग-धंधे की है और उनमें भी चर्खा सर्वश्रेष्ठ है। हम यह नहीं चाहते कि किसान खेती छोड़-कर चरखे पर आ जाये कि उसको नौकरी मिल जायगी। असली प्रश्न हमारे सामने यह है कि जो लोग पार्शली काम में लगे हुये हैं उनको पूरा काम में लगाने के लिये कोई न कोई घर में उद्योग-धंधा होना चाहिये। इसलिये हमारी माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है कि वह सब अपने घर में भी खादी खरीदा करें और गांव में जाकर वहां खादी का कंजम्पशन बढ़ायें और उस पर जोर दें। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जायगी और गांव के लोगों के पास थोड़ा-थोड़ा खाली समय में काम पहुंच जायगा। मैं अपनी बात पूरी नहीं कह सकी, फिर भी धन्यवाद देती हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में शायद दो रायें नहीं हैं कि हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या बहुत विकराल हो चुकी है और मेरे खयाल से इस मसले का हल महज इसमें नहीं हो सकता कि हम यहां आ करके एक दूसरे को कुछ डिबैटिंग मूड में सुने, बल्कि हर एक अपने-अपने मत को रखे और उसके अनुसार कार्य हो। कुछ हकीकतें ऐसी हुआ करती हैं जिससे हम अखराजात बेकार के बचा सकें उससे भी समस्या का काफी हल हो सकता है। इस समय न सिर्फ मसला यह है कि इस गरीबी और भुखमरी को कैसे दूर किया जाय बल्कि जिनके पास नहीं हैं, जो "हैव नाट्स" हैं, उनको भुखमरी इतनी नहीं सताती जितना यह चीज कि जब वह देखते हैं कि और लोग इतनी शान व शौकत और ऐश व इशरत से रह रहे हैं। हमारे पूज्य नेहरू जी ने कहा था कि गवर्नरों के अखराजात कम किये जायं। राजस्थान के गवर्नर के खर्च का आपने हाल में पढ़ा होगा। तो इन चीजों में हम खर्चा कम करना चाहते हैं। ६ लाख रुपया जो हम खर्च करते हैं और यह परदों के नवीकरण के लिये एक साल में २१,००० और लिफ्ट वगैरह पर इतना व्यय होता है, जबकि हम १० सीढ़ी चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं इन सब को खत्म किया जाय? क्योंकि एक तरफ इंसान को जिन्दा रखने का सवाल है, जीवन-मरण का प्रश्न है और दूसरी तरफ आराम की चीजें हैं। बाहर लोग कहते हैं कि तुम असेम्बली में इतनी मौज उड़ाते हो। इसलिये इस चीज को हमको वार-फूटिंग (War Footing) पर लेना चाहिये, मेरी तो नाचीज राय यह है और पंचवर्षीय योजना के बारे में हमको पूरा सहयोग देना चाहिये। लेकिन यह बात भी माननी चाहिये कि जो यह कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना

हमारी बड़ी सफल हुई है और फूड के टार्गेट तक हम पहुंच गये हैं, तो क्या वजह है कि पहले जब यह पंचवर्षीय योजना नहीं थी तब इतनी भुखमरी नहीं थी ? तब भी सैलाब आते थे, बाढ़ आती थी, लेकिन योजना के बाद क्यों भुखमरी ज्यादा हो गई ?

एक सदस्य--आदमी ज्यादा बढ़ गये ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--कुछ हद तक मैं मानता हूं कि आदमी ज्यादा बढ़ गये, लेकिन उसको कंट्रोल कीजिये । देखा जाय कि किसके घर में कितने हैं, वैसे मैं टैक्स के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जो ज्यादा पैदा करे उस पर टैक्स लगा दिया जाय ताकि वह रोक-थाम कर ले, लेकिन देखने से उधर ज्यादा टैक्सप ड़ेगा ।

असल चीज यह है कि गरीबी है । मगर सरकार से मिन्नत करूंगा कि ऐसी बढ़ा-चढ़ा कर बातें न रखी जायं, इतनी अच्छी रोजी पिक्चर (rosy picture) न खींची जाय । इससे आदमी को यह होता है कि वह सोचता है कि फूड में हम निर्भर हो गये हैं और वह सोचता है कि हमारी खाद्य समस्या अच्छी हो गई है, लेकिन दूसरी ओर वह देखता है कि बाजार भाव गिरता जा रहा है और गरीबी बढ़ती चली जा रही है तो इसका उल्टा असर होता है । सब लोग जानते हैं कि भीषण परिस्थिति है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि Let us have a true यानी हमको यह बात मान लेनी चाहिये । लेकिन आप कहते हैं कि विरोधी दल वाले ऐसी वैसी बातें करते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं ।

श्रीमन्, इस समय सबको मान्य है कि हमारा देश बड़े संकट से गुजर रहा है । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । अगर आप हम सब लोगों का सहयोग चाहते हैं तो हमें रिस्पांसिबिलिटी (responsibilities) भी क्यों नहीं देते हैं ? श्रीमन्, जब इंगलैंड में बम-वर्षा हुई थी तो लेबर पार्टी को भी जिम्मेवरी शेयर (share) करने दी गई थी। वाकई अगर आप चाहते हैं कि रचनात्मक रूप से आपको सहयोग मिले तो आप इधर भी जिम्मेदारी डालिये। Let us have a National Govt. instead of Party Govt. हमारे ऊपर अगर जिम्मेदारी आयेगी तो हमारी जुबान पर भी लगाम लग जायगी । एक अधिकारी कोई खराब काम करता है, उसको एक पार्टी शिकायत करती है तो झट दूसरी पार्टी कहती है कि यह अच्छा काम करता है और उसकी सिफारिश करती है । इसका नतीजा होता है कि दोनों की इज्जत रसातल को जाती है । किनकी इज्जत जाती है, उनकी जो जनता के प्रतिनिधि हैं । मैं कहता हूं कि आप जिम्मेदारी बांटिये तो फिर इस तरह की बातें सुनने को आपको नहीं मिलेंगी । आप में क्या इतनी हिम्मत है ? इतना त्याग है ? आप विरोधी दल के लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कीजिये इससे दफ्तरों की स्लैकनेस (slackness) चली जायगी । अभी आप लोगों ने पायनियर के "साइन्स आफ दि टाइम" में पढ़ा होगा कि दफ्तरों में क्या चीज हो रही है । कल का आर्टिकिल पढ़ने लायक है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आपने अंक तो बताया नहीं, पढ़ेंगे कहां ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, कल का ही या इधर हाल ही का ऐसा आर्टिकिल पायनियर में है । एक माननीय सदस्य उधर से बोले थे कि बस्ती चलिये । मुझे बस्ती जिले में नौगढ़ तहसील को देखने का मौका मिला है । एक साहब कह गये हैं कि साखू के बीज मेरी आया खाती थी भसीड़ लोग रोज खाते थे । मैंने नौगढ़ में यह बात लोगों से पूछी तो उन्होंने कहा कि हम उन (सदस्य) को बतायेंगे । खैर, यह तो बीच की हालत है । गल्ला मांगने के लिये गये नौगढ़ में जनसंघ ने प्रदर्शन किया । पहले रोज जरूर १० हजार जनता ने कचहरी घेरी थी मगर दूसरे रोज शान्त वातावरण था । सत्याग्रही लोग तो दरकिनार रहे, जो सड़क लुम्बनी से बस्ती को जाती है, वहां राह चलते लोगों को अधिकारियों द्वारा मारा गया, औरतों के बाल खींचे गये । यह आपकी पार्टी का सवाल न होकर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये जो अधिकारी से संबंधित न हो ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

श्रीमन्, जैसे पूर्वी जिलों में अन्न की कमी है उसी तरह से पर्वतीय जिलों में अन्न की उससे भी ज्यादा कमी है । माननीय मंत्री जी तक इसको स्वीकार कर चुके हैं कि पहाड़ पर यह एक chronic disease है और वहां हर साल खाद्यान्नों की कमी होती है । श्रीमन्, हमारे यहां चैत और बैशाख में धान बोया जाता है इसलिये अगर देर में वर्षा हुई और धान सूख गया तो फिर दुबारा नहीं हो सकता है । वहां ५-६ महीने फसल के लिये चाहिये क्योंकि वहां यहां की तरह से गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है । वहां की खाद्य स्थिति बहुत खराब हो गई है । सबको जानना चाहिये कि वहां के लोगों का गुजारा पल्टन की नौकरी थी । हम लोग मिलिटरी में कैनन फोडर के लिये जाते थे । अब मार्शियल (martial) और नान मार्शियल (non-martial) का फर्क हो गया है, इससे यह धंधा भी नहीं रहा है । दूसरे लोग बर्मा में नौकरी करने के लिये जाते थे और बाहर तिब्बत से चीजें खरीद लाते थे । अब वह भी बन्द है वहां पर कोई उद्योग-धंधें भी नहीं हैं ।

एक इंडस्ट्री जरूर सरकार ने हमें प्रदान की है । वह है आल इंडिया यूटैंसिल रबिंग इंडस्ट्री (All-India Utensil Rubbing Industry) । यह इंडस्ट्री सरकार वापस ले ले तो मैं इसके लिये बड़ा मशकूर हूंगा । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पर्वतीय प्रदेश में जीवन स्तर पहले से बहुत गिर गया है । कश्मीर में १८ लाख की आबादी पर अरबों रुपया खर्च हो सकता है । आसाम में पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र मे करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं । वाल्लू वैली चूंकि बार्डर एरिया है,वहां भी खर्च हो सकता है । लेकिन हमारा प्रदेश बार्डर एरिया होते हुए, चूंकि हम शान्ति प्रिय हैं, इसलिए हिकारत की नजर से देखा जाता है । हम भी गोविन्द वल्लभ पन्त, सुमित्रानन्दन पन्त, अमर शहीद सुमन व चित्रकार मोलाराम जैसी विभूतियां पैदा कर सकते हैं । जब आजादी की लड़ाई चल रही थी हम किसी से पीछे नहीं थे । लेकिन विकास के जमाने में हमें क्यों हिकारत की नजर से देखा जाता है ? आज हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हिन्दुस्तान के नहीं, अन्य देश से आये हैं । हम भी आप की रिआया हैं, हमारी तरफ ऐसी बेरुखी क्यों अख्तियार की है ? याद रखिये हमारा सीमावर्ती प्रदेश है वहां पर दर्रे हैं । तिब्बत से सीधा कम्युनिकेशन है । पहले हमारा तिब्बत से रोजगार चलता था । कम्युनिस्टों के आने से वह खत्म हो गया । अगर आप बार्डर एरिया को लापरवाही की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा ही अस्तित्व नहीं, हिन्दुस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जायगा । तिब्बत के नीचे दस हजार फीट पर जाल बिछा दिया गया है । हमारे यहां कुछ भी नहीं हो सका । हमारे अधिकांश लोग तो कुली हैं । मजदूरी करके खायेंगे, लेकिन अगर आपको देश की कुछ फिक्र है तो कुछ कीजिये । आपने एक इलाहाबाद में, एक आगरा में और कहीं और तीन इंडस्ट्रीज खोली हैं । मेरा सुझाव है कि २१ लाख की पर्वतीय आबादी को एक समूची इंडस्ट्री दीजिये ।

आपने नैनीताल में केवल फरफराती हुई साड़ियां और लिपिस्टिक देखी है, तल्लीताल से मल्लीताल और मल्लीताल से तल्लीताल । आपने वास्तविक पहाड़ या उसकी गरीबी नहीं देखी । कितने लोगों ने पहाड़ के अन्दरूनी भाग में जाने की तकलीफ गवारा फरमायी है । अल्मोड़ा के इंटीरियर में जाकर देखिये वहां क्या है । यहां मैदान में हर साल बाढ़ आती है । कभी सूखा कभी भुखमरी । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने आज फरमाया कि अब की बरसात ही नहीं हुई है, लेकिन नदियों में बाढ़ आ गयी । कहां से आगयी उन्हीं पहाड़ों से । अगर पानी वहीं रोक दिया जाय तो यहां बचत हो जाय । वहां बांध बंध सकते हैं । दो तरफ की दीवार तो भगवान ने खड़ी कर रक्खी हैं । एक ही तरफ की, नीचे की दीवार खड़ी करनी है । रिहन्द डैम के एक चौथाई खर्च में वहां डैम बन सकता है । सरयू व कली की वैली (valley) जहां से शारदा निकलती हैं अगर वहां पानी रोक देंगे तो बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती सब बाढ़ से बच जायेंगे । तो जरूरत यह है कि दामोदर वैली, टेनेसी वैली की तरह, काली, सरयू, अलखनंदा में डैम बनाइये । उससे यह होगा कि जब ज्यादा पानी बरसेगा तो रोक दिया जायगा, और जब सूखा होगा तो खोल दिया जायगा ।

दूसरे अफारेस्टेशन में ज्यादा से ज्यादा फलदार वृक्ष लगवाइये ताकि आपको फल मिल सकें और वहां वालों को रोजी मिल सके ।

तीसरी बात उद्यान के लिये वैयक्तिक रूप से ज्यादा से ज्यादा तकावी दी जाय ।

मैं मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं । उनका ध्यान इस ओर गया है, मैगनेसाइट वगैरह की तरफ कुछ ध्यान दिया है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इस वक्त हाल में एक प्रश्न भी आया था कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है, मगर इस बारे में कोई स्पष्ट योजना सरकारी पक्ष से नहीं आयी । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहीं पर जिक्र नहीं आया । पहाड़ में लेड (lead) मिलता है । अगर आप केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जिस ग्रूप में लेड (lead) होता है उसी में यूरेनियम (uranium) होता है। हो सकता है कि उस के साथ यूरेनियम भी निकल आये तो फिर यू० पी० की तकदीर ही खुल जाय । मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां खाद्य व्यवस्था को ठीक करने के लिये सब से जरूरी है कि वहां पर रोजगार की व्यवस्था की जाय । यह सारे देश की निधि का सवाल है । वहां पर सर्वेक्षण हो गया है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वहां पर मेगनासाइट कई लाख टन निकाल लिया है । वहां पर लेड भी बहुत अच्छे प्रकार का है। मैंने पिछली बार उसको लाकर सदन में दिखाया भी था । इसके अलावा वहां पर सोप स्टोन भी मिलता है । वहां से राजस्थान के एक आदमी उसको इस्तेमाल के लिये ले जाते हैं। उस से पाउडर बनाते हैं और वह एक्सप्लायट कर रहे हैं। तो क्यों न सरकार उसके लिये प्रयत्न करे ? पहले अंग्रेजों के जमाने में बागेश्वर से टनकपुर के लिये एक छोटी रेलवे लाइन निकालने की योजना थी क्योंकि उधर से जापानियों के आने का डर था । जापानी नजदीक नहीं आये इस वजह से वह बन नहीं सकी अगर वह रेलवे लाइन बन जाती तो बहुत कल्याण उधर के लोगों का हो जाता । हमने उस लाइन को बनवाने के लिये सरकार से मांग की थी और मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारी मांग की सिफारिश की थी लेकिन वह बन नहीं सकी । मैं केशवदेव मालवीय जी से भी मिला था। अगर बागेश्वर से टनकपुर को मोटर की सीधी सड़क सरयू के किनारे-किनारे होकर बन जाय तो पिथौरागढ़ भी नजदीक होने से उसमें मिल जायगा और बिजनेस के बढ़ने से लोगों की दशा में बहुत सुधार आयेगा ।

इसके अलावा अब मौजूदा कमी की परिस्थिति में वहां पर यही किया जा सकता है कि १० मील के फासले पर एक सस्ते गल्ले की दुकान जरूर खोल दी जाय । सबसिडाइज्ड गल्ला वहां पर लोगों को दिया जाय । वहां पर टूरिस्ट रूट में Log Cabin के लिये प्रबन्ध किया जाय । वहां पर (Test Work) का प्रबन्ध किया जाय । ४२ आदमी पिछली बार बह गये । हजारों बीघा जमीन कट गयी लेकिन लोगों को १८ बोतल मिट्टी का तेल दिया और ३ बक्स दियासलाई दी गई कितना बड़ा मखौल है यह ! इस तरह से मेरा निवेदन है कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । आगे को पहाड़ों में बाजरा और बेझड़ भी भेजा जाय । वहां पर देहरादून के चावल की जरूरत नहीं है । वह तो अमीर लोगों की चीज है । वहां मामूली चावल, गेहूं, चना, बेझड़, बाजरा व जौ भेजिये । मैंने सुना है कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने यह तय किया है कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे लोगों के क्षेत्रों में जायं और वहां देखें कि वाकई क्या हालत है, वहां पर कितनी गुरबत है और कितनी भुखमरी है । मैं भी इसका स्वागत करता हूं और इस आदरणीय सदन की ऐसी जांच कमेटियां बनाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन इस प्रदेश की खाद्य स्थिति के ऊपर विचार कर रहा है । प्रदेश की खाद्य समस्या एक महत्व की चीज है और आज वह बहुत गम्भीर भी है। मान्यवर, इससे पहले भी मैंने इस बात की दरख्वास्त की थी और हाथ जोड़ कर दरख्वास्त की थी कि हमारे विरोधी दल के भाई खाद्य समस्या को खाद्य समस्या की दृष्टिकोण से देखें और भगवान के लिये इसको राजनीतिक वाद-विवाद का विषय न बनायें। आज जो खाद्य समस्या हमारे प्रदेश की है हम उस पर विवाद करने की मांग तो करते हैं लेकिन उसके पीछे धारणा एक ही होती है और वह धारणा राजनीति की होती है । आप देख सकते हैं कि ५ विरोधी दलों के अन्दर एक भी विरोधीदल का नेता इस समय यहां हाउस

[श्री नवलकिशोर]
मौजूद नहीं है जब कि उनका यह दावा है कि एक डेढ़ करोड़ जनता के मरने और जीने का यह सवाल है और खाद्य समस्या इतनी गम्भीर है कि हजारों लाखों की तादाद में हमारे देश और प्रदेश के अन्दर लोगों की वास्तव में यह स्थिति आ गई है कि वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--यह आपका हमला गलत है। वह आपकी इज्जत को बचाने के लिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया शान्त रहें।

श्री नवलकिशोर--मुझ को बड़ा दुख है कि मेरे भाइयों को जोश आ गया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--आन ए प्वाइंट आफ इन्फारमेशन। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि जो दफा १४४ लगी हुई है उसको निभाने के लिये जो जुलूस विद्यार्थियों का निकल रहा है उस सिलसिले में हमारे नेता लोग गये हैं ताकि आप बदनामी से बच सकें।

श्री नवलकिशोर--उसी बात को मैं स्वयं भी कहना चाहता था। आप घबड़ाइये नहीं। श्रीमन्, उन्होंने अभी बतलाया कि उनके तमाम नेता लोग विद्यार्थियों का जो जुलूस निकल रहा है उससे सरकार की और हमारी इज्जत बचाने के लिये गये हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर वही उस बात का सबूत है कि जो मैंने इससे पहले कहा था कि जहां कहीं ज्यादा पोलिटिकल डिवीडेंड मिलता उन्हें दिखाई देता है, वह वहीं पहुंच जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया है उस के अन्दर उनका जाना राजनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा आवश्यक है क्योंकि उन के सामने जो समस्या है वह यह कि उन विद्यार्थियों पर किस का नेतृत्व हो। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था और मेरी एक ही अनुनय और विनय थी कि विरोधी दल भगवान के लिये इस को पालिटिक्स की बात न बनाये। हमारे भाई गोविन्दसिंह जी ने इसकी ताईद की और फरमाया कि आप हमको मंत्रिमंडल में शामिल कीजिये, हम को शक्ति दीजिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी की बात कही और इसके पीछे, इसकी आड़ में जो बात है, वह सत्ता पाने की बात है।

श्री उग्रसेन--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं यहां जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अभी लड़कों की हड़ताल और नेतृत्व के बारे में बोल रहे थे। क्या वह इससे संगत है ?

श्री उपाध्यक्ष--पोलिटिकल डिवीडेंड की बात हो रही है इसलिये वह संगत थे।

श्री नवलकिशोर--श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि खाद्य समस्या की आड़ में भी सत्ता को लेने और देने की बात है। इतनी बात कहने के बाद मैं, जैसा कि माननीय गोविन्दसिंह जी ने कहा उन से सहमत हूं कि लोगों को अपनी गरीबी से इतनी कठिनाई, इतनी तकलीफ और नाराजगी नहीं होती जितनी कि कुछ लोगों की शान और शौकत को देख कर होती है। मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं और अगर वह इसके लिये मांग करते तो मैं उनके साथ होता। वह मांग करेंगे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर यह चाहता हूं कि जब हमारे सामने ऐसी गंभीर समस्या है तो उस समय हम शासन में और उसके बाहर यह शान और शौकत जितनी कम कर सकें उतनी हमें कम करनी चाहिये।

गेंदासिंह जी ने बहुत दर्द के साथ बहुत सी बातें कहीं, जिन में तथ्य भी हो सकता है। उन्होंने सब से जरूरी बात यह बतायी कि पूर्वी जिलों के अंदर १६ लाख से ज्यादा खाते ऐसे हैं कि जिनके काश्तकारों के पास एक एकड़ से कम भूमि है। यह सही हो सकता है। मैं आंकड़ों के चक्कर में नहीं जाता। उसका जवाब तो हमारे माल मंत्री जी या खाद्य मंत्री जी देंगे, लेकिन मुझे याद है कि हमारे माल मंत्री जी ने कई बार यहां घोषणा की है और इस सदन में और बाहर कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में जो पर कैपिटा जमीन आती है वह जो हमारे और बहुत से पश्चिम के जिले हैं उन के मुकाबले में कम है। यह बात सही है, इस में कोई शक नहीं, लेकिन यह समस्या पिछले साल छः महीने में आ गयी हो ऐसा नहीं है। यह समस्या प्रदेश के सामने है और

उसका हल हमें देखना पड़ेगा और यह एक दो दिन की बहस में नहीं निकल पायगा । इसके लिये तो सरकार को कोई कमेटी या कमीशन बनाना पड़ेगा । उसमें उसके ऐक्सपर्ट बैठेंगे । उनको ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये कोई लांग रेंज स्कीम बनानी पड़ेगी इस तरह की कि जिससे वहां के जन-समुदाय का आर्थिक स्तर ऊपर उठे ।

आज समस्या पूर्व और पश्चिम की नहीं है । हमारे भाई गेंदासिंह जी जानत हैं कि पिछले दो, तीन साल से पश्चिम के और पहाड़ के जो जिले हैं उनकी भी स्थिति खराब है। हर जगह से चाहे वह मेरठ हो या मुजफ्फरनगर, बरेली या बुलन्दशहर, हर जगह से इस बात की मांग आती है कि हमारे यहां सस्ते गल्ले की दूकानें होनी चाहिये। कभी सूखा पड़ेगा और उसके बाद हमारे भाइयों की मांग होगी और सही मांग होगी कि सूखे में इतनी बरबादी हो गई कभी बाढ़ आ गई तो कहा जायेगा कि बाढ़ में इतनी बरबादी हो गयी और इसलिये इस पर बहस होनी चाहिये। यह बात सही है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है कि कभी हमारे यहां सूखा पड़ जाता है और जब बरसता है तो ऐसा बरसता है कि हजारों गांव डूब जाते हैं यह मैं अपने प्रदेश की ही बात कह रहा हूं । सारे देश की बात तो दूसरी रही ।

अब मैं जिस बात पर आना चाहता था, उस पर आ रहा हूं। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि बिहार में १४–१५ हजार दूकानें खोली गयी हैं लेकिन हमारे यहां केवल ३,२०० दूकानें ही खोली गयीं हैं। मैं सही तो नहीं कह सकता लेकिन मैं समझता हूं कि वे सही ही कहते होंगे लेकिन जो इस बात से लुब्बेलुबाब मैं समझा वह यह कि दूकानों की संख्या कम है, और बढ़नी चाहिये। बहरहाल इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि अगर दिल्ली से गल्ले की सप्लाई मिल जाय और अगर हम आसानी से दूकानों को बढ़ा सकें, अगर जितनी मांग है उतना न भी कर सकते हों तो थोड़ी बहुत दूकानें अवश्य बढ़ानी चाहिये।

और भी बहुत सी बातें कही गयीं। फीस और तकाबी के बारे में भी कहा गया। उन्होंने कहा कि लगान और तकाबी की वसूली में बहुत सख्ती हो रही है। इसकी शिकायत उन्होंने अपनी कांस्टीटुएंसी के अन्दर की। वे कहते हैं कि इनकी वसूली म जुल्म हो रहा है। जुल्म ही सही लेकिन उसका मतलब यही है कि उनकी वसूली में सख्ती बरती जा रही है। ऐसी शिकायतें अक्सर हो जाया करती हैं। इतना बड़ा हमारा सबा है। कहीं से ऐसी शिकायत भी हो सकती है लेकिन अगर वे शिकायत सारे प्रदेश को सामने रख कर थोड़ी बहुत हैं तो चश्मपोशी की जा सकती है लेकिन अगर शिकायत बहुत होती है तो गलती करने वाले आफीसरों को उसका दण्ड मिलना चाहिये। यह कठिनाई माननीय माल मंत्री जी के सामने भी है।

श्रीमन्, जब मैं अभी अपने क्षेत्र में था वहां आलू की फसल खराब हो गयी थी। लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह दीजिये जिससे यह पैसा इस समय न देना पड़े और ६ महीने के बाद दे दिया जाय। कुछ और लोग जिनके पास पैसा था वह भी बोले कि हमारे लिये भी कह दीजिये कि २–४ सौ रुपया ६ महीने बाद दे देंगे। तो यह बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एक जनरल आर्डर कर दिया जाय कि तकाबी या लगान कतई न लिया जायगा। जिनके पास पैसा देने को नहीं है, उनके ऊपर सख्ती की जाय, यह बात गलत है, यह इंसाफ के बईद बात है। लेकिन उसकी आड़ में जो दे सकते हैं, वे भी देना नहीं चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी बतायें कि इसके लिये उनके पास क्या दवा है कि सरकार यह हुक्म निकाले कि जो वाकई मजबूर हैं उनसे न लिया जाय और जो दे सकते हैं उनसे वसूल किया जाय तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। लेकिन वह तो मांग करते हैं कि सब के ऊपर माफ कर दिया जाय। यह चीज मुझे ज्यादा उचित मालूम नहीं देती।

एक शिकायत यह भी की गयी कि गल्ले की कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ गयी हैं। यह सही भी हैं और माननीय माल मंत्री ने इस बात को तस्लीम किया कि पिछले ३–४ महीनों में जितना समझते थे उससे ज्यादा कीमतें बढ़ीं और इतनी दूकानें खोलने के बावजूद भी जिस स्तर पर सरकार कीमतों को लाना चाहती थी, उस स्तर पर नहीं ला पायी है। इससे कोई

[श्री नवल किशोर]

इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन आज तो सवाल इस बात का है कि आज जो हमारी खाद्य स्थिति है क्या उसके प्रति हमारी केवल इतनी ही जिम्मेदारी है कि इधर के लोग खड़े होकर यह कह दें कि इतनी खराब नहीं है और वहां के लोग यह कह दें कि स्थिति बहुत खराब है या दुबे जी यह बढ़ाकर कहें कि लोग पीपल के पत्ते खाकर जिन्दा रह रहे हैं? इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह एक विकट समस्या है और यह हमारे लिये एक इमर्जेंसी की बात है। जब देश या प्रदेश में कोई मर्जेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है तो दोनों ओर के लोग प्रेस्टिज को छोड़ कर शांति के साथ बैठ कर बातें करते हैं, समस्या पर विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे इस समस्या का निराकरण हो। आज हमें वही करना है। लेकिन जो बातें कही गई हैं, इस के अन्दर दूकानें खोल कर काम केवल महीने दो-महीने चल सकता है, मगर मूल समस्या इससे भी अलग है। हमारे जो पूर्वी जिले हैं, पर्वतीय जिले हैं, और जैसा कि माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा कि हमारा क्षेत्र तिब्बत बार्डर से मिला हुआ है, और कुछ बन्दूक वगैरह की बात भी उन्होंने कही जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि कहीं बोर्डर की उस तरफ से कम्युनिस्ट भाई हमला कर दें तो यह सरकार खतरे में पड़ सकती है। तो जैसा कि उन्होंने कहा, पूर्वी जिलों की बात हो, पर्वतीय जिलों की बात हो, बुन्देलखंड की बात हो, हम कोशिश करके वहां की समस्या को हल करें। जहां तक इस सम्बन्ध में कुछ करने की बात है, हो सकता है कि कहीं-कहीं कमी रह गयी हो लेकिन जो साधन इस सरकार के पास मौजूद थे, जितनी जल्दी वह उसके अन्दर काम कर सकती थी, तकावी की शक्ल में, सब्सिडी की शक्ल में, फीस माफी करने की शक्ल में उसने किया और कहीं-कहीं इस तरह का आदेश भी दे दिया गया है कि लोगों से पैसा न वसूल किया जाय और जहां तक दूकानों की बात है, मुझे ठीक आंकड़े तो याद नहीं है, लेकिन मेरा खयाल है कि ३,२०० और ३,४०० के अन्दर दूकानें खुली हैं। तो सरकार ने अपनी शक्ति के अन्दर काफी काम किया है लेकिन फिर भी समस्या बड़ी है, गम्भीर है। हो सकता है कि जितने ज्यादा की आशा आप करते थे उस हद तक सरकार नहीं जा सकी। तो उसके लिये केवल एक ही बात मैं पुनः आपसे कह सकता हूं कि सरकार को भी आपकी हमारी बातें सुनने के बाद इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जिस हद तक हमारी आपकी इच्छा है दूकानों के सम्बन्ध में, उसकी पूर्ति जहां तक हो सके वह अवश्य करे और आप भी मेहरबानी कर के चाहे आप मेरी बात को नापसन्द ही करें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप भी दलबन्दी को भुला कर एक खुले दिमाग से सब के साथ बैठ कर सरकार के साथ सहयोग करें और इस समस्या के हल करने में उनकी सहायता करें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय बलदेव सिंह जी, आपको नियम ४२ के अन्तर्गत वाद-विवाद में हिस्सा लेना था, इसलिये मैं आपको १५ मिनट का समय देता हूं। इसके बाद माननीय ऊदल जी बोलेंगे।

श्री बलदेवसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य की समस्या सारे प्रान्त में बड़ी जटिल है, यह सभी भाइयों को विदित है लेकिन इस काल में मैं आपका ध्यान खास तौर से गोंडा जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में मेरा कामरोको प्रस्ताव था और आपने कृपा करके मुझे समय दिया। यह जिला पहले तो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट था और हजारों टन अन्न गोंडा जिले से बाहर भेजा जाता था लेकिन श्रीमन्, न मालूम क्या हुआ कि जब से इस सरकार के कदम का बरकत हुआ या परमात्मा की क्या दृष्टि हुई कि उस जिले में अब अन्न की कमी होने लगी। और वह कमी अब इतनी बढ़ गयी है जिसकी तरफ बराबर निगाह दिलाने पर भी सरकार की निगाह नहीं पड़ी। तो श्रीमन्, यह तो बात रही अंग्रेजों के काल की जब यह जिला बागी समझा जाता था और इसी वजह से उस जिले में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। बदकिस्मती से कांग्रेसी राज्य में भी वह जिला बागी हो गया और उसको यह सरकार फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहती। तो न मालूम क्या बात है ये सारी चीजें जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी एक सप्ताह पहले माननीय मंत्री जी ने जो

एलाटमेंट किया है वह हमारे जिले से ही मिला हुआ बस्ती जिला है। हमारे यहां पहले स्वीकृत दूकानें ३४ थीं और बस्ती में २२६ थीं, फिर बाद में हमारे जिले में ६५ दूकान हुई और बस्ती में २३५ हुईं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है। लेकिन श्री रामलखन मिश्र जी ने कहा कि वहां २५५ अन्न की दूकानें हैं। श्रीमन्, गोंडा जिले में जो ६५ दूकानें हैं एक सप्ताह तक उन दूकानों पर मैं घूमा लेकिन किसी दूकान पर भी अन्न नहीं मिलता था, न मालूम क्या बात है कि इस सरकार की ऐसी उपेक्षा नीति मेरे जिले के प्रति है। श्रीमन्, बदकिस्मती ऐसी है कि आज तक उस जिले में मंत्री की कौन कहे कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तक नहीं हुआ और न विरोधी दल का कोई नेता ही हुआ। उसकी उपेक्षा ऐसी हो रही है कि लोग साग, सरहि और भसीड़ खा खाकर गुजर करते हैं। यह सब अपनी आंखों देखी बात है। अगर कोई सज्जन वहां चलने की कृपा करेंगे तो देखें कि वहां की क्या दुर्दशा है।

श्रीमन्, उस जिले में राप्ती, सरजू और घाघरा बहती हैं। अथाह पानी वहां भरा है लेकिन वह पानी हमारे विनाश का कारण बन जाता है। फलड्स आ जाते हैं लेकिन उससे सिंचाई नहीं हो पाती है।

अभी जब ट्यूबवेल्स बनने लगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में ३० और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३० बने, लेकिन पड़ोस में बस्ती में ३०० ट्यूबवेल्स बने। माननीय कमलापति जी ने कहा कि जलकुंडी बनेगी नैपाल राज्य में और गोंडा जिले में नहरों का जाल बिछ जायगा। बाद में मालूम हुआ कि वह जलकुंडी योजना खत्म हो गयी क्योंकि नैपाल सरकार ने इन्कार कर दिया। तो गोंडा जिले में वह जाल तो नहीं बिछ पाया नहरों का, लेकिन मंत्री जी के जाल में अवश्य फंस कर हम बरबाद हो गये। जहां से हजारों टन गल्ला पहले बाहर जाता था आज वह जिला दुर्भिक्ष-ग्रस्त है। हजारों लोग बेकार घूम रहे हैं।

श्रीमन्, पता नहीं कौन-सा कारण है कि जो इस जिले के साथ ऐसी सख्ती बरती जा रही है। हम तमाम जिले के अधिकारियों के पास गये, कांग्रेस वाले भी साथ थे लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमारे पास अन्न होगा तो बांट देंगे। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि दूकानें अगर ४०० भी बढ़ा दी जायं और उन पर अन्न न हो तो क्या फायदा। उस जिले के साथ एक खास ज्यादती की जा रही है। हमारे पड़ोसी जिलों में कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कहीं गूलें और कहीं बांध बनाये जा रहे हैं लेकिन वहां सिंचाई के साधन नाममात्र को भी नहीं हैं। नतीजा यह है कि सिवा साखू का बीज बीन कर हमारे पास खाने को कोई खाद्यान्न नहीं है। जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा कि इसमें कोई हर्ष नहीं होता कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन यह देख कर कि दूसरा बड़ा धनी है, इस पर भी हमें लालच नहीं होता, किन्तु यह अवश्य चाहते थे कि उस गोंडे जिले को भी यह सरकार एक निगाह से देखे और उसको उपेक्षित निगाह से न देखे। उसने कोई अपराध नहीं किया है। बागी जिले के साथ अंग्रेज लोग जैसे सलूक किया करते थे वैसा ही यह कांग्रेस सरकार भी करे यह मैं समझता हूं कि महान् अन्याय उस जिले के साथ होगा।

यह जिला नैपाल राज्य से मिला हुआ है। दूसरी ओर हिमालय पहाड़ से मिला हुआ है। हजारों एकड़ विस्तृत जंगल से घिरा हुआ है। जंगली जानवर से फसल बचे तो फिर सूखे से नहीं बच पाती। मुतवातिर ५–७ साल से सूखे पर सूखा, बाढ़ पर बाढ़, विपत्ति पर विपत्ति वहां चली जा रही है और उस तरफ टेस्ट वर्क की कौन कहे और टेस्ट वर्क्स खुलेंगे भी तो उसमें कौन काम करेगा चार आने और छ आने की मजदूरी में।

सारे अंग्रेजी काल में गोंडा जिले में सिर्फ एक सड़क थी जो बहराइच से बस्ती को जाती थी। बीच में गोंडा पड़ जाता था। उसके अलावा, आज भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय सारी योजनायें बीत रही हैं लेकिन उधर कुछ नहीं होने का।

श्रीमन, मैंने खाद्यान्न की कमी के लिये एक काम रोको प्रस्ताव दिया था। आपने मुझे अवसर दिया कि उसको भी रख सकूं। तो उसके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान

[श्री बलदेवसिंह]

उस बदकिस्मत जिले की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां के लोग इतने दुखित और पीड़ित हैं कि दिन भर दूकानों पर क्यू लगाय बैठे रहते हैं। गोंडा जिले में ८ आना रोजाना मजदूरी मिलना मुहाल है। दो दिन कोई काम करे तो एक रुपया उसको मिले और इधर दो दिन बैठे दूकानों पर तब शायद १ रुपये का गेहूं उसको मिल जाय। पिछले सात दिनों तक तो गल्ला बंटा भी नहीं। वहां के कलेक्टर ने हमें बताया कि फूड सेक्रेटरी, फूड मिनिस्टर और आर० एफ० सी० , सब को वायरलेस भेजे हैं और अगर अन्न आ गया तो बंटवा देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस तरफ भी आपका ध्यान है या नहीं? वे लोग भी तो इसी राज्य के अंग हैं उनके सुख दुखों को भी तो देखना चाहिये। जो मुश्किल वहां आज है उसको दूर करने की यथाशक्ति चेष्टा होनी चाहिये। इसने कोई अपराध नहीं किया है। इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कोई अगर कहने वाला न भी हो तो भी आपको उसका ध्यान रखना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र वहां जहां ६५ दूकानें अब स्वीकृत हुई है और जहां एक छटांक अन्न नहीं मिल रहा है और जहां पर अगर यही हालत रही तो नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जायेंगी और फिर आदमी बेबस होकर घास, साग और जड़ खाकर दिन काट रहा है वहां अन्न पहुंचाइये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े से अन्न पहुंचाने से या थोड़ी-सी उदारता दिखाने से जिले का काम नहीं बनेगा। मैंने जैसी आपसे प्रार्थना की कि और जिलों के मुकाबिले में वहां ट्यूबवेल्स बनने चाहिये, वहां भी रिजर्वायर्स बनने चाहिये और वहां की हालत सुधारने के लिये हर तरह का उपाय करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि गोंडा जिले की ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब है। वहां की दूकानों पर अन्न पहुंचाने की कृपा करें।

(इस अवसर पर ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)––अध्यक्ष महोदय, आज यह खाद्य समस्या पर बहस चल रही है और विरोधी दल के नेताओं ने बड़े सारगर्भित किन्तु दिलों को दुखाने वाले कुछ भाषण दिये हैं।

जहां तक हमारे प्रदेश की खाद्यान्न समस्या का सम्बन्ध है, यह सही बात है कि अन्न की कमी पूर्वी जिलों में ही नहीं सारे प्रदेश में है। इस कमी को दूर करने की जो पर्याप्त कोशिश हमारी सरकार ने इस हालत में की है वह भी सराहनीय है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जहां तक खाद्य समस्या के हल करने का मुस्तकिल तौर पर सम्बन्ध है वह नारों से, भाषणों से, जुलूसों से हल होने वाला नहीं है। इसके लिये तो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे हमेशा के लिये इस समस्या को हल कर सकें। आपके द्वारा मैं विरोधी दल के नेताओं और सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिये उन्होंने अपनी तरफ से क्या-क्या कदम उठाये हैं। मैं तो इस बात का दावा करता हूं कि अगर आज हम सब सदस्य , दोनों तरफ से, इस बात पर लग जायं कि हमें इस समस्या को हल करना है तो मान्यवर, मैं समझता हूं बहुत हद तक इस प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सकती है। लेकिन हम चिल्लाते हैं देश में गरीबी है, अन्न की कमी है, लोगों के पास काम करने को नहीं है, लेकिन जहां तक रचनात्मक काम का ताल्लुक है, हमारे देश में अनाज की पैदावार कैसे बढ़े, इस सम्बन्ध में कोई खास कदम, प्रोग्राम या योजना विरोधी दल की तरफ से न देखी है, न सुनी है और न कोई सुझाव दिये हैं। इस हालत में, जो इस वक्त है जो सरकार कर सकती है वह यही है कि जितना अन्न उसके पास है या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर सकती है उसका सारे प्रदेश में वितरण करे। इसके लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी दूकानें, ३ हजार के करीब खोली गई हैं और आवश्यकतानुसार अगर अनाज और ज्यादा प्राप्त हो सका तो और भी खुल जायेंगी और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जायगी, जैसी कि की जा रही है कि किसी आदमी को अन्न न मिलने की वजह से भूखा नहीं मरने दिया जायगा। इस समस्या को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिये सिंचाई के साधन बढ़ाये गये, ट्यूबवेल लगाये गये, नहरें निकालीं, पक्के कुएं बनाये, खाद बांटी गई और अच्छा बीज भी दिया जाता है, इसके लिये प्रयत्न हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि जहां तक अन्न की समस्या को हल करने का ताल्लुक है उसके लिये सब से जरूरी चीज है कि किसान के अन्दर प्रोत्साहन हो, उसके अन्दर यह जोश हो , लगन हो कि उसे अन्न पैदा करना है और इसलिये करना है कि उसके देश का फायदा हो, जहां वहां उसकी हालत में सुधार होगा। उसे उसकी जिन्स की कीमत अच्छी मिलेगी और जो चीजें उसे बाजार से खरीदनी पड़ती हैं, चाहे लोहा हो, या कपड़ा हो, खेत के औजार वगैरह हों, वह भी उसी भाव से उसको बाजार में मिलेंगे। आज हमारे देश में, प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है, जहां हम इस बात का नारा लगाते हैं या जहां सरकार की योजना है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन हो, मैं समझता हूं इसके साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि इंटेंसिव इर्रीगेशन भी होना चाहिये। अगर यह खाद्य की समस्या हल हो जाय तो प्रदेश की बहुत सी मुसीबतें दूर हो जायं।

करोड़ों रुपये का अनाज हमको हर साल बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर यह रुपया देश में अन्न पैदा करने से सम्बन्धित विकास के कामों में लगाया जाय तो इससे दूसरे अधिक से अधिक काम अपने प्रदेश में कर सकते हैं। इसके लिये किसान को प्रोत्साहित करना आवश्यक हो जाता है।

जितने भी और हमारे दूसरे विभाग हैं उनमें बहुत कुछ एकोनामी की जा सकती है और मेरी राय है कि इस वक्त और सारे काम सस्पेंड कर दिये जायं और वह बचत का सब पैसा सिंचाई और खेती के कामों में लगा दिया जाय, इस तरह से मेरा विश्वास है कि दो साल में सारी खाद्य समस्या हल हो सकती है और जब लोगों के पास खाने को अनाज काफी होगा और पैदावार बढ़ जायगी तब दूसरे काम बाद में अपने आप बढ़ाये जा सकते हैं और फिर इन्टेन्सिव तरीके से काम हो सकेगा। यह समस्या ऐसी है कि ज्यों-ज्यों हम कोशिश करते हैं पैदावार बढ़ाने की वैसे ही आबादी बढ़ती जाती है और इस तरह से यह हल होने वाली नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि दूसरे विभागों में एकोनामी कर के और विभागों के काम को दो, तीन साल क लिये स्थगित कर दिया जाय और उनका रुपया बचाकर खेती और सिंचाई के कामों में लगाया जाय।

जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो हमारी छोटी योजनायें हैं, अल्पकालिक योजनायें हैं, जल के छोटे साधन, रहट, कुयें, नालियां, ट्यूबवेल्स की, तालाब, बंधे और पानी का सही वितरण आदि का प्रबंध यह सब पहले होना चाहिये, इसका खाद्य समस्या पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और हमारी पैदावार बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि सरकार आज जो कुओं और बैलों आदि के लिये तकावी देती है उसे उसके बजाय किसानों को सबसिडी देना चाहिये ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले और वह समझें कि सरकार हमारी सहायता कर रही है।

इसके अलावा एक विशेष बात यह है कि किसान जो कुछ अपने खेत में पैदा करता है उसके बारे में उसे विश्वास होना चाहिये कि जब वह उस पैदावार को लेकर बाजार में या मंडी में जायगा तो उसको उसकी ठीक कीमत मिलेगी। आज कल की जो स्थिति है वह ऐसी है कि किसान हमेंशा दुविधा में रहता है और उसे बेचने में हानि ही होती है और ठीक पैसा नहीं मिलता। वह अपने घर का जरूरी खर्च भी उससे नहीं निकाल पाता और फल यह होता है उसमें वह जोश और उत्साह ही नहीं रह जाता जिस की खेती में लगे रहने के लिये अत्यन्त आवश्यकता है। इस लिये सरकार को अपने कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे खाद्य पदार्थों के दाम ऐसे ढंग से तय हों, नियंत्रित हों कि जिस से किसान को उचित दाम मिल सकें, उन भावों का

[श्री रघुवीरसिंह

लोहा, कपड़े आदि अन्य पदार्थों के भाव से एक संतुलन रहे, इतना बड़ा अन्तर न रहे और आज की सी स्थिति खत्म हो जाय ।

अभी इस साल मई, जून के मास में मंडियों में किसानों ने १६ रुपये मन के भाव से गल्ला बेचा, लेकिन आज दिन किसानों के पास खाने को अनाज नहीं है । मैं कह सकता हूं कि पूर्व में ही नहीं बल्कि पश्चिम में भी ५० प्रतिशत किसानों के पास इस वक्त अनाज नहीं है और उन को इस वक्त २१–२२ रुपया मन खरीद कर खाना पड़ रहा है । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह की दुकानें सस्ते गल्ले की आज शहरों में खोली गई हैं वैसी ही दुकानें देहातों में भी खोली जायं क्योंकि हमारे प्रदेश के ८० प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और जिनके ऊपर सारे देश की शक्ति निर्भर है । यदि इतनी बड़ी जन संख्या को हमने उपेक्षा की दृष्टि से देखा तो खाद्य समस्या हमारी हल नहीं हो सकती । इसलिये देहात की ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है । जब किसानों से १६ रुपया मन गल्ला फसल में लिया जाता है तो उनको भी जब आवश्यकता हो तो उसी भाव पर गल्ला मिलना चाहिये जिस भाव से उस से मंडी में लिया गया है । आज किसान को यह विश्वास नहीं होता, जिस किसान ने बड़े-बड़े काम किये हैं और जबकि वह हमारी रीढ़ है तो उसे विश्वास नहीं है कि हमें हमारी पैदावार के फसल पर ठीक दाम मिल सकेंगे और उनके दाम हमें ठीक मिलें इस समस्या को सरकार हल कर सकेगी । इस में किसान सरकार को शक की दृष्टि से देखता है और साथ ही साथ मंडियों में जो किसान की दुर्दशा होती है यह मेरी बदकिस्मती है कि समय खत्म हो गया, मैं दो-चार बातें कहना चाहता था । अगर इस तरह की हालत में ट्रेड का नैशनलाइज़ेशन हो जाय तो सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा और किसान को भी इससे बड़ी सुविधा होगी, लेकिन आजकल की परिस्थिति में यह किसी तरह से असंभव हो तो एक मंडी कानून बनाकर उसके द्वारा जो मंडियों में लूट और असुविधा किसान को होती है उसको बन्द किया जाय । किसान को पास की मंडी की और अपना सौदा बेचने की सुविधा दी जाय और वेयर हाउसेज खोले जायं जहां उसका अनाज जमा हो सके और उसको रुपया मिल सके, जिसको वह दूसरे कामों में लगा सके । दूसरी चीज मैं सरकार के सामने यह रखता हूं कि किसान को गांव में शिक्षा प्राप्त करने की या वह अन्य सुविधायें नहीं हैं जो शहर के रहने वालों को प्राप्त हैं और उसकी वजह से वह ऐसे वातावरण में रहता है कि जितनी ऊंचे दर्जे की नौकरियां हैं, चाहे इंजिनियरिंग की या इरिगेशन डिपार्टमेंट की या ऐग्रीकल्चर की हैं उनमें कम्पीट कर के नहीं आ सकता । अगर किसान के अन्दर यह उत्साह हो और आशा हो कि इरिगेशन विभाग में खास तौर से और ऐग्रीकल्चर में वह आदमी जो पैदायशी तौर पर यह जानता है खेती किस तरह से की जाती है और सिंचाई के साधन किस तरह से जुटाये जावें, किस वक्त पानी की जरूरत है और किस वक्त नहीं है, उसको कुछ सुविधा मिलेगी तो उसे एक आशा होगी । इसलिये किसानों के लड़कों को ऊंची नौकरियां देने के लिये सुविधायें देनी चाहिये और उनके लिये कुछ सीटें हर डिपार्टमेंट में, जोकि ऊंची सीटें हैं, वह मुकर्रर कर देनी चाहिये ताकि किसान को आशा हो और उम्मीद हो जाय कि हमारी सरकार हमको भी ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर पहुंचाना चाहती है । किसान की तरक्की के बिना हमारा देश विकास नहीं कर सकता, वही रीढ़ की हड्डी है और न किसी समस्या का हल हो सकता है । उसको हमें अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिये और जरूर देनी चाहिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ११ साल की आजादी के बाद हम खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर नहीं बन सके । आज खाद्य समस्या के ऊपर आये दिन हमको विधान सभा में बहस करनी पड़ती है ।

मान्यवर, खाद्य के मामले में हम सभी लोगों को दो पहलू से विचार करने की आवश्यकता है। पहले मेरा खयाल है कि उत्पादन को लेना चाहिये। हमारी सरकार यह दावा करती है कि उत्पादन हमारे सूबे का बढ़ा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन के मामले में कुछ सालों को छोड़ कर के बाकी और वर्षों में उत्पादन हमारा बढ़ा नहीं है। सन् १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ को छोड़ कर के बाकी और वर्षों में उत्पादन बढ़ा नहीं है। जिस हिसाब से हमारे सूबे की आबादी बढ़ती है उस हिसाब से अगर हम उत्पादन को देखें तो हमारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। बहुत सी जमीन जोकि पहले परती पड़ी थी उसको भी आज जोत करके किसान उसमें गल्ला पैदा करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी हम आत्म-निर्भर नहीं बनसके। माननीय मंत्री जी ने अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने हवाला दिया है। माननीय मंत्री जी उसमें कुछ कारण बताते हैं कि यकायक बाजार में माल आना बन्द हो गया और केन्द्रीय सरकार से हमने गल्ले की मांग नहीं की और अखबार वालों ने उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा कर छापा कि व्यापारियों ने गल्ला सस्ता खरीद लिया और देर में बाजार में भेजना शुरू किया, इसकी वजह से दाम यकायक चढ़ गये। मैं समझता हूं कि मंत्री जी की ही नहीं, बल्कि पूरी सरकार की लापरवाही है, क्योंकि मंत्री जी स्वयं इस बात को तस्लीम करते हैं कि पिछली खरीफ की फसल में ५० फीसदी नुकसान हुआ था और आल इंडिया गवर्नमेंट ने ३५ फीसदी माना है। यह अभाव पिछले एक साल से शुरू हुआ है। हम आपके आंकड़ों पर विश्वास करते हैं और मैं भी ३५ फीसदी ही माने लेता हूं तो हमारी पैदावार साढ़े छः लाख टन खरीफ कम हुई। इसके सम्बन्ध में माल मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी ने १०-१५ दिन पहले एक वक्तव्य अखबारों में दिया था और तस्लीम किया था कि इस साल रबी की फसल ११ लाख एकड़ में नहीं बोई गई। मंत्री जी इस बात को जानते थे कि ११ लाख एकड़ जमीन में रबी की फसल नहीं बोई गई और ३५ फीसदी खरीफ की फसल की पैदावार में नुकसान हुआ है। इसके अलावा हवा और ओले वगैरह से भी रबी की क्षति हुई है, फिर क्यों केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों की मांग नहीं की गई। सारी की सारी जिम्मेदारी अखबार वालों पर और व्यापारियों पर डाल देना ठीक नहीं है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि मूल नीति में गड़बड़ी है। जो योजनाएं लागू हैं उनमें गड़बड़ी ज़रूर है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको राजनीतिक विषय न बनाकर आल पार्टीज की एक मीटिंग बुला कर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि राजनीतिक अखाड़े बाजी होती है। मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अखाड़े बाजी नहीं होगी। यह किसी पार्टी की समस्या नहीं है, बल्कि सारे प्रदेश और देश की पूरी जनता की समस्या है। जब तक हम अन्न की समस्या पर आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक हमारी सारी योजनाएं बेकार हैं और कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती है।

हम एक-एक योजना को लेते हैं। जैसे खाद्य उत्पादन के लिये सिंचाई की बड़ी आवश्यकता होती है। सिंचाई के मामले में हम देखते हैं कि नहरों की तादाद प्रथम पंच वर्षीय योजना में १५ फीसदी बढ़ाई गई और ट्यूबवेल्स भी ढाई गुना बढ़ाये गये, लेकिन पहली पंच वर्षीय योजना में जो सिंचाई हुई वह ७ लाख एकड़ कम हुई, इसका क्या कारण है? मैं कहता हूं कि क्या इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और यह सवाल पैदा नहीं होता है कि पूर्वी इलाके में लोग घास खा रहे हैं, बल्कि सवाल आज पूरे प्रदेश तथा पूरे देश का है। नीतियों और योजनाओं का सवाल है। आप मांग करते हैं कि विरोधी दल के नेता सहयोग क्यों नहीं करते हैं, मैं कहता हूं कि सहयोग खरीफ आंदोलन में नहीं किया जायगा। जब तक आप अपनी योजनाओं को मुकम्मिल रूप से तैयार नहीं करेंगे तब तक सहयोग नहीं मिल सकता है, क्योंकि खाली लेक्चर दे देने से किसान उत्साहित नहीं होता है। मूल कारण सिंचाई में सोचने का यह है कि सिंचाई का रेट जो १९५३ में था उससे इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसान आज पानी लेने से मजबूर है। इसीलिये पैदावार घट रही है। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों से मांग करते थे कि सिंचाई का टैक्स कम किया जाय। उस समय की अंग्रेज सरकार के लिये तो यह कहा जाता

[श्री ऊदल]

था कि अंग्रेजों की तो व्यावसायिक नीति है। अंग्रेजी सरकार के उसी उसूल पर आज यह सरकार चल रही है। आज ११ साल बाद बहस करने के लिये, सदन ने इजाजत दी है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी सरकार की नीति में और इस सरकार की नीति में कोई फर्क नहीं हुआ है। आप भी व्यावसायिक तरीके की नीति चला रहे हैं।

श्रीमन्, सामुदायिक योजना में करीब ५० करोड़ रुपया हमारे सूबे में खर्च किया गया है, लेकिन पैदावार का हाल यह है कि अभी बलवन्तराय मेहता कमेटी जांच करने के लिये योजना आयोग की तरफ से नियुक्त हुई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि विकास खंडों में साढ़े दस प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और १९ फीसदी जनरल बढ़ा है। मैं कहता हूं कि ५०,६० करोड़ रुपया हमारे सूबे में खर्च हुआ है और अरबों रुपया हिन्दुस्तान में खर्च हुआ। तो इन विकास खंडों से क्या फायदा होने वाला है। विकास खंडों में जितने अफसर रखे गये हैं सब सूट बूटधारी हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम अफसरों की गाड़ियां ले रहे हैं, दूसरी तरफ, उसने बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० को तेरह-तेरह हजार की इतनी अच्छी जीपें दे दी हैं। वह उनको शहर में चलाते हैं। गांवों के गलियारों के लायक वे नहीं हैं। आप उनसे कहिये कुर्ता और धोती पहन कर गांव में जायें और किसानों को समझायें और उनको साइकिल दे दीजिये। मैं देखता हूं कि जो योजनाएं बनी हुई हैं उससे किसान को जो गल्ला पैदा करने वाला है उसको फायदा नहीं पहुंचता है। सरकार तरह तरह के जो यन्त्र खेती के लिये मुहइया करती है, वह उन लोगों के जो कि सरकारी पार्टी को वोट दिलाते हैं, जो अंग्रेजी जमाने में जबकि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके दुश्मन थे, १९४७ के पहले आज वही लोग सरकार के दोस्त हो गये हैं, आज सारे के सारे सामानों का फायदा वही लोग उठा रहे हैं। किसान जो सचमुच पैदावार बढ़ाता है वह इन चीजों से वंचित है। इसलिये मैं मांग करता हूं सरकार से कि आपकी नीति में जो मूलभूत गड़बड़ियां हैं उनको समझें और सोचें। सवाल सिर्फ दस जिलों का नहीं है। हम अगर पूर्वी जिलों का सवाल उठायें तो हरीसिंह भाई और नवल किशोर जी कहने लगे कि आप लोग पूर्वी इलाके को अलग करना चाहते हैं। आज पूर्व की भी समस्या है और पश्चिम की भी समस्या है। मंत्री जी मानते हैं कि पश्चिम में ज्यादा मंहगाई हो गयी। क्या कारण है कि पश्चिमी इलाके जो धनी हैं, यहां यह हालत कैसे पैदा हो गयी? इसलिये मैं चाहता हूं कि इन हालतों के ऊपर काफी सोचने समझने की जरूरत है। एक एक चीज को आप लें।

वितरण का सवाल आता है। मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि दो-तीन महीने पहिले हम समझते थे कि गल्ला बड़ा सस्ता है। इस बीच में एक दम से बाजार बढ़ गया। मैं कहता हूं कि यह समस्या पुरानी है। १९५६-५७ में १०२ लाख टन हमारे सूबे में पैदावार हुई थी। उस साल में भी एक लाख टन की आवश्यकता थी, उस समय पौने दो लाख टन खाद्य मंगाया गया था और पूरे सूबे में बांटा गया और सरकार ने महसूस किया था कि परिस्थिति गम्भीर है। यह सरकारी रिपोर्ट बतलाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब १६ लाख टन हमारे सूबे में १९५७-५८ में पैदावार कम हुई तो परिस्थिति गम्भीर नहीं है? इस परिस्थिति से सरकार क्यों आंख मूंदती है। अगर आप ठीक से कदम नहीं उठायेंगे तो व्यापारी जरूर फायदा उठायेंगे जिसकी वजह से न किसान को ही फायदा हुआ और न उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। दोनों बेचारे मारे गये। लिकड़मबाज लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सारा का सारा व्यापार सरकार अपने हाथ में रखे और योजनाओं पर विचार करे। माननीय मंत्री जी ने इसके पहले एक रिपोर्ट दी थी कि बाढ़ में इतना रुपया सब जगह भेज दिया है। मैं कहता हूं कि कुछ मड़इयां छवा देने से, थोड़ा गल्ला का रुपया मुफ्त दे देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। यह बड़ी अहम समस्या है। इसके ऊपर भी नीति निर्धारित करने की जरूरत है। मैं इसलिये मांग करता हूं कि बाढ़ को फौरी समस्या न समझें, क्योंकि बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी नदियां और नाले इस सूबे में हैं, इसके ऊपर तमाम

विरोधी पार्टियों के नेताओं को ले कर सरकार इस पर सोचे और एक सही नीति निर्धारित करे ताकि बाढ़ की जो मुसीबत हमारे सूबे के अन्दर है इसको दूर किया जा सके। अन्त में आपके जरिये इस सरकार से फिर अपील करना चाहता हूं कि जैसा नवलकिशोर जी ने कुछ कार्यों में एकता के लिये कहा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था इसलिये मैं भी कहता हूं कि खाद्य समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और पूरे देश की समस्या है। उसमें राजनीतिक अड़ंगेबाजी डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से सरकार से और उधर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यह मांग करता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय पैमाने पर हल करने के लिये सर्वदलीय कमेटी बनाइये और तमाम योजनाओं पर विचार कीजिये तथा उनकी नीतियों पर भी विचार कीजिये, ताकि सही रास्ता निकले और इसमें हम पूरे देश की जनता को उत्साहित करें ताकि सारी की सारी आपकी योजना सफल हो सकें और हमारा देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बन सके ।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस वाद-विवाद में भाग लेने की आज्ञा प्रदान की है। किसी भी देश को जीवित ही नहीं बल्कि अपना सिर ऊंचा करके चलने के लिये चार चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज भरण-पोषण है जिसका ताल्लुक खाद्यान्न से है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं वह देश की रक्षा है। तीसरी चीज विद्या का प्रसार और चौथी चीज इंडस्ट्रीज है। इसी क्रम से मैं उन चीजों को मुख्यता समझता हूं।

इस समय जो हमारे सामने प्रश्न है वह देश की खाद्यान्न स्थिति के सम्बन्ध में है। खाद्यान्न स्थिति के लिये जो समस्या हमारे सामने है वह एक प्रोपेगैंडा का विषय नहीं होनी चाहिये। किसी कमी को लेकर हम भागें और भागकर प्रोपेगैंडा का विषय बनायें, यह चीज मैं समझता हूं कि इस सदन के लिये अच्छी चीज साबित नहीं होगी। जो चीज है वह अपनी जगह पर मौजूद है। खाने की कमी है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह कमी केवल वादविवाद से पूरी नहीं हो सकती। उसके लिये हमको सब को बैठकर गम्भीरता-पूर्वक अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि इस विषय में क्या किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि जो खाद्यान्न स्थिति इस समय पैदा हो गई है वह क्यों पैदा हुई और वह किस प्रकार से हल हो सकती है। इस पर मेरे जो विचार हैं वह मैं इस सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं।

पहली चीज तो कुछ अपनी कमी है। दूसरी चीज दैवी प्रकोप है। तीसरी चीज सरकार की कमी। पहले हमें देखना यह है कि अपनी कमी क्या है। अपनी कमी सदैव के लिये सोचना पड़ेगा। खाद्य की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। यह समस्या तो बहुत दिनों के लिये है। हमको इसपर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

पहली चीज तो यह है कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी १५ वर्ष पहले से भी अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन जमीन नहीं बढ़ी है और न जमीन बढ़ सकती है। इसलिये जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरी चीज हमारे भीतर जो कमी है वह यह है कि हम जो फसल बोते हैं उसमें कैश क्राप ज्यादा बोते हैं और फूड क्राप उस प्रपोर्शन से कम बोते हैं। कोई समय था जबकि बाज-बाज जिले यह समझे जाते थे कि वे गल्ले की खत्तियां हैं। आज उन जिलों में खाने के पदार्थों की कमी होती जा रही है। सदन में मैं आपके द्वारा बतलाऊं कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलन्दशहर नाम के जिले उत्तर प्रदेश के बहुत से भाग को खाद्यान्न दे सकते थे, ऐसा पहले समझा जाता था। आज वहां अच्छी से अच्छी जमीन गन्ने के लिये इस्तेमाल की जा रही है और उसकी वजह से गन्ने का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और अन्न का उत्पादन कम होता जा रहा है। अगर इस बात में मेरे किसी मित्र को शक हो तो फीगर्स को देखें कि पिछले १० सालों में गन्ने का उत्पादन कितना बढ़ा है। इसी

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

तरह से इसमें कोई शक नहीं कि पूर्वी जिलों में अन्न की कमी है, लेकिन वह लोग भी इस बात पर विचार करें। मैं समझता हूं कि वहां जन-संख्या ज्यादा है, खेती कम है, इस म कोई शक नहीं, लेकिन लोग इस बात की तरफ भी देखें कि वहां गल्ले का कितना और गन्ने का कितना उत्पादन हो रहा है। मैं समझता हूं कि बस्ती जिले में कम से कम ४, ५ मिलें हैं, गोरखपुर में ७, ८ मिलें हैं और देवरिया में १५ या १६ मिलें हैं शक्कर की। मुमकिन है कि इसमें कुछ फीगर्स गलत हों, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि खाद्यान्न की कमी जो पूर्वी जिलों में बढ़ती जा रही है उसका मुख्य कारण यह है कि वहां की सारी अच्छी जमीन पर गन्ने की खेती बढ़ती जा रही है और अगर इस में किसी को शंका हो तो जहां और चीजों का इन्वेस्टीगेशन होता है वहां इस चीज का इंवेस्टीगेशन होना जरूरी है कि वहां को मिलों ने कितने करोड़ रुपया उस पट्टी और जिले को दिया है। मैं नहीं जानता कि कहां तक सही है, लेकिन सुनी हुई बात है कि वहाँ इस बात का प्रचार हो रहा है कि गन्ना बोओ और रुपया इकट्ठा करो। अन्न की कमी सरकार कहीं न कहीं से पूरी करेगी।

एक सदस्य—देवरिया देखा नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—देख लिया है, लेकिन आप फीगर्स को देख लीजिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप कैश क्रापस को बोयें जरूर, लेकिन इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि केवल कैश क्रापस बोने से अन्न की कमी पूरी नहीं हो सकती। रुपये से आपको खरीदना होगा। सस्ता गल्ला, सस्ता गल्ला चिल्लाने की जरूरत नहीं है। रुपया तो आपने गन्ने से पैदा कर लिया, फिर अवश्य ही गल्ले के लिये रुपये की जरूरत होगी। इसलिये अच्छा यह है कि गन्ने और गल्ले की फसलों में अनुपात रखना चाहिये।

दूसरी बात दैवी प्रकोप की है, जिसमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला और पाला आते हैं। इनको सरकार बहुत हद तक रोक नहीं सकती है, लेकिन वह कुछ तो कर ही सकती है। अनावृष्टि के लिये नहरें और कुंये खोद सकती है। मेरा इलाका है जहां मिल्स नहीं हैं, वहां सिंचाई के साधनों की कमी है। यदि नहरें या कूप हो जावें तो वहां काफी गल्ला पैदा हो सकता है। अतिवृष्टि से सैलाब आया करते हैं। मेरा इलाका ऐसा है जहां कई दरिया हैं जिनमें सैलाब अक्सर आ जाता है। जैसे रामगंगा दरिया है। अभी वर्षा हुई जिससे बहुत-सा इलाका तबाह हो रहा है। वहां बांध बनने की जरूरत है।

खाद्य के मामले को प्रोपैगैंडा बनाने की जरूरत नहीं है। इसे सभी पार्टियों को बैठकर हल करने की जरूरत है। ज्यादा अच्छा यह है कि सरकार एक उच्च कमेटी बनावे जो इन प्रश्नों को हल करने के तरीके निकाले। मैं जब से इस सदन में आया हूं और जब से गवर्नर का एड्रेस हुआ है तभी से खाद्यान्न-खाद्यान्न सुनने में आ रहा है। इससे यह चीज प्रोपेगैंडा की चीज बनाई जा रही है। यह भी अक्सर कहा जाता है कि फलां जगह भुखमरी से आदमी मर गया। यह चीज मालूम नहीं क्यों मरने के बाद ही पता चलती है। उससे पहले शायद पता ही नहीं चलता है कि फलां आदमी भूख से मर रहा है। मुझे एक किस्सा याद है कि एक आदमी को टाइफाइड हो गया। हकीम ने कहा कि इसे खाना न दिया जाय। उसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने जो उसकी मातमपुरसी में वहां जमा हुये थे कहा कि इसे खाना नहीं दिया गया इसलिये मर गया। खाद्यान्न की कमी जरूर है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि अगर सरकार को पता चल जाय कि फलां जगह कोई आदमी भूख से मर रहा है तो सरकार उसे भूखा न मरने दे। जिस इलाके के बारे में ऐसा कहा जाता है वहां के रहने वालों को दंड मिलना चाहिये कि तुमने यह खबर कि फलां आदमी भूख से मर रहा है पहले क्यों नहीं दी, उसका नाम और पता लिखकर भेजते। मैं समझता हूं कि वे माननीय सदस्य जो इस बात को यहां पर कहा करते हैं वे इतने गैरजिम्मेदार नहीं हो सकते कि एक आदमी को भूख से मरने का इन्तजाम खुद न कर सकें या सरकार से न करा सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि ये बातें केवल प्रोपेगैंडा का अस्त्र बनाई जा रही हैं और ये बातें ऐसी नहीं, जिन पर खासतौर से जोर दिया जाय।

मेरे एक मित्र ने कहा कि इतनी योजनाओं के बावजूद भी खाने की कमी हो रही है। सरकार ने सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न की समस्या हल करने का प्रयास किया और बहुत हद तक उसके लिये कुंवे और नहरें बनवाई। मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि सभी चीजें इतनी मुकम्मल हो गई कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश सरकार बराबर कर रही है कि अन्न की पूर्ति की जाय। सरकार किस हद तक कामयाब हुई है, यह हमारे सामने है। सभी को इस मुख्य समस्या को हल करना है। अगर अन्न नहीं है तो हमें दूसरे देशों से मांगना या उधार लेना होगा और हम अपना सिर ऊंचा करके नहीं चल सकेंगे, इससे हमारी इज्जत गिरेगी। यह मसला एक पार्टी या व्यक्ति के हल करने का नहीं है। इसमें सबको हाथ बंटाना चाहिये।

एक चीज जो खाने के लिये मदद कर सकती है वह यातायात के साधन हैं। इनकी भी बड़ी कमी रही है और अगर यह ठीक हो जावें और नदियों और कलवर्ट्स के पुल बन जावें तो बहुत हद तक इसमें कामयाबी हो सकती है। हमें हिम्मत न हारते हुए कमर कसकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---मुझे यह प्रश्न उपस्थित करना है कि क्या इस आज की बैठक का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय। यह सुझाव मेरे पास आया है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कल का भी दिन है। अगर जरूरत होगी तो कल बढ़ा दिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मेरा निवेदन है कि कल के लिये आपने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है तो इसलिये कल तो समय और कम होगा। कल बढ़ नहीं सकता है। अगर बढ़ना है तो आज ही बढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आज एक कमेटी की भी ५ बजे मीटिंग है, उसके लिये बहुत से लोग जावेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुर्भाग्यवश तात्कालिक समस्या के संबंध में बाहर जाना पड़ा और सदन में ४ बजे से पहले न आ सका।

श्री अध्यक्ष---मैंने भाषण के लिये आपको नहीं बुलाया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---समय की बात तो मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दी।

श्री अध्यक्ष---लेकिन उसके ऊपर तो मुझे लोगों की राय लेनी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा, कल का समय तो बढ़ाना नामुमकिन सा लगता है। हम भी आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह आज ही समय बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करें। इधर विरोधी पक्ष के बहुत से लोगों के भाषण अभी नहीं हुए हैं, हम सभी लोग अभी तक बाहर थे।

श्री अध्यक्ष---तो बीच में तस्फिया हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसका समय साढ़े पांच बजे तक कर दीजिये। थोड़ा सा समय लोगों को बोलने का भी मिल जायगा। और कमेटी की जो मीटिंग है वह साढ़े पांच बजे कर दी जायगी।

***श्री जगवीरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि माननीय नवलकिशोर जी यहां मौजूद नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले मैं खाद्य स्थिति पर कुछ कहूं, मैं यह बहुत जरूरी समझता हूं कि माननीय नवल किशोर जी की दो तीन बातों का मैं जवाब दूं। दुर्भाग्यवश वे यहां नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगवीरसिंह]

उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के लोग इन बातों से पोलीटिकल डिविडेंड बनाते हैं। मैं उनसे पूछना हूं कि शेअर कौन फलोट करता है ? जब वे पूर्वी अंचल में लोगों पर मुसीबतें ढाते हैं और उसके शेअर मार्केट में फ्लोट करते हैं तो फिर हो सकता है कि हम लोग भी उससे डिविडेंड बनाते हों।

उन्होंने हमारे नेताओं पर भी आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के नेता यहां मौजूद नहीं हैं जब कि खाद्य समस्या को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है। जब कि हमारे नेता बाहर जाकर फैसले की बातें कर रहे हैं उस बारे में जिसके लिये सारे शहर में आतंक फैला हुआ है। कल का गोलीकांड कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन आज हमारे माल मंत्री महोदय और चीफ मिनिस्टर साहब शायद उसमें भी भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी इस सदन में मौजूद नहीं हैं जब कि खाद्य समस्या पर विचार करते समय इन दोनों साहबान का होना अत्यावश्यक था।

श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज हमारे प्रदेश में अन्न की कमी है। यह अन्न की कमी पूर्वी जिलों में ही नहीं, क्या पूर्वी क्या पश्चिमी, तमाम प्रदेश में ही है। इसलिये हमें इस अन्न की समस्या को इमर्जेंसी बेसिस पर तय करना होगा।

मुझे एक दुख है कि माननीय नवल किशोर जी ने हमारी नीयत पर हमला किया। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि यह उनका खयाल उन्हीं को मुबारक रहे। हम कोई पोलीटिकल डिविडेंड बनाने की नीयत से खाद्य समस्या पर विचार नहीं करते, हम तो केवल जनता की सेवा करने के लिये और अपने सुझाव सरकार को देने के लिये ही इस समस्या पर विचार करने की सोचते हैं। माननीय नवलकिशोर जी ने और बहुत सी बातें कहीं, लेकिन उन्होंने शंका का समाधान कोई नहीं रखा। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि इस तरीके से इस समस्या का हल हो सकता है। यह तो बहुत आसान है कि जो भाषण हुए हों उनकी टीका टिप्पणी कर दी जाय।

श्रीमन्, हमारे मिनिस्टर साहब जिस समय बोल रहे थे उस समय मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। उन्होंने खासतौर पर दो बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो विरोधी पक्ष गन्ने की क़ीमत बढ़ाने की बात करता है और दूसरी तरफ शिकायत करता है कि गल्ले की कीमत बढ़ रही है। जब गन्ने की कीमत बढ़ जायगी तो गल्ले की कीमत किस तरह से कम हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी को यह बतला देना जरूरी समझता हूं कि गन्ने की काश्त के लिये पानी की बड़ी भारी जरूरत होती है। हर किसान उतना ही गन्ना बो सकता है जितना कि वह सिंचाई कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूं कि गन्ने की काश्त कोई लाभकर काश्त नहीं होती, क्योंकि ठीक तरीके से पानी के साधन हमारे पास नहीं हैं।

अब यहां पर फीगर्स की बातें बहुत कही जाती हैं कि हमारे पास इतना गल्ला पैदा होगा, इसके फीगर्स हैं। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूं कि फीगर्स के आने का तरीका क्या है ? उनके कुछ अधिकारी लोग हैं जो फीगर्स दिया करते हैं। मुझे यह कहने में बिलकुल हिचक नहीं है क्योंकि क्राप्स कम्पटीशन का मुझे अपने यहां का कटु अनुभव है। हमारे जिले में एक कृषि पंडित हैं, जिन्होंने कितना गल्ला पैदा किया इसके बारे में ठीक तरीके से नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं निश्चित तरीके से कहूंगा कि यह बहुत खुली हुई बात है कि बहुत गोलमाल क्राप्स कम्पटीशन में हुआ करता है। अभी जैसा कि हमारे माननीय नेता गेंदा सिंह जी ने कहा कि क्राप्स कम्पटीशन में हमको ले जाने के लिये वहां के जिलाधीश तैयार नहीं हुए, तो यह बड़े दुःख की बात है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है। हमको इस पर बिल्कुल एक इमर्जेंसी तरीके से विचार करना होगा। दो किस्म के हल

इस समस्या के हो सकते हैं। एक तो तात्कालिक और दूसरा लांग टर्म। जहां तक तात्कालिक हल की बात है, श्रीमन्, मैं केवल दो तीन बातें ही कहूंगा। इसमें सब से जरूरी बात यह है कि रबी आन्दोलन के मौके पर हम किसानों के अन्दर ठीक तरीके से बीज का वितरण करावें और किसानों से कह दें कि सवाया हम नहीं लेंगे, बल्कि जितना बीज और जिस तरह का बीज देते हैं, उतना ही और उसी तरह का बीज लेंगे। अभी तक ऐसा होता है कि बीज लेते वक्त बड़ी सख्ती से बीज लिया जाता है, लेकिन देते वक्त न मालूम बाद में कहां बीज चला जाता है; दूसरी जगह से खरीद कर किसानों को दिया जाता है जो अच्छा नहीं होता। अच्छा बीज किसानों को दिया ही नहीं जाता है। सरकार को चाहिये कि वह अच्छे बीज बटवाने का इन्तजाम ठीक तरीके से करे तो मैं समझता हूं कि खाद्य समस्या में बहुत काफी फर्क पड़ सकता है। इसके बाद तकावी और लगान वसूली की बात हो सकती है। यह कहा गया है कि जो देने लायक हैं वे भी गलत फायदा उठा सकते हैं कि जब औरों से न लिया जाय तो हम से भी न लिया जाय। जैसा कि अभी नवल किशोर जी ने कहा। मैं समझता हूं कि सब के लिये ऐसा कहना ठीक नहीं मालूम होता। जो देने लायक होते हैं वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करते कि उनके ऊपर तकाजा रोज होता रहे और उनको बराबर परेशान किया जाता रहे। वे घर में पैसा रख कर यह कभी नहीं चाहेंगे कि हम न दें। इसलिये आज की हालत में जरूरी है कि जो लोग नहीं दे सकते हैं, जो देने लायक नहीं हैं, उनसे वसूलयाबी फौरन् बन्द हो जाय।

इसके अलावा फेयर प्राइस शाप्स खोलने की बात है। बहुत सी शाप्स खुल गयी हैं और उनसे लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास खाने के कोई साधन नहीं हैं, वे कहां से पैसे लाकर उन दूकानों से गल्ला खरीदेंगे। यह सही है कि पश्चिमी जिलों में भी गल्ले की दूकानें खुली हैं, लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि मेरठ में तो ४० फेयर प्राइस शाप्स खुली हैं लेकिन उसी का पड़ोसी जिला जो बुलन्दशहर है, जिससे मेरठ हर माने में आगे बढ़ा हुआ है, वहां के खेत भी बहुत अच्छे हैं, किसान भी वहां के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुलन्दशहर में केवल ५ दूकाने ही खुली हैं। फर्क क्या है ? फर्क केवल इतना है कि मेरठ जिले के मंत्री महोदय लोग यहां बैठे हुये हैं जब कि बुलन्दशहर जिले का कोई भी नहीं है। इसलिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि फेयर प्राइस शाप्स खोलने में कम से कम इसका कुछ हिसाब किताब जरूर रखें, यह न हो कि मेरठ के मंत्री होने की वजह से या उस पक्ष के लोगों के यहां ज्यादा दूकानें खोल दी जायं, कम से कम इस मामले में सब के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह से हो तो शायद इसमें किसी को कोई आपत्ति न हो।

श्रीमन्, जहां तक लांग टर्म रिलीफ की बात है मैं यह चाहूंगा कि सरकार जितना भी पैसा लगा सके, जितना भी खर्च कर सके स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलने के लिये उतना लगाये, पूर्वी जिलों की समस्या को हल करने के लिये।

मैं इर्रीगेशन की बाबत एक बात कह देना चाहता हूं। बहुत से लोग इस खयाल के हो सकते हैं कि हम बड़े डैम्स बनायें, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है और सरकार से प्रार्थना है कि हमको छोटी-छोटी स्कीम्स जितनी भी हों इर्रीगेशन की उनको चलाना चाहिये। हम को कुयें बनाने के लिये रुपया देना चाहिये और वह तकावी पैसे की शक्ल में न हो कर सामान की शक्ल में हो और सरकार यह देखे कि वे कुयें बनाये गये या नहीं। मैंने यह देखा कि बहुत-से लोगों ने तकावियां लीं और उनका दुरुपयोग किया। पहले ट्यूबवेल्स पर झूठी तकावियां ले ली गयीं। ऐसी चीजें सरकार की नोटिस में भी आई होंगी।

जहां तक प्राइवेट ट्यूबवेल्स का ताल्लुक है सरकार को उनको बिजली पहुंचाने की सुविधा देनी चाहिये। बिजली दूर होने से वे अपने खच पर बिजली नहीं ला सकते, अगर सरकार सब्सिडाइज करे तो मैं समझता हूं कि खाद्य समस्या को हल करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका होगा।

[श्री जगवीरसिंह]

जहां तक पोलिटिकल ट्रूस की बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही उसको मैं चाहूंगा कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य भी निभाने की कोशिश करें। जिस तरह से माननीय नवलकिशोर जी ने विरोधी दल की नियत पर हमला किया कि वे तो पोलिटिकल डिविडेंड बनाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि कांग्रेसी भाई इस तरह का हमला करके पोलिटिकल एटमासफियर को खराब करने की कोशिश न करें तो अच्छा होगा, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करें और सदन की एक कमेटी बना कर गौर करें कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं।

यह भी इल्जाम लगाया गया कि कोई कमेटी नहीं बनायी। मैं पूछता हूं कि कौन सा गवर्नमेंट का आफर आया था कमेटी बनाने के लिये? पारसाल जब माननीय गेंदा सिंह जी अनशन कर रहे थे उस समय एक कमेटी बनायी भी गयी थी और बहुत से आश्वासन भी दिये गये थे, लेकिन उन आश्वासनों में से कितनों की पूर्ति सरकार ने की? फिर इल्जाम लगाया जाता है विरोधी पक्ष पर कि वह पोलिटिकल डिविडेंड बनाना चाहता है, इसमें कहां तक सत्य है यह मैं जानना चाहूंगा।

अन्त में मैं कांग्रेसी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि बजाय इसके कि वे पोलिटिकल ट्रूस की बात को पीछे ले जायं वे यह कोशिश करें कि यह आगे चले।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध प्रान्त के रहने वाले सभी वर्गों के जीवन से है। मैं ज्यादा विस्तार में न जा कर केवल वर्तमान खाद्य समस्या का जो प्रभाव है उसके बताने में ही सदन का समय लूंगा और इस समय वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला किस प्रकार किया जाय, इस पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

पिछली तीन फसलों से हमारे यहां लगातार दैविक आपत्तियों का प्रभाव हो रहा है। हम पश्चिमी जिलों के रहने वाले लोग अन्न के मामले में केवल आत्म निर्भर ही नहीं थे, बल्कि इस योग्य भी थे कि दूसरी जगहों को भी अनाज देते थे। आज हमारे यहां के लोगों की दशा भी खराब हो चली है। मुझे यह कहते हुये लज्जा आती है कि आज हम इस स्थान पर आ गये हैं कि मजबूर हो कर सरकार से प्रार्थना करनी पड़ती है कि सस्ते गल्ले की दूकानें हमारे यहां भी खोली जायं। मैं नहीं चाहता था और आप के द्वारा सरकार को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं अर्थात् मुरादाबाद और उसके आसपास के जिले जिनकी गिनती पश्चिमी जिलों में आती है, वे इस बात के कहने में अपनी इज्जत नहीं समझते थे कि उनको तकावी दी जाय, उनका लगान माफ किया जाय, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय या दूसरी प्रकार की रियायतें की जायं यह कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि पश्चिमी जिलों की भी दशा आज ऐसी हो चली है कि आज हम मजबूर हैं यह मांग करने के लिये कि हमारी तरफ के लोगों को भी अन्न की आवश्यकता है। मुझे माननीय मंत्री जी से यह शिकायत है कि मुरादाबाद जैसे जिले के लिये, जिसकी आबादी करीब १७ लाख है, सिर्फ १८ दूकानें मुरादाबाद शहर में और ४ कस्बे अमरोहे में दी गई हैं यानी कुल २२ दूकानें मुरादाबाद को मिली हैं। जब कि मंत्री महोदय अभी हाल में मुरादाबाद गये थे तब उनके सामने एक मत से सब ने यह मांग की थी कि हमारे यहां अनाज की बेहद कमी है और यहां अनाज का अभाव इतना ज्यादा है कि यहां के छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को बेहद परेशानी है। मैं आशा करता था कि मुरादाबाद के कस्बे बिलारी में जो कि मेरा निर्वाचन-क्षेत्र है और माननीय मंत्री भी वहां पहुंचे थे वहां की जनता ने मांग की थी कि यहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। मैं नहीं जानता कि क्या दिक्कतें और परेशानियां उनके सामने हैं कि इस छोटी सी मांग को भी पूरा करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। भविष्य के लिये मैं आशा करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे और इस सूरत में जब कि आज मुरादाबाद में

वर्षा की अधिकता के कारण यातायात के साधन भी एक प्रकार से ठप से पड़े हैं-- गत सप्ताह की वर्षा के कारण वहां की छोटी-छोटी नदियां आपे से बाहर हो गयी हैं और जिले के किनारे पर बहने वाली गंगा और रामगंगा में बाढ़ की आशंका है। उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारी आगामी फसल जिस पर हम बहुत कुछ आशा करते थे एक प्रकार से खत्म सी हो गयी है।

इसके साथ ही साथ, मैं अगली थोड़ी सी बात लगान की वसूलयाबी के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं माननीय गेंदासिंह जी की इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हो पाया कि सरकारी मुतालबे की वसूलयाबी बिल्कुल रोक दी जाय। इसके अर्थ वह यह न लगायें कि किसी प्रकार से भी मेरे हृदय में गरीबों व भूखों के प्रति चाहे वे प्रान्त के इस कोने के रहने वाले हों या उस कोने के हों उनकी अपेक्षा सहानुभूति या हमदर्दी में कमी है, लेकिन एक बात मैं जरूर सोचता हूं कि अगर वसूलयाबी बिल्कुल रोक दी गयी तो आखिर वह मांग जो कि मैं करता हूं या उधर के माननीय सदस्य करते हैं कि शासन की ओर से सिंचाई की योजना को सफल बनाने और कृषि के दूसरे कार्यों के लिये आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये वह कैसे पूरी होगी। हां, अगर वह यह कहें कि अलाभकर जोत के छोटे-छोटे किसानों की वसूलयाबी रोक दी जाय तो कदाचित् मैं भी उसे उचित समझ कर उनकी बात का समर्थन करता। बड़े किसानों ने लाखों रुपया सरकार से लिया है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है कि करीब करीब ७-७ साल के ड्यूज किसानों पर बाकी हैं। सरकार का काम कैसे चलेगा, सरकार के खजाने से रुपया बराबर बाहर जाता रहे और उसमें न आये तो आपका खजाना किस तरीके से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा और कैसे शासन का काम चलेगा?

मान्यवर, जैसा कि तात्कालिक इस समस्या के हल के बारे में बात की गई मैं आवश्यक समझता हूं कि जहां-जहां भी सस्ते गल्ले की दूकानों की जरूरत है खुलनी चाहिये और दूसरी बात यह है, चाहे मंत्री जी सहमत हों या न हों, मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि सस्ते गल्ले की दूकानें बजाय व्यक्तियों के कोआपरेटिव सोसाइटीज को देनी चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि बहुत बड़ी जरूरत और मांग इससे पूरी हो जायगी। यह मंत्री जी और विरोधी दल के सदस्य भी जानते हैं कि इन दूकानों का काफी गल्ला सस्ते भाव के नाम पर चोर बाजार में जाता है। कोआपरेटिव की दूकानों के जरिये उसके रुक जाने की संभावना है। यह सरकार की मौलिक नीति से संबंध रखता है, इसके लिये सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। सरकार ने अब तक उतना ध्यान जितना कृषि विभाग या अधिक अन्न उपजाओं योजना पर लगाना चाहिये था, नहीं लगाया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं अब सरकार की ओर से खरीफ कैम्पेन चला, रबी की तैयारी हो रही है, लेकिन देखना यह है कि हमारी इन कोशिशों का नतीजा क्या निकलता है और उससे कहां तक सफलता मिलती है। सरकार ने कभी आंकड़े इकठ्ठे नहीं किये कि जितनी तकावी या सिंचाई के साधनों को सुविधायें दी गईं वे कितने प्रतिशत किसानों तक पहुंची हैं और कितने प्रतिशत भूमि इन योजनाओं से लाभान्वित हुई। उदाहरण के तौर पर केन विभाग द्वारा लोगों को सुविधाएं दी गईं, ट्यूबवेल लगाये गये, लेकिन मेरी निश्चित राय है कि बहुत थोड़े प्रतिशत लोग और भूमि ऐसी है जो उन तमाम सुविधाओं से लाभान्वित हुई हो। आप आंकड़े देखें इस वर्ष जो खाद्य का वितरण गन्ना विभाग द्वारा हुआ है उसमें मुश्किल से १० प्रतिशत आदमी ऐसे होंगे जिनको आपके विभाग द्वारा खाद पहुंची होगी। यह ऐसी चीज है जिसे सरकार को आंख बन्द कर के नहीं छोड़ना चाहिये। हमें देखना होगा कि आज हम जो कार्य अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत कर रहे हैं उससे हमारी कितनी भूमि ऐसी है जो प्रभावित हो पाती है।

दूसरी बात अधिक गन्ने की पैदावार के सम्बन्ध में कही गई। यह गन्ने से ही संबंध नहीं रखती है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां के किसान अधिक तम्बाकू बोते हैं, कुछ जिलों में कुछ और कैश क्राप्स बोते हैं, कहीं कुछ और चीजें बोयी जाती हैं। इसके लिये सरकार स्थायी रूप से किसान की पैदावार की कीमतों में एक संतुलित अनुपात पैदा करे। जब मेरा गन्ना महंगा बिकेगा, गेहूं सस्ता बिकेगा, तो स्वाभाविक बात है कि मैं गन्ना ही ज्यादा बोऊंगा या सरकार

[श्री महीलाल]

मेरे गेहूं के दाम मेरे परिश्रम और लागत के लिहाज से नहीं दिलवा पायेगो तो स्वाभाविक है कि मैं गेहूं न बो कर गन्ना या तम्बाकू या अन्य दूसरी चीजें बोऊंगा। इसलिये सरकार को इस नीति में मौलिक तरीकें से परिवर्तन करना चाहिये। ऐसे कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। जहां तक व्यापार का संबंध है उस पर ज्यादा से ज्यादा निगाह सरकार की रहनी चाहिये। हमें तकलीफ होती है जब गेहूं हमारे घर से जाये तो उसके दाम १४ रुपये, साढ़े तेरह रुपये और कहीं-कहीं १३ रुपये मन मिले। आज हमें पंजाब का चना और गेहूं २० रुपये और २२ रुपये मन मिल रहा है, कहीं-कहीं वह भी नहीं मिलता है। यह वह गेहूं है जो हमारे गेहूं के मुकाबले का नहीं है। आज बाजार में हमारे किसान और मजदूर को जिसने खेती में जीवन लगाया है २४ और २५ रुपये मन के भाव से अपना अनाज खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी आंकड़े जो भावों के संबंध में हैं उन पर हमें विश्वास नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट के जिम्मेदार व्यक्ति को उस लिस्ट को लेकर बाजार में भेजिये और पता लगाइये तो मालूम होगा कि बाजार के वास्तविक भाव में और सरकार के इन भावों मे कितना भारी अन्तर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री से और उन के द्वारा पूरे मंत्रि मंडल से मेरा निवेदन है कि किसान की पैदा की हुई वस्तुओं के भावों पर सरकार का पूरा-पूरा अंकुश रहना चाहिये। जब तक सरकार इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेगी और पूरा-पूरा अंकुश नहीं रखेगी तब तक वह किसान को गल्ले के अलावा दूसरी चीजों के बोने से नहीं रोक सकती।

दूसरी बात यह है कि खेती के लिये जितनी सिंचाई और अच्छे बीज की जरूरत है उसके साथ-साथ खाद की भी उतनी ही आवश्यकता है। अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। जिसके लिये भूमि पर काश्तकार को पूरा-पूरा कब्जा दिलाने की व्यवस्था करना और भी ज्यादा जरूरी है। सरकार को इसमें अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिये और जल्दी से जल्दी वह भूमि की सीमा निर्धारित करनी चाहिये, सरकार इस प्रश्न को बराबर टालती रही है, माल मंत्री महोदय इसका हल यही समझते हैं कि जब टैक्स बढ़ाया जायगा तो लोग स्वभावतः बड़ी जोतों को छोड़ देंगे। एक तरफ बड़े किसानों से टैक्स अधिक लेने की व्यवस्था होती है दूसरी ओर कानून में ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि वे लोग टैक्स से बच जाते हैं। उनको बड़ी जोतों से एक ऐसा मोह सा हो गया है कि वे उन को छोड़ना पसन्द नहीं कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार को सख्त कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिये। पूर्वी जिलों के भाई इस चीज को महसूस करते हों या न करते हों, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ऐसा अनुभव करता हूं कि आज भी वहां पर जमीन के मालिक दूसरे लोग हैं और खेतों में काम करने वाले दूसरे हैं, नतीजा यह है कि उस जमीन में आज एक एकड़ में जहां ६ मन पैदा होता है, अगर उस जमीन पर काम करने वाले ही मालिक हों अर्थात् वह भूमिहीन मजदूर जो शीरे पर और एक दो आने मजदूरी पर काम करते हैं अगर उस जमीन के मालिक बना दिये जायं तो कई गुना पैदावार बढ़ सकती है। इसलिये इस ओर सरकार को शीघ्र कदम उठाना चाहिये। यदि इस दिशा में तुरन्त कदम नहीं उठाया गया तो इस समस्या का पूरा हल नहीं हो सकता। मुझे उधर के भाई क्षमा करें, मैं जानता हूं आज भी वहां पर ऐसी जातियां हैं जो हल छूना अपमान समझती हैं और भूमि को रखना बड़े मान की बात मानती हैं। इसलिये वह भाई जो पूर्वी जिलों से आते हैं उन गरीब भूमिहीन मजदूरों पर कृपा करें जिनके प्रति वह सदन में सहानुभूति प्रकट करते हैं, भुखमरी की बात कहते हैं और उनकी दुर्दशा के प्रश्न उठाते हैं उनमें वे क्रान्ति पैदा करें, जिससे ऐसे लोग जो भूमि पर काम करना अनादर समझते हैं वे भूमि से मोह छोड़ें और उसे उन लोगों के सुपुर्द करें जो जमीन पर मेहनत कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि पहले कहा था, दुर्भाग्यवश मैं उस ओर के केवल तीन भाषण सुन सका हूं। उनमें से माननीय रघुवीरसिंह की

राय विरोधी दल और सत्ताधारी दल के आपस के कर्त्तव्य विभाजन के संबंध में यह मालूम पड़ती है कि सत्ता को ग्रहण करना और समस्याएं पैदा करना तो सत्ताधारी दल का काम है और ठोस सुझाव देना और समस्याओं को हल करना विरोधी दल का काम है । मैं इस कार्य के विभाजन से दुर्भाग्यवश सहमत नहीं हूं, किन्तु मैंने जो थोड़ा बहुत राजनीति का अध्ययन किया है उसमें दलों का आधार तो कार्यक्रम सम्बन्धी भेद ही होता है और कार्यक्रम सम्बन्धी भेद का आधार यह होता है कि अगर किसी अलग नीति वाली पार्टी को जनता ने चुन कर भेज दिया है तो अल्प-मत वाले दल का, विरोधी दल का कर्त्तव्य होता है कि उसकी गलतियों की ओर जनता का ध्यान दिला करके जनता द्वारा शासन को बदलवाये । कर्त्तव्य तो विरोधी दल का यह है, लेकिन फिर भी जब वह ठोस सुझाव की बात कहते हैं तो इतना और निवेदन कर दूं कि हम तो छोटे आदमी हैं, इस बात की क्या गारण्टी है कि हमारे ठोस सुझावों को आप मानने की कृपा करेंगे । लेकिन उन्हें भी यह मालूम है और मुझे भी मालूम है कि महात्मा गांधी कुछ रचनात्मक कार्यक्रम हमारे देश के लिए दे गये थे । आज भी वह दल उस रचनात्मक कार्यक्रम की दुहाई देता है । संत विनोबा ने भी इन सब समस्याओं को हल करने के लिए कुछ मार्ग बतलाये हैं । क्या उनके अनुसार कार्य हो रहा है, जिससे हमें आशा हो कि हम अगर कोई सुझाव देंगे तो वे माने जायंगे ?

खाद्य समस्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लिए एक नयी चीज है । सन् १९४२ तक तो हम लोग यह समझते थे कि हमारा देश अन्नपूर्णा है । वह दूसरों को भी अन्न देने वाला है, स्वयं पर्याप्त ही नहीं है । यह समस्या यकायक १९४२ में सुनाई दी कि गल्ले की कमी है । उस समय द्वितीय महायुद्ध चल रहा था और ब्रिटिश शासन काल था । तबसे कंट्रोलों का युग आया । ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से सन् १९४६ तक कहा जाता था कि भारत में गल्ले की केवल १० फीसदी कमी है । अधिक कमी नहीं थी, तो उस समस्या का हल अब सीधे-सीधे यह था कि गल्ले का भाव बढ़ाया गया । गल्ले की समस्या के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत मेरी भी जानकारी है । सन् १९२४ में जब यहां की लेजिस्लेटिव कौंसिल का मेम्बर था तो बोर्ड आफ ऐग्रीकल्चर का भी मेम्बर था । १९३४ से केन्द्रीय असेम्बली का मेम्बर था तो इम्पीरियल कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च का मेंम्बर सन् १९३५ से ४७ तक रहा । इसकी जानकारी के मुताबिक मैंने जो कुछ अध्ययन किया है, आप लोगों को भी, सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि दूसरे देशों की प्रति एकड़ पैदावार में और हमारे देश की पैदावार में चौगुने से लेकर अठगुने तक का अन्तर है । हमारे देश की प्रत्येक एकड़ उपज बहुत कम है । अगर बढ़ायी जाय तो अठगुनी न सही, चौगुनी न सही, दुगनी भी बढ़ जाय तो कोई समस्या बाकी न रहे । जनसंख्या बढ़ेगी तो दुगुनी बढ़ेगी, तब तक हमारे पास दुगना अन्न का भंडार होगा । जो लेटेस्ट बात एक्सपर्ट्स की है वह बर्न कमेटी की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में है । उसमें उन्होंने यह कहा कि चन्द सालों के अन्दर ३० फीसदी पैदावार खेती की आसानी से बढ़ सकती है और उसके उपाय भी बतायें हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर इन ११ वर्षों में सरकार ने ३० फीसदी के बजाय २५ फीसदी भी पैदावार बढ़ा ली होती तो आज यहां अन्न की समस्या न होती ।

सरकार की ओर से जो नोट बांटा गया है और पहले भी सरकार की ओर से कहा गया था कि साढ़े १६ फीसदी गल्ले की कमी हो जाने की वजह से यह सब संकट और समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं । जैसा मैंने कहा कि अगर २५ फीसदी गल्ले की पैदावार बढ़ गयी होती तो साढ़े १६ फीसदी वाला संकट पैदा नहीं होता और साथ ही साढ़े ८ फीसदी और हमारे पास अन्न होता । तो स्थायी हल जिसका जिक्र बार-बार महीलाल जी ने किया, वह यही है कि खेती की पैदावार बढ़ायी जाय और २५ फीसदी, २० फीसदी तो अवश्य बढ़ायी जाय । वह खेती की पैदावार ११ वर्षों में क्यों नहीं बढ़ सकी है, इस पर हमें विचार करना है और खाद्य समस्या का मूल कारण यह है, यों तो इसकी शाखाएं और प्रशाखाएं बहुत सी हैं और उन पर बहस करने से खाद्य समस्या का हल नहीं होगा बल्कि मूल समस्या पर विचार करने से ही समस्या

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

का हल होगा। बीमारी के लक्षणों का इलाज करने से बीमारी नहीं जाती है, बल्कि मूल बीमारी का इलाज करने से ही बीमारी जाती है। जब हम गल्ले की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तभी इस समस्या का हल होगा।

श्रीमन्, गल्ले की पैदावार दो तरह से ही बढ़ सकती है। एक तो यह कि जो गल्ला पैदा करने वाले किसान हैं, उनको पैदावार बढ़ाने के लिये कुछ इन्सैन्टिव (प्रेरणा) मिलनी चाहिये। तभी पैदावार बढ़ेगी। उनके रास्ते में रोड़े हैं, कठिनाइयां हैं, जो अड़चनें हैं, उनको हटाया जाय और उनका मार्ग निष्कंटक करके, प्रशस्त करके, सहयोग दिया जाय, उनको सहायता दी जाय तो पैदावार बढ़ सकती है, खाद्य समस्या हल हो सकती है। लेकिन मुझे दुःख है कि केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार, इन दोनों की नीति किसानों के संबंध में गलत है, गल्ले की पैदावार घटानेवाली है, बढ़ाने वाली नहीं है।

श्रीमन्, मैं बहुत साफ-साफ बातें आप के द्वारा से माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि आज से बहुत वर्ष पहले जो कृषि के विशेषज्ञ थे चौधरी मुख्तार सिंह जी उन्होंने इन शब्दों में कहा कि जमींदारी अबालीशन से भी ज्यादा बड़ी समस्या गल्ले की कीमतों की समस्या है। जब तक इसको हल नहीं किया जाता है तब तक किसान का भला किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। केन्द्रीय सरकार की ओर से एक्सपर्ट्स कमेटी बिठाई गई उनका कहना यह है कि किसानों को उनके गल्ले की रेम्यूनरेटिव प्राइसेज (लाभप्रद कीमतें) मिलनी चाहिये। ऐसी कीमतें मिलनी चाहिये जिससे उनको लाभ हो। इससे प्रेरित होकर वह पैदावार बढ़ाकर अपनी आमदनी और सम्पत्ति बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं सरकार से और मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेज फिक्स क्यों नहीं की गईं?

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि सरकार यह बतलाये कि फसल के समय जो गल्ले की कीमत कम हो जाती है और किसानों से सस्ता गल्ला खरीद लिया जाता है और उसके बाद जब वह मंडियों में जाता है तो उसका दाम ड्योढ़ा और दुगुना बढ़ जाता है। इस लूट से किसानों को बचाने के लिये सरकार ने क्या किया है? मैं इसका जवाब माननीय मंत्री जी तथा सरकार से चाहता हूं और जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलता है तब तक मैं नहीं कह सकता कि सरकार कैसे दावा करती है कि उसने समस्या का हल करने के लिये प्रयत्न किया है। बार-बार हम देखते हैं कि हर साल फसल के समय गेहूं का भाव १४ रुपये मन के करीब हो जाता है। लेकिन जब वही गेहूं मंडियों में आ जाता है तो उसका भाव २१ रुपये तथा २२ रुपये मन तक पहुंच जाता है। इसमें किसानों का दोनों तरह से शोषण होता है, उसको दोनों तरह से हानि होती है।

हमारी सरकार और व्यापारियों की आंख सिचौनी सी होती रहती है। जनता जब कष्ट में होती है और उसे अन्न नहीं मिलता है और आधे पेट रहना पड़ता है तब सरकार कहती है व्यापारियों का दोष है और व्यापारी कहते हैं कि सरकार का दोष है। इस तरह से यह दोनों एक दूसरे पर दोष डालकर अलग हो जाते हैं। इसमें सरकार का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है और उधर व्यापारी वर्ग मालामाल हो जाता है अगर कोई इससे मरता है तो बेचारा किसान मरता है या फिर गल्ला खरीदने वाली गरीब जनता मरती है। समस्या का यह हल नहीं है कि आप व्यापारियों से कह दें कि तुम दोषी हो और फिर धमकी दें कि अगर कीमतें कम नहीं कीं तो हम यह कर डालेंगे, वह कर डालेंगे, लेकिन करते-कराते कुछ नहीं है। आज तक आपने छः-छः घोषणाएं कीं, इन्हीं माननीय मंत्री महोदय के मुंह से अगर अखबारों की रिपोर्ट सही हैं, तो सुन चुका हूं। लेकिन छः-छः घोषणाओं के बाद आज तक कितनी कार्यवाही की गयी यह हमारे लिए जानने की बात है। इस वजह से क्योंकि किसान को सही कीमत नहीं मिलती, उनका शोषण हो जाता है, तो खेत में पैदावार किस लिए बढ़ाएं? आप का ग्रो मोर फूड कम्पेन इसीलिए बेकार गया। ग्रो मोर फूड कागज से नहीं होता। वह किसान करेगा। किसान को

प्रोत्साहित करें, उसको गल्ले की ठीक कीमत दें तो वह अपने आप पैदावार बढ़ावें, अपनी आमदनी और सम्पत्ति को बढ़ायें। खोंचे वाला खोंचा लगाता है, इक्के और रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है। वह गांधी, नेहरू या किसी मिनिस्टर के भाषणों से, इक्का या रिक्शा नहीं चलाता। केवल अपनी जीविका के लिए चलाता है। अगर खेती को लाभकर बना दें, जैसे और लोग अपना-अपना व्यापार करते हैं किसान भी उसमें उन्नति करे तो पैदावार बढ़ जाय। कीमतों के सम्बन्ध में सरकार की जो गलत नीति है एक मात्र वह मूल कारण है खाद्य समस्या के रहने का और गल्ले की पैदावार न बढ़ने का। बराबर मांग चली आ रही है कि रेमुनरेटिव प्राइस दी जाय। गवर्नमेंट के मुकर्रर किये हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेमुनरेटिव प्राइस काश्तकारों को मिलनी चाहिए।

दूसरी चीज, ऐग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की प्राइसेज में डिस्पैरिटी का होना, खेती की पैदावार और मिलों के माल की कीमतों में विषमता का होना है। यह नहीं होनी चाहिए। किसान की जेबें दोनों हाथों से काटी जायं। एक तो उनका माल सस्ता लिया जाय और दूसरे मिलों का माल महंगा बेचा जाय। यह जो दुरंगी नीति है इससे किसान को सब तरफ से हानि पहुंचती है। कीमतों के संबंध में सरकार की नीति गलत है और जब तक सरकार अपनी नीति को ठीक नहीं करती तब तक आशा मत कीजिये कि आप खाद्य समस्या को हल कर सकेंगे। आप सस्ते गल्ले की दूकानें खोलते हैं और कीमतें नीचे लाना चाहते हैं। महीने दो महीने में गल्ले के व्यापारियों के लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर गल्ला सस्ता भी हो जाय तो आप की और उनकी मिली भगत हो गयी। उनका फायदा हो गया और शायद आपको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता हो किसी रूप में। लेकिन जनता और किसान इन दोनों वर्गों को किसी तरह का फायदा नहीं होता है। इन नीतियों को छोड़िए। जिस वक्त आप किसानों को ठीक कीमत दिलायेंगे उस वक्त गल्ले की समस्या अपने आप हल हो जायगी और जो आप एक अरब से ऊपर का गल्ला विदेशों से लाते हैं, जो धन विदेशों में जाता है, जिससे विदेशी विनिमय की समस्या पैदा होती है, जिससे औद्योगिक प्रगति रुकी हुई है ये सब समस्याएं हल हो जायं, अगर केवल खेती की पैदावार की कीमतों की समस्या को आप हल कर दें। उस सम्बन्ध में आपकी नीति सही हो तो गल्ले की पैदावार, खाद्य की समस्या अपने आप हल हो जाय, जब तक आप ईमानदारी की नीति, किसानों के साथ न्याय की नीति नहीं बरतेंगे तब तक खाद्य की समस्या हल नहीं हो सकती।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
४ अगस्त, १९५८।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर)

१–२––विज्ञप्ति संख्या ७६७–एल० एफ०––२५४ तथा ७६८–एल० फ०––२५४, दिनांक ७–सितम्बर, १९५७ के धारा ४ के अन्तर्गत ११·३४४ एकड़ और २६·३५२ एकड़ भूमि जिसकी अस्थायी रूप से आवश्यकता थी सुल्तानपुर प्रशाखा के निर्माण हेतु मील १९–३–२०८ से मील २४–०–० तथा मील ३२–०–० से मील ३४–३–७० सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थी । उक्त भूमि का कब्जा इस विभाग को नहीं दिया गया है । अतः भूमि का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है ।

३––विज्ञप्ति संख्या ७६९–एफ० एल०––२५६, दिनांक ७ सितम्बर, १९५७ में उल्लिखित भूमि की गौरा माइनर बनाने के लिये (२०,७८९ एकड़) अस्थायी रूप से आवश्यकता थी । भूमि पर सरकार का कब्जा १५ अक्तूबर, १९५६ से है और इसका मुआवजा अभी नहीं दिया गया है, मुआवजा देने की बाबत उचित कार्यवाही हो रही है ।

४––विज्ञप्ति संख्या ७७०–एल० एफ०––२५६, दिनांक ७ सितम्बर, १९५७ में उल्लिखित भूमि की दुलहपुर माइनर बनाने के लिये (२०·३९ एकड़) अस्थायी रूप से आवश्यकता थी । भूमि पर सरकार का कब्जा १२ अक्तूबर, १९५६ से है और इसका मुआवजा अभी नहीं दिया गया मुआवजा देने की बाबत उचित कार्यवाही हो रही है ।

५––विज्ञप्ति संख्या ७७१–एल० एफ०––२५७, दिनांक ७ सितम्बर, १९५७ में उल्लिखित भूमि की सलेमपुर माइनर बनाने के लिये (३७·००६ एकड़) की अस्थायी रूप से आवश्यकता थी । भूमि पर सरकार का कब्जा १७ अक्तूबर, १९५६ से है और इसका मुआवजा अभी नहीं दिया गया, मुआवजा देने के बाबत उचित कार्यवाही हो रही है ।

६––विज्ञप्ति संख्या ७७२–एल० एफ०––२६०, दिनांक ७ सितम्बर, १९५७ में उल्लिखित १·०३६ एकड़ भूमि की अभयपुर माइनर बनाने के लिये अस्थायी रूप से आवश्यकता थी । भूमि पर सरकार का कब्जा ३१ अक्तूबर, १९५६ से है और इसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, मुआवजा देने की बाबत उचित कार्यवाही हो रही है ।

७––विज्ञप्ति संख्या ७७३––एल० एफ०––२५२, दिनांक ७ सितम्बर, १९५७ में उल्लिखित भूमि की सुहावल की रिमाडलिंग फीडर तथा रिटर्न चैनल बनाने के लिये अस्थाई रूप से आवश्यकता थी । भूमि पर सरकार का कब्जा मुआवजा देने के बाद किया गया ।

८––विज्ञप्ति संख्या ८१५––एफ० एल०––२५७, दिनांक ११ सितम्बर, १९५७, मदौली रजवहा के गूल नम्बर ८ के बनाने के हेतु भूमि की अस्थायी रूप से आवश्यकता थी ।

९––विज्ञप्ति संख्या ८१६–एफ० एल०––२६६, दिनांक ११ सितम्बर, १९५७, सुखापुर माइनर की गूल के कुलाबा नम्बर ४ के बनाने के लिये भूमि की अस्थाई रूप से आवश्यकता थी ।

१०––विज्ञप्ति संख्या ८१७–एफ० एल०––२६५, दिनांक ११ सितम्बर, १९५७, गंगोला माइनर की गूल के कुलाबा नम्बर १३ के बनवाने के लिये भूमि की अस्थाई रूप से आवश्यकता थी।

११––विज्ञप्ति सख्या ८१८––एफ० एल०––२६४, दिनांक ११ सितम्बर, १९५७, नारायणपुर माइनर की गूल के कुलाबा नम्बर १ को बनाने के हेतु भूमि की अस्थाई रूप से आवश्यकता थी ।

माइनरों के गूल बनाने के लिये अस्थाई भूमि अधिकृति सम्बन्धी विज्ञप्ति क्रम-संख्या ८, ९, १०, ११, सरकारी आज्ञापत्र संख्या ९७८, एल० ५७/१३, ६७ एल० १९५७, दिनांक १३ सितम्बर, १९५७ को आदेशानुसार रद्द की जा रही है ।

सिंचाई मंत्री

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९० पर)

सूची क

क्रम-संख्या	जिले	चालू नलकूप	चालू नहरों की लम्बाई (मीलों में)
१	२	३	४
१	देहरादून	..	९३
२	सहारनपुर	११७	८४०
३	मुजफ्फरनगर	१६७	८७६
४	मेरठ	४३२	१,२७५
५	बुलन्दशहर	४२२	७७१
६	अलीगढ़	३४२	७९०
७	मथुरा	१	७८९
८	आगरा	५१	५१३
९	मैनपुरी	९४	७५२
१०	एटा	१४०	६७९
११	फर्रुखाबाद	१५०	३६४
१२	इटावा	—	८६१
१३	कानपुर	४	१,०९७
१४	फतेहपुर	—	४९५
१५	इलाहाबाद	१०५	४८८
१६	बिजनौर	२२४	११६
१७	मुरादाबाद	५८१	१०२
१८	रामपुर	५	४८४
१९	बरेली	११३	८२३
२०	बदायूं	४३७	—
२१	पीलीभीत	६	३७६
२२	शाहजहांपुर	७२	५५३
२३	हरदोई	१८	८८१
२४	खीरी	१४९	१८८
२५	सीतापुर	५३	५७०
२६	लखनऊ	१५	४९२
२७	उन्नाव	—	९०३
२८	रायबरेली	—	७५९
२९	प्रतापगढ़	—	५९२
३०	सुल्तानपुर	७४	१४८
३१	बाराबंकी	१८	८५७
३२	फैजाबाद	२३७	३१९
३३	बहराइच	९५	१०७
३४	गोंडा	९५	११६

क्रम-संख्या	जिले	चालू नलकूप	चालू नहरों की लम्बाई (मीलों में)
१	२	६	४
३५	बस्ती	२१६	१३१
३६	गोरखपुर	१५९	६०
३७	देवरिया	१७७	—
३८	जौनपुर	१२३	१४४
३९	गाजीपुर	११२	८५
४०	आजमगढ़	१६०	१७७
४१	बलिया	११५	१४०
४२	वाराणसी	२१४	२६१
४३	मिर्जापुर	४५	५६४
४४	बांदा	—	५०४
४५	हमीरपुर	—	७४३
४६	झांसी	—	७२८
४७	जालौन		१,२०४
४८	नैनीताल	३४	६५
४९	अल्मोड़ा	—	८५
५०	गढ़वाल	—	४०
५१	टेहरी-गढ़वाल		२५
	कुल योग ..	५,५७२	२४,०२५

रामम्रूर्ति,
मंत्री।

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६० पर)

सूची ख

क्रम-संख्या	जिले	मार्च, १९६१ तक प्रस्तावित नल कूप संख्या	मार्च, १९६१ तक प्रस्तावित नहरों की लम्बाई (मीलों में)
१	२	३	४
१	देहरादून	७	४
२	सहारनपुर	२४	२
३	मुजफ्फरनगर	३०	२
४	मेरठ	३५	—
५	बुलन्दशहर	२५+३८=६३	३
६	अलीगढ़	१९	३७
७	मथुरा	२	१०५
८	आगरा	१	१४
९	मैनपुरी	९+१=१०	३५
१०	ऐटा	८	१८
११	फर्रुखाबाद	५+१=६	१०
१२	इटावा	—	८३
१३	कानपुर	—	१५
१४	फतेहपुर	—	१२२
१५	इलाहाबाद	४	१६२
१६	बिजनौर	३०	१४
१७	मुरादाबाद	१०	११७
१८	मथुरा	१०	—
१९	बरेली	१४	५७
२०	बदायूं	१९	—
२१	पीलीभीत	१	२७
२२	शाहजहांपुर	१८	१७
२३	हरदोई	७	२०
२४	खीरी	१९	१०
२५	सीतापुर	४	१०१
२६	लखनऊ	५	५२
२७	उन्नाव	—	३०
२८	रायबरेली	—	५१
२९	प्रतापगढ़	—	१०१
३०	सुल्तानपुर	—	४१७
३१	बाराबंकी	—	८८
३२	फैजाबाद	३	१४
३३	बहराइच	—	१०
३४	गोंडा	—	४

क्रम-संख्या	ज़िले	मार्च, १९६१ तक प्रस्तावित नलकूप संख्या	मार्च १९६१ तक प्रस्तावित नहरों की लम्बाई (मीलों में)
१	२	३	४
३५	बस्ती	३३	५०
३६	गोरखपुर	२१	८९
३७	देवरिया	१८	२
३८	जौनपुर	२६	१३१
३९	गाजीपुर	३१+३=३४	३०
४०	आजमगढ़	१३	१९६
४१	बलिया	२०	२०७
४२	वाराणसी	३४	७४
४३	मिर्जापुर	—	१३३
४४	बांदा	—	१२६
४५	हमीरपुर	—	४६
४६	झांसी	—	७०
४७	जालौन	—	३३
४८	नैनीताल	१	३९
४९	अल्मोड़ा	—	२०
५०	गढ़वाल	—	४४
५१	टेहरी-गढ़वाल	—	३७
	कुल योग ..	५४९	३,०६९

रामम्मूर्ति,
मंत्री ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९१ पर।)

क्रम-संख्या	ग्राम	पूर्व प्रश्न के उत्तर में दी गई क्रम-संख्या	धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी का मुकदमा चलाये जाने का कारण
१	कटघर शंकर, थाना मधुवन ।	१	श्री रामशंकर पांडे के प्रार्थना-पत्र पर श्री कमलापति पांडे व अन्य पांच लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। ये लोग लगभग एक साल से रमाशंकर के घरवालों को हर प्रकार से परेशान करते थे। इनमें से कमला पांडे व रामप्रसाद की रमाशंकर से पुरानी रंजिश भी थी। शान्ति भंग का अन्देशा था।
२	तिधरा, थाना मधुवन।	५	श्री देवशरण व रमाकान्त में एक सहन के कब्जे के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। शान्ति भंग का अंदेशा हो गया। इसलिए धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गयी।
३	नरहरपुर, थाना मधुवन।	६	श्री सुवाश कुर्मी के सहन के सामने श्री सुमेर कुर्मी मड़ई डालना चाहते थे। इसी सिलसिले में रंजिश हो गयी। श्री सुमेर की पार्टी द्वारा जबरदस्ती मड़ई डालने के तैयारी की रिपोर्ट थाने में हुई। शान्ति भंग का अन्देशा था। इसलिये कार्यवाही की गयी।
४	कन्धरपुर, थाना मधुवन।	७	श्री रामबलीसिंह के मकान में नकब लगी। मुकदमा ४५७ भारतीय दंड विधान का कायम हुआ। वादी ने मुल्जिमान को मुस्तबहा किया। जिससे मुल्जिमान पार्टी बना कर वादी को हर प्रकार से परेशान करने लगे। शांति भंग का अंदेशा था। अतः कार्यवाही की गयी।
५	देवनाथपुर, थाना मधुबन।	१४	श्री अलगू व श्री सुमेर पट्टीदार हैं। खेत व सहन का झगड़ा रहता था। इसी सिलसिले में पार्टीबन्दी बढ़ी और शान्ति भंग की संभावना पाई गयी। अतः कार्यवाही की गयी।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९३ पर)

सूची लाइसेंसदारान जिनको सन् १९५६ ई० में लाइसेन्स असलहा प्रदान किये गये

१—श्री केदारनाथ सिंह, सर्किल इन्स्पेक्टर पुलिस, कर्वी।
२—श्री हरीप्रसाद पुत्र शिव शम्भू साकिन हनुमानगंज मजरा लोरी, थाना रेपुरा।
३—श्री ए० एस० जैन, नायब तहसीलदार, कर्वी।
४—श्री अब्दुल अजीज, कान्स्टेबिल मुहर्रिर कोर्ट, कर्वी।

सूची लाइसेंसदारान जिनको सन् १९५७ में लाइसेंस असलहा प्रदान किये गये

१—श्री माताप्रसाद पुत्र राम बहोरी, साकिन रूकमा बुजुर्ग, थाना कर्वी।
२— ,, धीरेन्द्रसिंह, सब इन्सपेक्टर, थाना रेपुरा।
३— ,, गंगासिंह पुत्र रामनारायन सिंह, साकिन बीहर, थाना कर्वी।
४— ,, गिरजाशरन पुत्र राम गनेश, साकिन पाह कंजारी, थाना रेपुरा।
५— ,, रामानुज पुत्र मनोराम, साकिन किहुनिया, थाना मानिकपुर।
६— ,, अवध नरेश पुत्र हीरालाल, साकिन किहुनियां, थाना मानिकपुर।
७— ,, शिव भोला पुत्र रामगोपाल, साकिन सरैया, थाना मानिकपुर।
८— ,, जगदीश प्रसाद पुत्र कोदूराम, साकिन सरैया, थाना मानिकपुर।
९— ,, सूरजपाल सिंह पुत्र बाबादीन, साकिन महराजपुर थाना पहाड़ी।
१०— ,, राजाराम पुत्र महेश्वरी प्रसाद, साकिन कर्वी।
११— ,, छेदालाल पुत्र अटल बिहारी, साकिन टिकरिया, थाना मानिकपुर।
१२— ,, चुन्ना वल्द अधार, साकिन कर्वी।
१३— ,, रामसिंह वल्द देवी दयाल सिंह, साकिन कर्वी।
१४— ,, शीतलप्रसाद वल्द रामसजीवन, साकिन एचवारा, थाना कर्वी।
१५— ,, नत्थूसिंह, सब-इन्सपेक्टर, मानिकपुर।
१६— ,, मथुरा प्रसाद पुत्र विजय बहादुर, साकिन कर्वी।
१७— ,, अवधेश कुमार पुत्र कालका प्रसाद, साकिन कर्वी
१८— ,, प्रेमचन्द सिंह पुत्र रामधनी सिंह साकिन नोनार, थाना पहाड़ी।
१९— ,, बब्बू प्रसाद वल्द सूरजभान, साकिन असोह, थाना पहाड़ी।
२०— ,, बद्री प्रसाद पुत्र शिवदर्शन राम, साकिन सालिगपुर, थाना पहाड़ी।
२१ — ,, हर प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद, साकिन ओरा, थाना पहाड़ी।
२२— ,, लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री रामसिंह, साकिन चोरा, थाना पहाड़ी।
२३— ,, मधगंजन सिंह पुत्र शिवरत्नसिंह, साकिन अरकी, थाना राजापुर।
२४— ,, महावीर प्रसाद पुत्र लल्लू प्रसाद, साकिन सिकरी सान्निस, थाना राजापुर।
२५— ,, नर्वदा प्रसाद पुत्र तालिबदीन, साकिन रगौली, थाना राजापुर।
२६— ,, विरजीवन सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह, साकिन खहो थाना मऊ।
२७— ,, देवीदीन सिंह पुत्र रामबहादुरसिंह, शाह बबुरी, थाना मऊ।
२८— ,, त्रिभुवनसिंह पुत्र शिवमंगल सिंह, साकिन मऊ।
२९— ,, दुर्गा प्रसाद पुत्र हरबंश प्रसाद, साकिन कर्वी।
३०— ,, कलाशसिंह, वकील कर्वी।
३१— ,, पी० बी० पाण्डे, मेडिकल आफीसर, कर्वी।
३२— ,, जगन्नाथ प्रसाद पुत्र गयादीन, साकिन ददरी, थाना कर्वी।
३३— ,, काशीप्रसाद पुत्र बुबाराम, साकिन सिमरिया जगन्नाथ वसी, थाना कर्वी।

३४— श्री बाबूलाल पुत्र भाऊ, साकिन रुरकमा खुर्द, थाना कर्वी।
३५— ,, अजयपाल सिंह गहलोट, तहसीलदार, कर्वी।
३६— ,, राज नारायण पुत्र सुखदेव, साकिन सेमरदहा, थाना कर्वी।
३७— ,, नरवदा प्रसाद, कानूनगो, मानिकपुर सर्किल, तहसील कर्वी।
३८— ,, साधो प्रसाद दुबे, वकील, कर्वी।
३९— ,, बाबूलाल पुत्र गरीबदास, साकिन मानिकपुर।
४०— ,, माधो प्रसाद पुत्र रामगोपाल, साकिन मानिकपुर।
४१— ,, राम कन्हई पुत्र बद्री सिंह, साकिन चन्द्रा भारा, थाना मानिकपुर।
४२— ,, धनपति पुत्र शिवपाल सिंह, साकिन चन्द्रा भारा, थाना मानिकपुर।
४३— ,, चुनकोना पुत्र रामधनी, साकिन गिरवारी मजुरा चन्द्रभारा, थाना मानिकपुर
४४— ,, केवल प्रसाद पुत्र भरोसे, साकिन चर, थाना रेपुरा।
४५— ,, दद्दी प्रसाद पुत्र विश्वनाथ प्रसाद, साकिन दर्दी, थाना कर्वी।
४६— ,, भइयालाल पुत्र सूरजदीन, साकिन दर्दी, थाना कर्वी।
४७— ,, मनभावन लाल पुत्र शिवकुमार, साकिन खड़ेहा, थाना मऊ।
४८— ,, देवनाथ पुत्र हर दयाल, साकिन घुरेटन पुर, थाना कर्वी।
४९— ,, देवीदयाल पुत्र जगन्नाथ, साकिन वीरघुमाई सुरकी, थाना कमासिन।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९६ पर)

नाम तहसील	१९५६	१९५७
१—नवाबगंज	१९	८
२—बहेड़ी	१३	१४
३—आंवला	२६	२७
४—फरीदपुर	१४	३
५—बरेली	१२२	८१
योग ..	१९४	१३३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९९ पर)

अध्यापकों की संख्या जिन्हें वार्षिक वेतन–वृद्धि प्रदान की गयी

वर्ष	वर्ग	लघु-माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक	प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापक
१९५०–५१ ..	.. हरिजन	६	६३
	पिछड़ी जाति	३४	१३०
	अन्य	२०४	१,०६२
	योग ..	२४४	१,२५५
१९५१–५२ ..	.. हरिजन	६	६३
	पिछड़ी जाति	३४	१३०
	अन्य	२२६	१,०६२
	योग ..	२६६	१,२५५
१९५२–५३ ..	.. हरिजन	६	६८
	पिछड़ी जाति	३५	१३९
	अन्य	२४०	१,२३१
	योग ..	२८१	१,४३८
१९५३–५४ ..	.. हरिजन	६	७१
	पिछड़ी जाति	३७	१४७
	अन्य	२४१	१,२५३
	योग ..	२८४	१,४७१
१९५४–५५ ..	.. हरिजन	..	..
	पिछड़ी जाति	..	..
	अन्य	..	..
	योग ..	..	..
१९५५–५६ ..	.. हरिजन	..	..
	पिछड़ी जाति	..	..
	अन्य	..	..
	योग ..	..	..

वर्ष	वर्ग	लघु-माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक	प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापक
१९५६-५७ ..	.. हरिजन	७	७५
	पिछड़ी जाति	४२	१६६
	अन्य	२७१	१,३१४
	योग ..	३२०	१,५५५
जुलाई, १९५७	.. हरिजन	७	७६
	पिछड़ी जाति	४२	१६९
	अन्य	२७१	१,३२५
	योग ..	३२०	१,५७०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०४ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५८) के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	छात्र संख्या	जूनियर हाई स्कूलों की संख्या	छात्र संख्या	हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या	छात्र संख्या
वर्ष १९५४–५५						
सरकारी			..	..	२	६०५
जिला बोर्ड के ..	५०१	३८,०७१	४८	६,७१३	..	..
पब्लिक के ..	..	..	१६	१,९९४	४०	१५,५३१
वर्ष १९५५–५६						
सरकारी			३	४५३	२	६१९
जिला बोर्ड के	५१८	३७,४९१	४९	५,४४२	..	..
पब्लिक के		..	१९	२,१००	४३	१६,३६१
वर्ष १९५६–५७						
सरकारी		..	३	४४७	२	६९४
जिला बोर्ड के	५२६	३९,३४७	५०	५,३९१	..	..
पब्लिक के ..	२	१४१	१८	२,०८०	४५	१६,८३३

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०५ पर)

वर्ष	फिल्म की संख्या	निर्माण पर व्यय
१९५०–५१	..	..
१९५१–५२	१	२०,१३३
१९५२–५३	..	..
१९५३–५४	४	४८,०१३
१९५४–५५	५	४७,४३२
१९५५–५६	११	१,५७,४२३
१९५६–५७	२०	२,८०,८७०
१९५७–५८	१*	१७,३५२

*१९५७–५८ में ९ फिल्मों के बनवाने की कार्यवाही की गई थी, किन्तु कच्ची (Raw) फिल्म के अभाव के कारण केवल एक ही फिल्म बन सकी। शेष फिल्में १९५८–५९ में तैयार हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १११ एल० ए०—१९५८–८३७।